

वित्त विधेयक, 2015

प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त (सं. 2) विधेयक, 2015 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर अधिनियम और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु संशोधन करने के लिए हैं—

- (क) आय-कर दरें
- (ख) काले धन पर नियंत्रण रखने के उपाय
- (ग) घरेलू विनिर्माण का संवर्धन और विनिधान वातावरण (मेक इन इंडिया) का सुधार करने के लिए उपाय;
- (घ) कार-बार करने की सहजता/विवाद समाधान
- (ङ) व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फायदे
- (च) स्वच्छ भारत
- (छ) सुव्यवस्थीकरण संबंधी उपाय ।

2. वित्त विधेयक, 2015, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर हेतु दायी आय पर आय-कर की दरों को, ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरों, “वेतन” से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभाविता करने की दरों को विहित करने के लिए है।

3. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत, आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो “अग्रिम कर” की संगणना, “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्गृहीत किया जाएगा:—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का निकाय चाहे वे निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (31) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, सहकारी समितियां फर्म या स्थानीय निकायों की दशा में आय-कर की रकम को ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर का दस प्रतिशत की दर से संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ऊपर (क) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की दशा में भी, जिनकी कुल आय अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऊपर उल्लिखित दर पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमान्त राहत भी प्रदान की जाएगी।

(ख) ऐसी देशी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;
- (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

(ग) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,
- (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में तथा अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

प्रत्येक कंपनी की दशा में भी जिसकी अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, किन्तु यथास्थिति, दस करोड़ रुपए से अनधिक है या दस करोड़ रुपए से अधिक है, पूर्वोक्त वर्णित दरों पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमांत राहत भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(घ) अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक भी हैं) दस प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्गृहण किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और आय-कर पर "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार को सम्मिलित करके संगणित कर रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत होता रहेगा। ऐसे उपकर की बाबत कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें

"वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं सिवाय इसके कि तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामित्व या फीस के रूप में आय की प्रकृति में किसी अनिवासी (कंपनी से भिन्न) या किसी विदेशी कंपनी के किए गए कतिपय संदायों के मामले में दर ऐसी आय का दस प्रतिशत होगी।

(1) अधिभार

(कंपनी से भिन्न) किसी अनिवासी व्यक्ति की दशा में इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। ऐसे कटौती की गई कर की रकम को, देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-

- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।
- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, अग्रिम कर की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

अ - व्यष्टि, हिन्दु अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी की दशा में सात प्रतिशत की दर के अधिभार को उद्गृहीत किया जाएगा यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से कम है। यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उदग्रहण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, सभी मामलों में “आय-कर पर शिक्षा उपकर” और “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

**काले धन पर नियंत्रण करने संबंधी उपाय
कतिपय ऋणों, निक्षेपों और विनिर्दिष्ट राशियों को प्राप्त करने या स्वीकार
करने का ढंग और ऋणों या निक्षेपों और विनिर्दिष्ट अग्रिमों के प्रतिसंदाय का ढंग**

आय-कर अधिनियम की धारा 269घघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से आनलाईन अंतरण के द्वारा कोई उधार या निक्षेप लेगा अन्यथा नहीं, यदि ऐसे उधार निक्षेप की रकम बीस हजार रुपए है या उसके अधिक है। तथापि, कतिपय अपवाद इस धारा में दिए गए हैं। इसी प्रकार धारा 269न में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से आनलाईन अंतरण द्वारा इस धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किसी उधार या निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाएगा अन्यथा नहीं। यदि ऋण या निक्षेप की रकम बीस हजार रुपए है या उससे अधिक है।

जंगम संपत्ति संव्यवहारों में नकद रूप व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 269धध का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप चाहे वह अग्रिम या अन्यथा के रूप में हो, या कोई धन राशि पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक शोधन प्रणाली द्वारा किसी जंगम संपत्ति के अंतरण के संबंध में स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं, यदि ऐसी उधार या निक्षेप की रकम या ऐसी विनिर्दिष्ट राशि बीस हजार रुपए या उससे अधिक है।

आय-कर अधिनियम की धारा 269न का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति उसके पास जमा किए गए किसी ऋण या निक्षेप या उसके द्वारा प्राप्त किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम का प्रतिसंदाय पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक शोधन प्रणाली द्वारा प्रतिसंदाय करेगा, अन्यथा नहीं। यदि ऋणों या निक्षेपों या विनिर्दिष्ट अग्रिमों की रकम या कुल रकम बीस हजार रुपए या उससे अधिक है, विनिर्दिष्ट अग्रिम से किसी अग्रिम से जंगम संपत्ति के अंतरण के संबंध में चाहे वह अंतरण किया जाता है या नहीं, किसी अग्रिम चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, की प्रकृति में कोई धनराशि अभिप्रेत होगा।

धारा 271घ, और धारा 271ड में पारिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे कि क्रमशः धारा 269धध और धारा 269न के संशोधित उपबंधों का अनुपालन करने की आवश्यकता के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 66, 67-69 और 70]

**घरेलू निर्माण का संवर्धन करने और विनिधान वातावरण (मेक इन इंडिया)
का सुधार करने संबंधी उपाय
सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (गार) से संबंधित उपबंधों का स्थगन**

वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा पुनःस्थापित सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (गार) के विद्यमान उपबंध अधिनियम के अध्याय 10क (धारा 95 से धारा 102 तक) और धारा 144खक में अंतर्विष्ट है। अध्याय 10क गार के सारभूत उपबंध का उपबंध करता है, जबकि धारा 144खक गार का अवलम्ब लेने के लिए आरम्भ की जाने वाली प्रक्रिया और अवलम्ब लिए जा रहे गार उपबंधों के परिणामस्वरूप निर्धारण आदेश के पारित किए जाने का उपबंध करती है।

जैसा अधिनियम में उपबंधित है, गार उपबंध 1-4-2016 से प्रभावी होने हैं। अतः, ये उपबंध वित्तीय वर्ष 2015-16 (निर्धारण वर्ष 2016-17) और पश्चातवर्ती वर्षों की आय को लागू होंगे। गार उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन किया गया है।

गार के कतिपय पहलुओं के संबंध में चिंताएं अभिव्यक्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि ओईसीडी के अधीन आधार क्षयकरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना चल रही है और भारत इस परियोजना में एक सक्रिय भागीदार है। बीईपीएस के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट और इसका मुकाबला करने के उपायों के संबंध में सिफारिशें अभिप्राप्त होती हैं। अतः, यह उचित होगा कि बीईपीएस आक्रमक कर परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक शासन के भाग के रूप में गार उपबंधों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि गार के कार्यान्वयन को दो वर्ष तक स्थगित किया जाए और गार संबंधी उपबंध वित्तीय वर्ष 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2018-19) और अधिनियम, के संशोधन द्वारा पश्चातवर्ती वर्षों की आय को लागू किए जाएं। इसके अतिरिक्त 31-3-2017 तक किए गए विनिधानों का इस संबंध में सुसंगत नियमों में संशोधन करके गार की प्रयोजनीयता से संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा।

[खंड 25]

प्रवर्ग - 1 और प्रवर्ग -2 अनुकल्पी विनिधान निधि की पारण प्रास्थिति

अधिनियम की धारा 10 (23चख) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जोखिम पूंजी उपक्रम (वीसीयू) में विनिधान से जोखिम पूंजी कंपनी (वीसीसी) या जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की कोई आय कराधान से छूट प्राप्त होगी। अधिनियम की धारा 115प यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति को जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में किए गए विनिधान में से प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त आय चालू वर्ष के आधार पर उसी रीति में कराधेय होगी, मानों उस व्यक्ति ने जोखिम पूंजी उपक्रम में सीधे विनिधान किया होता।

ये उपबंध केवल जोखिम पूंजी निधि/जोखिम पूंजी कंपनी उन निधियों को करपारण अर्थात्, जो कंपनी या न्यास के रूप में स्थापित की जा रही है के बजाय विनिधानकर्ताओं के हाथ में कराधेय आय है; जो (i) सेबी (जोखिम पूंजी निधि विनियम, 1996 के अधीन जोखिम पूंजी निधि के रूप में 21/5/2012 से पूर्व, या (ii) सेबी (एआईएफ) विनियम, 2012 द्वारा विनियमित प्रवर्ग-1 अनुकल्पी विनिधान निधि (एआईएफ) के अधीन उपवर्ग का एक जोखिम पूंजी निधि 21/5/2012 से होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। विद्यमान पारण केवल ऐसी आय की बाबत उपलब्ध है जो वीसीयू (जोखिम पूंजी उपक्रम) जो एक कंपनी है, में विनिधान से निधि को उद्भूत होती है, और जो सेबी (जोखिम पूंजी निधि, 1996 या सेबी अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम 2012 (अनुकल्पी विनिधान निधि) में दी गई शर्तों को पूरा करती है।

अनुकल्पी विनिधान निधि के अधीन, विभिन्न प्रकार की अनुकल्पी विनिधान निधियों को प्रवर्ग-1, 2 और 3 अनुकल्पी विनिधान निधि के रूप में तीन पृथक प्रवर्गों के अधीन वर्गीकृत की गई हैं। प्रवर्ग-1 के अंतर्गत अनुकल्पी विनिधान निधि आती है जो आरम्भ में या आरम्भिक प्रक्रम, जोखिमों या सामाजिक जोखिमों या एसएमई या अवसंरचना या उन अन्य सेक्टरों या क्षेत्रों में विनिधान करती हैं, जिन्हें सरकार या विनियामक सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से वांछनीय समझते हैं। प्रवर्ग-2 अनुकल्पी विनिधान निधियां ऐसी निधियां हैं जिनके अंतर्गत प्राइवेट साम्य निधि या ऋण निधि भी है जो प्रवर्ग-1 और प्रवर्ग-3 के अंतर्गत नहीं आती है और जो दिन प्रतिदिन के व्यर्थ सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करने के अलावा उद्यम लाभ या उधार का वचन नहीं देती है। प्रवर्ग-3 अनुकल्पी निविनिधान निधि ऐसी निधि है जो विविध और जटिल व्यापार रणनितियों को नियोजित करती हैं और सूचीकृत या असूचीकृत व्युत्पन्नों में विनिधान के माध्यम सहित उद्यम लाभ नियोजित कर सकती हैं। निधियों को किसी न्यास, कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी और किसी अन्य निगमित न्याय के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

निष्क्रिय विनिधान करने में लगे हुए संगृहीत विनिधान यानों (रोक निधि से भिन्न) को कतिपय कर अधिकारिताओं में पारण अधिनिर्णीत किया गया है। अनुकल्पी विनिधान निधि के प्रवर्ग-1 और प्रवर्ग-2 के कराधान को सुव्यवस्थित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि एक विशेष कर शासन का उपबंध किया जाए। ऐसे अनुकल्पी विनिधान निधियों की आय के कराधान और उनके विनिधान कर के प्रस्तावित शासन के अनुसार होंगे। उस विशेष शासन में जो ऐसी निधियों को इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि उन्हें कंपनी या सीमित दायित्व फर्म आदि के रूप में स्थापित किया गया है या नहीं, लागू होती है। विशेष शासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं -

(i) किसी व्यक्ति, जो विनिधान निधि यूनिट धारक है, द्वारा विनिधान निधि में किए गए, विनिधानों से उसकी आय आयकर से उसी रीति में प्रभाय होंगी मानों, आय ऐसे व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत हुई या उसके द्वारा प्राप्त आय होती, यदि विनिधान निधि द्वारा किए गए विनिधान सीधे उसके द्वारा किए गए हों।

(ii) अनुकल्पी विनिधान निधि के हाथों में आय जो कारबार के लाभ और अभिलाओं से आय नहीं है, कर से छूट प्राप्त होगी। कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाओं के स्वरूप की आय और अनुकल्पी विनिधान निधि के मामले में कराधेय होगी।

(iii) विनिधान कर्ता के हाथों में आय जो वैसी ही प्रकृति की है जैसीकि अनुकल्पी विनिधान निधि के स्तर पर कारबार के लाभों और अभिलाओं के रूप में आय है, छूट प्राप्त होगी।

(iv) जहां ऐसी आय से भिन्न कोई आय जो अनुकल्पी विनिधान निधि स्तर पर कराधेय है, विनिधान निधि द्वारा युनिट धारक को संदेय हो जाती है, वहां निधि द्वारा 10% की दर पर आयकर की कटौती की जाएगी।

(v) विनिधान निधि द्वारा संदत या प्रत्यायित आय उसी प्रकृति की आय समझी जाएगी और युनिट धारक के हाथ में वैसे ही अनुपात में आय समझी जाएगी। मानो वह विनिधान निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो।

(vi) यदि किसी वर्ष में निधि स्तर पर हानि हुई है या तो चालू हानि या ऐसी हानि जिसका मुजरा किया जाना हो तो ऐसी हानि को विनिधानकर्ता को संक्रांत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। किन्तु आयकर अधिनियम के अध्याय-6 के उपबंधों के अनुसार आगामी वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए निधि स्तर पर अग्रणीत की जाएगी।

(vii) अध्याय 12घ (लाभांश वितरण कर) या अध्याय 12ड (वितरित आय पर कर) के उपबंध विनिधान निधि द्वारा संदत आय पर लागू नहीं होंगे।

(viii) अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा प्राप्त आय स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी इसका तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 197क (1च) के अधीन समुचित अधिसूचना को जारी करके उपबंध किया जाएगा।

(ix) अनुकल्पी विनिधान निधि के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह आय की अपनी विवरणी फाइल करे। अनुकल्पी विनिधान निधि इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए विभिन्न संघटक और उनपर कटौती किए गए कर के ब्यौरे आदि विहित आयकर प्राधिकारी और विनिधानकर्ताओं को भी उपलब्ध करवाएगी।

इसके अतिरिक्त विद्यमान पारण शासन को उस जोखिम पूंजी निधि/जोखिम पूंजी कंपनी को लागू करते रहने का प्रस्ताव है जो सेबी (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 के अधीन रजिस्टर की गई थी। शेष जोखिम कंपनी निधि जो अनुकल्पी विनिधान निधि प्रवर्ग-1 का भाग है, नए पारण शासन के अध्यक्षीन होंगी।

दृष्टांत

उपरोक्त शासन की व्यापक विशेषताओं को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। सरलता के लिए यह अवधारणा की जाती है कि विनिधान निधि में 10 युनिट धारक हैं, प्रत्येक युनिट धारक की एक युनिट है और विनिधान निधि में विनिधान से प्राप्त आय युनिट धारक की मात्र आय है।

उदाहरण 1: यदि पिछले वर्ष में, विनिधान निधि की आय प्रवाह निम्नलिखित से मिलकर बनी है :-

पूंजी अभिलाभ द्वारा आय	800 रुपए
अन्य स्रोतों से आय	200 रुपए

तब :

विनिधान निधि की कुल आय	शून्य
युनिट होल्डर की कुल आय	1,000 रुपए
एक युनिट होल्डर की कुल आय	100 रुपए

विच्छेद :

"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य	80 रुपए
"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य	20 रुपए

उदाहरण 2: यदि उदाहरण 1 में, विनिधान निधि की आय प्रवाह निम्नलिखित से मिलकर बनी है :-

कारबार आय	100 रुपए
पूंजी अभिलाभ द्वारा आय	700 रुपए
अन्य स्रोतों से आय	200 रुपए

तब :

विनिधान निधि की कुल आय (यदि विनिधान निधि, एक कंपनी है या और कोई फर्म अधिकतम सीमांत दर पर है, कर प्रभार्य लागू दर पर होगा)	100 रुपए
एक युनिट होल्डर को आय का उद्भूत	100 रुपए
युनिट होल्डर की आय जिस पर छूट है	10 रुपए
एक युनिट होल्डर की कुल आय (कर प्रभार्य)	90 रुपए

विच्छेद :

"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य	70 रुपए
"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य	20 रुपए

उदाहरण 3 : यदि विनिधान निधि की आय प्रवाह निम्नलिखित से मिलकर बना है :-

कारबार हानि	100 रुपए
पूंजी अभिलाभ हानि	300 रुपए
अन्य स्रोतों से आय	400 रुपए

तब :

100 रुपए के कारबार हानि का अन्य स्रोतों से आय के प्रति मुजरा की जाती है जब कि पूंजी अभिलाभ हानि का मुजरा नहीं किया जा सका । परिणाम निम्नलिखित है :	
विनिधान निधि की कुल आय	शून्य
विनिधान निधि स्तर पर जो 300 रुपए की हानि रह जाती है को आने वाले वर्षों में मुजरा के लिए अग्रणीत किया जाता है)	
यूनिट होल्डर की कुल आय	300 रुपए

यूनिट होल्डर की कुल आय	30 रुपए
(शीर्ष "अन्य स्रोतों से आय" के अधीन प्रभार्य)	

उदाहरण 4 : यदि उदाहरण 3 में लिखित पूर्व वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में विनिधान निधि की आय प्रवाह निम्नलिखित से बनकर बनी है :

कारबार आय	100 रुपए
पूंजी अभिलाभ द्वारा आय	450 रुपए
अन्य स्रोतों से आय	500 रुपए

तब :

विनिधान निधि की कुल आय	100 रुपए
(कारबार आय)	

छूट प्राप्त आय -

पूंजी अभिलाभ (450 रुपए - 300 रुपए)	150 रुपए
अन्य स्रोतों से आय	500 रुपए

यूनिट धारकों को प्रोद्भूत या उद्भूत आय	750 रुपए
यूनिट धारक की आय जिसमें छूट प्राप्त आय भी है	75 रुपए
यूनिट धारक की कुल आय	65 रुपए

विवरण :

छूट प्राप्त आय	10 रुपए
"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य	15 रुपए
"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य	50 रुपए

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3, 7, 30, 32, 34 और 46]

भारत में निधि प्रबंधकों का अपतट निधियों के कारबार संबंध गठित नहीं करना

अधिनियम की धारा 9 के विद्यमान उपबंध आय के उन मामलों से संबंधित हैं जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझे जाते हैं। धारा 9 (1) (i) उन परिस्थितियों के समूह उपबंध करती है जिनमें आय भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होती है और भारत में कराधेय है। अनिवासी की आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी जाने की एक शर्त भारत में कारबारी संपर्क की स्थापना होने पर उन क्रियाकलापों से जुड़ी आय जो कारबारी संपर्क का गठन करते हैं, भारत में कराधेय हो (डीटीएए) के अधीन स्रोत देश कतिपय आयों पर कराधान अधिकार प्राप्त कर लेता है यदि उस देश में अनिवासी का स्थायी स्थापन (पीई) है।

और, अधिनियम की धारा 6 उन शर्तों का उपबंध करती है जिनके अधीन कोई व्यक्ति भारत में निवासी माना जाता है। व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के मामले में, परीक्षण इसके "नियंत्रण और प्रबंधन" की अवस्थिति पर निर्भर करता है।

अपतट निधियों के मामले में, विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारत में निधि प्रबंधक की उपस्थिति भारत के साथ अपतट निधि के पर्याप्त संबंध का सृजन कर सकेगी, यद्यपि निधि प्रबंधक स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है। इसी प्रकार, भारत में अवस्थित निधि प्रबंधक अपतट निधि के लिए भारत से बाहर विनिधान के संबंध में निधि प्रबंधन क्रियाकलाप करता है, तो ऐसे विनिधानों से निधि द्वारा प्राप्त लाभ भारत में निधि प्रबंधक की अवस्थिति के कारण भारत में कर के लिए दायी हो सकेंगे और अपतट निधि की ओर से किए गए निधि प्रबंधक के क्रियाकलाप से ऐसे लाभ संबंधित होंगे। इसलिए, निधि प्रबंधक द्वारा निधि प्रबंधन क्रियाकलाप के लिए प्राप्त आय के कराधान के अलावा, भारत से बाहर देशों में किए गए विनिधानों से अपतट निधि की आय भी भारत में ऐसी निधि प्रबंधन क्रियाकलाप करने और भारत से कारबारी संपर्क होने के कारण भारत में कर की दायी होती है। और, कतिपय परिस्थितियों के अधीन निधि प्रबंधक की उपस्थिति के कारण अपतट निधि भारत में इसके नियंत्रण और प्रबंधन होने के कारण भारत में निवासी होती है।

निधि प्रबंधकों की एक बड़ी संख्या है जो भारतीय मूल के हैं और विभिन्न देशों में अपतट निधियों के विनिधान का प्रबंधन कर रहे हैं। ये व्यक्ति अन्य अधिकारिताओं में किए गए अपतट निधियों के विनिधान से आय के संबंध में ऊपर वर्णित कर परिणाम के कारण भारत में अवस्थित नहीं हैं।

अपतट निधियों के निधि प्रबंधकों की अवस्थिति भारत में सुकर बनाने के लिए, अधिनियम में, निधि और निधि प्रबंधक द्वारा कतिपय शर्तों को पूर्ण करने के अध्याधीन, उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप एक विशिष्ट शासन प्रस्तावित किया गया है, —

(i) भारत में विनिधान से निधि में उद्भूत आय के संबंध में कर दायित्व इस तथ्य के प्रति उदासीन होगा कि क्या विनिधान प्रत्यक्ष रूप से निधि द्वारा किया जाता है या भारत में अवस्थित निधि प्रबंधक को संलग्न करके; और

(ii) भारत से बाहर विनिधानों से निधि की आय केवल इस आधार पर भारत में कराधेय नहीं होगी कि ऐसे विनिधानों, के संबंध में निधि प्रबंधन

क्रियाकलाप भारत में अवस्थित निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए हैं।

प्रस्तावित शासन उपबंध करता है पात्र विनिधान निधि के मामले में, ऐसी निधि की ओर से कृत्य करने वाले पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप, भारत में उक्त निधि के कारबारी संपर्क का गठन नहीं करेंगे। और, यह प्रस्ताव किया जाता है कि कोई पात्र विनिधान निधि भारत में मात्र इसलिए निवासी नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसकी ओर से निधि प्रबंधन क्रियाकलाप करने वाला-पात्र निधि प्रबंधक भारत में अवस्थित है। कारबार संपर्क और अपतट निधियों तथा निधि प्रबंधन क्रियाकलापों की "निवासी प्रास्थिति" के अवधारण के लिए साधारण नियमों से यह विशिष्ट अपवाद निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. अपतट निधि से पात्र विनिधान निधि होने के लिए सुसंगत वर्ष के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना अपेक्षित होगा :

- (i) निधि भारत में निवासी नहीं है;
- (ii) निधि उस देश या विशिष्ट राज्य क्षेत्र की निवासी है जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) में या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार किया गया है;
- (iii) भारत में निवासी होकर व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि में संकलित भागीदारी या विनिधान, निधि के समग्र के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो;
- (iv) निधि और क्रियाकलाप देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियमों के अधीन हैं, जहां इसे स्थापित या निगमित किया जाता है या निवासी है;
- (v) निधि में न्यूनतम पच्चीस सदस्य हों, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहबद्ध नहीं हो;
- (vi) सहबद्ध व्यक्तियों के साथ निधि का कोई सदस्य निधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दस प्रतिशत से अधिक भागीदारी हित नहीं रखेगा;
- (vii) निधि में उनके सहबद्ध व्यक्तियों के साथ दस या उससे कम सदस्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल भागीदारी हित, पचास प्रतिशत से कम होगा;
- (viii) किसी सत्ता में निधि द्वारा विनिधान निधि के समग्र के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
- (ix) निधि द्वारा इसकी सहायक सत्ता में कोई विनिधान नहीं किया जाएगा;
- (x) निधि के समग्र का मासिक औसत सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगा और यदि पूर्ववर्ती वर्ष में निधि को स्थापित या निगमित किया गया है, तो निधि को समग्र ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष पर सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।
- (xi) निधि भारत में या भारत से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कारबार नहीं करेगी या उसका नियंत्रण और प्रबंधन नहीं करेगी;
- (xii) पात्र निधि प्रबंधक द्वारा इसकी ओर से किए गए क्रियाकलापों से भिन्न, निधि ना तो किसी क्रियाकलाप में लगी हुई है जो भारत में कारबारी संपर्क का गठन करता है और ना ही इसकी ओर से कोई व्यक्ति कृत्य करता है जिसके क्रियाकलाप भारत में कारबारी संपर्क का गठन करते हैं;
- (xiii) इसकी ओर से किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप के संबंध में पात्र निधि प्रबंधक होने के लिए निधि द्वारा संदत पारिश्रमिक ऐसे क्रियाकलाप की सन्निकट कीमत से कम नहीं है।

2. पात्र निधि प्रबंधक होने के लिए निधि प्रबंधक व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना अपेक्षित होगा :-

- (i) व्यक्ति, पात्र विनिधान निधि का कर्मचारी या निधि से सहबद्ध व्यक्ति न हो;
- (ii) व्यक्ति, विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निधि प्रबंधक या विनिधान सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;
- (iii) व्यक्ति अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में निधि प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हो।
- (iv) अपने सहबद्ध व्यक्तियों के साथ वह व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे निधि प्रबंधक के माध्यम से निधि द्वारा किए गए संव्यवहारों से पात्र विनिधान निधि में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक का हकदार नहीं होगा।

यह और प्रस्तावित है कि प्रत्येक पात्र विनिधान निधि किसी वित्तीय वर्ष में इसके क्रियाकलापों के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंत से नब्बे दिन के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऊपर वर्णित शर्तों को पूर्ण करने, या कोई सूचना या दस्तावेज, जो विहित किया जाए, ये संबंधित सूचना अंतर्विष्ट करते हुए विहित प्ररूप में एक कथन प्रस्तुत करेगा। विहित सूचना या दस्तावेज या कथन प्रस्तुत न करने के मामले में 5 लाख रुपए की शास्ति निधि पर उद्ग्रहणीय होगी।

यह भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि इस शासन से पात्र विनिधान निधि की किसी आय की कराधेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कर से कराधेय होती, चाहे पात्र निधि प्रबंधक के क्रियाकलाप ने ऐसी निधि प्रबंधक के मामले में कुछ आय के विस्तार या कुल आय के अवधारण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए प्रोत्साहन

आंध्र प्रदेश, पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि सरकार दोनों राज्यों में औद्योगीकरण और आर्थिक वृद्धि के संवर्धन के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए उचित राजकोषीय उपाय करेगी, जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों का प्रस्ताव भी है।

किसी प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में विनिर्माण सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आंध्र प्रदेश राज्य तथा तेलंगाना राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में

औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए, निम्नलिखित आय-कर प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है :-

(क) अतिरिक्त विनिधान भत्ता

निर्धारिती द्वारा अर्जित और स्थापित नई आस्ति की लागत का 15% के समतुल्य रकम के अतिरिक्त विनिधान भत्ते का उपबंध करने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 32कघ अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है, यदि -

- (क) वह आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के किन्हीं अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई उपक्रम या उद्यम स्थापित करता है; और
- (ख) उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए नई आस्तियां 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान अर्जित और प्रतिष्ठापित की जाती हैं।

यह कटौती अधिनियम की धारा 32कग के अधीन उपलब्ध वर्तमान कटौती के अतिरिक्त उपलब्ध होगी। तदनुसार, यदि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में किसी कंपनी द्वारा उपक्रम स्थापित किया जाता है तो वह प्रस्तावित धारा 32कघ के साथ-साथ अधिनियम की धारा 32कग में विनिर्दिष्ट शर्तों (जैसे विनिर्दिष्ट सीमा के ऊपर विनिधान) और प्रस्तावित धारा 32कघ के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करता है।

"नई आस्ति" पद से कोई नया संयंत्र या मशीनरी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है -

- (i) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिष्ठापित किए जाने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था ;
- (ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की आवास सुविधा भी है, प्रतिष्ठापित कोई संयंत्र या मशीनरी;
- (iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है;
- (iv) कोई यान;
- (v) कोई पोत या वायुयान; या
- (vi) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसकी सम्पूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाष्य आय की संगणना में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कि विनिर्माण इकाईयों जो यह प्रस्तावित प्रोत्साहन का लाभ लेकर स्थापित की जाती हैं, पर्याप्त समय अवधि के लिए विनिर्माण क्रियाकलाप करके इन पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि में वास्तविक रूप से योगदान करती हैं, संयंत्र या मशीनरी के स्थानांतरण को 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्बंधित करने हेतु उपबंध करने का प्रस्ताव है। तथापि, यह निर्बंधन आमेलन या विसंबद्ध होने या कारबार पुनर्गठन के मामले में लागू नहीं होगा, बल्कि, यथास्थिति, आमेलित कंपनी या परिणामी कंपनी या उत्तरवर्ती को लागू होता रहेगा।

(ख) 35% की दर पर अतिरिक्त अवक्षयण

नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान को प्रोत्साहन देने के लिए, कतिपय निर्धारितियों द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित संयंत्र या मशीनरी की लागत के संबंध में अधिनियम की धारा 32 (1) (iiक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन 20% का अतिरिक्त अवक्षयण अनुज्ञात है। यह अवक्षयण भत्ता, अधिनियम की धारा 32 (1) (ii) के अधीन साधारण अवक्षयण के लिए अनुज्ञात कटौती के अतिरिक्त अनुज्ञात है। आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों को स्थापित करने के लिए संयंत्र और मशीनरी के अर्जन और प्रतिष्ठापन को प्रोत्साहन देने के लिए, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में स्थापित होने वाले विनिर्माण उपक्रम या उद्यम द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित (पोत और वायुयान से भिन्न) नई मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के संबंध में (20% के बजाय) 35% की दर पर उच्चतर अतिरिक्त अवक्षयण को अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है। यह उच्चतर अतिरिक्त अवक्षयण 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए नई मशीनरी या संयंत्र के संबंध में उपलब्ध रहेगा। इस प्रयोजन के लिए पात्र मशीनरी या संयंत्र के अंतर्गत अधिनियम की धारा 32 (1) (iiक) के विद्यमान परंतुक के अनुसार अतिरिक्त अवक्षयण के लिए वर्तमान में पात्र नहीं होने वाले मशीनरी या संयंत्र नहीं होंगे।

अर्जन और प्रतिष्ठापन के वर्ष में 180 दिन से कम के कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई आस्तियों के लिए 50% के इस मोक के विद्यमान निर्बंधन को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 32(1) के दूसरे परंतुक में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। तथापि, मोक का 50% बकाया भी "बकाया 50% अतिरिक्त अवक्षयण का मोक" में विचार किए गए पृथक प्रस्ताव द्वारा ठीक पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में भी अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में भी लागू होंगे।

[खंड 10 और 11]

भू सम्पदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (इनविट) के लिए कराधान शासन

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 ने कारबार न्यासों की बाबत विशेष कराधान शासन को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियम का संशोधन किया था। अधिनियम की धारा 2(13क) में यथापरिभाषित कारबार न्यास के अंतर्गत भू सम्पदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) या अवसंरचना विनिधान न्यास (इनविट) आते हैं जो इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं।

अन्य बातों के साथ साथ आय-कर अधिनियम की भिन्न-भिन्न धाराओं में यथा अंतर्विष्ट कारबार न्यास था, उनके विनिधान कर्ताओं के लिए विद्यमान कर शासन यह उपबंध करता है कि :-

- (i) कारबार न्यास की सूचीबद्ध यूनिटें उनके द्वारा किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार किए जाने पर, प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) की दायी होगी और दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ छूट प्राप्त होगी तथा अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ 15% की दर पर कराधेय होंगे।
- (ii) विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी), जो एक असूचीबद्ध कंपनी है जिसके माध्यम से कारबार न्यासों द्वारा आय उत्पन्न करने वाली आस्तियां कारबार न्यास की यूनिटों के पास अप्रत्यक्ष रूप से रखी जाती हैं, में शेयरों के विनिमय के समय, प्रायोजक को उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाभों के मामले में अभिलाभों का कराधान स्थगित किया जाता है।
- (iii) ऐसे अभिलाभों पर कर प्रायोजक द्वारा यूनिटों के निपटान के समय उद्ग्रहित किया जाना है।
- (iv) तथापि, कारबार न्यास के अन्य यूनिट धारकों को उपलब्ध अधिमानी पूंजी अभिलाभ शासन (एसटीटी के उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप) अंतरण के समय इन यूनिटों की बाबत प्रायोजक को उपलब्ध नहीं है।
- (v) पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए इन यूनिटों की लागत को प्रायोजक के शेयरों की लागत के रूप में समझा जाता है। शेयरों की धारण अवधि ऐसी यूनिटों की धारण अवधि में सम्मिलित की गई है।
- (vi) एसपीवी से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय की बाबत पारण का उपबंध किया गया है, अर्थात् न्यास के हाथों में ऐसी ब्याज आय का कोई कराधान नहीं है और एसपीवी के स्तर पर कोई विधारण कर नहीं है।
- (vii) तथापि, अनिवासी यूनिट धारकों को वितरित आय के ब्याज संघटक के संदाय की दशा में पांच प्रतिशत की दर पर और निवासी यूनिट धारक को वितरित आय के ब्याज संघटक के संदाय की बाबत 10% की दर पर कर का निर्धारण न्यास द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- (viii) न्यास द्वारा प्राप्त लाभांश एसपीवी के स्तर पर लाभांश वितरण कर के अधधीन है और न्यास के हाथों में छूट प्राप्त है और यूनिट धारकों को न्यास द्वारा वितरित आय का लाभांश संघटक भी छूट प्राप्त है।

कारबार न्यास के प्रायोजक को उपलब्ध कराए गए पूंजी अभिलाभों का स्थगन ऐसे प्रयोजक को एसपीवी के शेयरों के प्रत्यक्ष सूचीकरण के मुकाबले में अलाभकारी कर की स्थिति में पहुंचा देता है। यदि एसपीवी के शेयरों को धारण करने वाले प्रायोजक आरंभिक जन स्थापना (आईपीओ) मार्ग से बाहर निकालने का विनिश्चय करता है तो एसटीटी के उद्ग्रहण के अधीन रहते हुए शेयरों के अंतरण पर होने वाले पूंजी अभिलाभों से संबंधित रियायती कर शासन का फायदा उसके लिए उपलब्ध है। ऐसे मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) पर कर 15% की दर पर उद्ग्रहीत किया जाता है और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) अधिनियम की धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त है। तथापि, रियायती शासन का फायदा, स्टॉक विनिमय पर कारबार न्यास के सूचीकरण के समय आयोजक को आरंभिक प्रस्थापना के माध्यम से एसपीवी में उसके शेयर धारण करने के विनिमय में अर्जित न्यास कारबार की यूनिटों को उसके द्वारा त्यागने के समय उपलब्ध नहीं है।

समानता प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव है कि :-

- (i) प्रायोजक यूनिटों के सूचीकरण पर आरंभिक प्रस्थापना के अधीन यूनिटों के त्यागने पर वैसा ही कर व्यवहार प्राप्त करता है, जैसा उसको किसी आईपीओ के माध्यम से अर्तर्निहित शेयर धारण करते समय उपलब्ध हुआ होता, यदि उसने इसे त्याग दिया होता।
- (ii) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का यह उपबंध करने के लिए यह संशोधन किया जाए कि एसटीटी ऐसे कारबार न्यास की ऐसे यूनिटों के विक्रय पर उद्ग्रहित किया जाएगा, जिन्हें वैसे ही आधारों पर आरईआईटी की यूनिटों के सूचीकरण के समय आरंभिक प्रस्थापना के अधीन एसपीवी के शेयरों के बदले में वैसे ही अर्जित की जाती है, जैसे किसी आईपीओ के अधीन असूचीकृत साधारण शेयरों के विक्रय के मामले में अर्जित की जाती है।
- (iii) अधिनियम की धारा 10 (38) के अधीन एसटीसीजी पर 15% की दर पर रियायती कर शासन का फायदा और एलटीसीजी पर छूट, एसटीटी के उद्ग्रहण के अधीन रहते हुए एसपीवी के शेयरों के बदले में प्राप्त यूनिटों के विक्रय पर प्रायोजक को उपलब्ध होगा।

इसके अतिरिक्त कारबार न्यास जो आरईआईटी है के मामले में आय, भाटक आय में प्रमुख प्रकृति की होती है। यह भाटक आय आरईआईटी द्वारा प्रत्यक्षतः धारित आस्तियों से उद्भूत होती है। एसपीवी के स्तर पर प्राप्त भाटक आय आरईआईटी को ब्याज या लाभांश के रूप में सक्रांत हो जाती है, आरईआईटी द्वारा प्रत्यक्षतः प्राप्त भाटक आय, आरईआईटी स्तर पर कराधेय है और पारण फायदा प्राप्त नहीं करती है।

उसके द्वारा प्रत्यक्षतः धारित भूसंपदा संपत्ति से आरईआईटी से उद्भूत भाटक आय को पारण प्रदान करने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि:-

- (i) कारबार न्यास जो भूसंपदा विनिधान न्यास है, ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन अधीन किसी भू-संपदा आस्ति को किराए पर देने या पट्टे पर देने किराए पर देने के रूप में कोई आय छूट प्राप्त होगी;

- (ii) कारबार न्यास से यूनिट धारक द्वारा प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग जो ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन किसी रूप में आप की प्रकृति की है। ऐसी यूनिट धारक की आय के रूप में समझी जाएगी और कर से प्रभारित होगी;
- (iii) आरईआईटी, संक्रात किए जाने के लिए अनुज्ञात भाटक आय पर स्रोत पर कर कटौती करेगा। निवासी यूनिट धारक के मामले में कर की दस प्रतिशत की दर पर कटौती की जाएगी और अनिवासी यूनिटधारकों को वितरण के मामले में कर से प्रभार्य किसी राशि का संदाय अनिवासी को किए जाने पर कर की कटौती के लिए यथालागू प्रवृत्त दर पर कर की कटौती की जाएगी।
- (iv) जहां किसी ऐसे कारबार न्यास को भाटक के रूप में आय संदेय है, जो भू-सम्पदा विनियान न्यास है वहां अधिनियम की धारा 194ठ के अधीन ऐसे कारबार न्यास द्वारा प्रत्यक्षतः धारित किसी भू-सम्पदा आस्ति की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3, 7, 26, 31, 44 और 45]

धारा 194ठघ के अधीन रियायती कर की पात्र अवधि

अधिनियम की धारा 194ठघ, के विद्यमान उपबंध एफआईआई और क्यूएफआई को सरकारी प्रतिभूतियों और रुपया अधिरोहित कारपोरेट बंधपत्रों में उनके विनिधानों पर 1 जून, 2013 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2015 से पहले किसी भी समय संदेय ब्याज की दशा में पांच प्रतिशत की दर पर निम्नतर विधारण कर के लिए उपबंध करती हैं बशर्ते कि ब्याज की दर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक नहीं है।

बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की बाबत धारा 194ठघ के अधीन उपलब्ध कर की घटी हुई दर के फायदे के लिए पात्रता अवधि वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 30 जून, 2015 से 30 जून 2017 तक बढ़ाई गई है।

तदनुसार, धारा 194ठघ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन ब्याज के संदाय पर पांच प्रतिशत विधारण कर की रियायती दर अब 30 जून, 2017 तक संदेय ब्याज पर उपलब्ध होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

[खंड 47]

अनिवासियों के मामले में तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीसों के रूप में आय पर कर की दर में कटौती

अधिनियम की धारा 115क के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी अनिवासी कर दाता के मामले में जहां कुल आय में 01-03-1976 के पश्चात् सरकार से या किसी भारतीय समुत्थान से ऐसे अनिवासी द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस के रूप में कुल आय (एफटीएस) सम्मिलित है और जो भारत में अनिवासी के स्थाई स्थापन, यदि कोई हो, से प्रभावी रूप से संबंधित नहीं है, वहां कर ऐसी आय की सकल रकम पर 25% की दर पर उद्ग्रहीत किया जाएगा। 25% की इस दर का वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा उपबंध किया गया था।

25% के कर की उंची दर के कारण लघु अस्तित्वों द्वारा सामना की गई कठिनाई को कम करने के लिए अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे 10% तक अनिवासियों के लिए किए गए स्वामिस्व और एफटीएस संदायों पर धारा 115 के अधीन उपबंधित कर की रकम को कम किया जा सके।

यह संशोधन 01-04-2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

नए कर्मकारों के नियोजन के लिए कटौती

धारा 80अजकक, में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ किसी कंपनी में माल के विनिर्माण से व्युत्पन्न होने वाले लाभों का किसी भारतीय कंपनी को लाभों की कटौती का उपबंध करते हैं। अनुज्ञात कटौती की मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष सहित पूर्व वर्ष में तीन निर्धारण वर्षों के लिए जिसमें ऐसा नियोजन प्रदान किया जाता है, ऐसे कारखाने में निर्धारिती द्वारा नियोजित नए नियमित कर्मकार को संदत्त अतिरिक्त मजदूरियों का तीस प्रतिशत के बराबर है।

उपधारा 2 का खंड (क) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि उपधारा 1 के अधीन कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी यदि कारखाना किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन के परिणामस्वरूप विद्यमान अस्तित्व से हटा दी जाती है या अंतरित कर दी जाती है या निर्धारिती कंपनी द्वारा अर्जित कर ली जाती है। धारा का स्पष्टीकरण "अतिरिक्त मजदूरी" को परिभाषित करता है जिससे पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित सौ कर्मकारों से अधिक नए नियमित कर्मकारों को संदत्त मजदूरी अभिप्रेत है।

रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे विनिर्माणकारी यूनिटों को रखने वाले सभी निर्धारितियों को फायदा दिया जा सके, न कि उसे केवल निगमित निर्धारितियों तक निर्बंधित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस प्रोत्साहन का दावा करने हेतु लघुतर यूनिटों को समर्थ बनाने के लिए सौ व्यक्तियों की बजाए पचास व्यक्तियों को भी नियोजित करने वाली यूनिटों को इस धारा के अधीन फायदा देने का प्रस्ताव है।

तदनुसार, पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है। स्पष्टीकरण के खण्ड (i) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे "अतिरिक्त मजदूरी" का उपबंध किया जा सके जिसका अभिप्राय पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित पचास कर्मकारों से अनधिक नए नियमित कर्मकारों को संदत्त मजदूरी अभिप्रेत है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 22]

शेष पचास प्रतिशत अवक्षयण की मोक

विनिर्माण कार्य और विद्युत सैक्टर द्वारा संयंत्र या मशीनरी में विनिधान को प्रोत्साहित करने के लिए अर्जित और संस्थापित नए संयंत्र या मशीनरी की लागत का 20% अतिरिक्त अवक्षयण साधारण अवक्षयण मोल के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 32(1) (ii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन अनुज्ञात की जाती है। साधारण अवक्षयण मोक की अनुज्ञेयता के आधार पर अन्य बातों के साथ धारा 32(1) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि अतिरिक्त अवक्षयण उस समय 50% तक की सीमा तक होगा जब निर्धारिती द्वारा अर्जित और संस्थापित नया संयंत्र या मशीनरी पूर्ववर्ती वर्ष में एक सौ अस्सी दिन की कम अवधि के लिए कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्ष की दूसरी छःमाही में नए संयंत्र या मशीनरी के अर्जन और संस्थापन के लिए अतिरिक्त अवक्षयण का पूर्ण 100% की अनुपलभ्यता का निर्धारिती द्वारा अगले वर्ष में लाभ लेने के लिए अगले वर्ष तक ऐसे विनिधान को स्थगित करने के लिए निर्धारिती को प्रेरित कर सकती है। 180 दिन से कम के लिए प्रयोग की गई और 180 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए प्रयोग की गई संयंत्र या मशीनरी पर अतिरिक्त अवक्षयण अनुज्ञात करने के विषय में विभेद को हटाने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अर्जित नया संयंत्र या मशीनरी और जिसका 180 दिन से कम के लिए प्रयोग किया गया है, जिसे ऐसे संयंत्र या मशीनरी के अर्जन और संस्थापन के वर्ष में अनुज्ञात नहीं किया गया है, का शेष 50% ठीक उत्तरवर्ती पूर्व वर्ष में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

घ. कारबार करने की सहजता/विवाद समाधान

अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंधों से संबंधित स्पष्टता

अधिनियम की धारा 9 के विद्यमान उपबंध ऐसी आय से जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गयी है के मामलों से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) एक विभिन्न कल्पना का सृजन करती है कि कतिपय आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी। उपधारा (1) का खण्ड (i) ऐसी परिस्थितियों के समुच्चयों का उप बंध करता है जिसमें आय प्रोद्भूत या उद्भूत, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कराधेय है। उक्त खण्ड यह पबंध करता है कि भारत में किसी कारबारी समर्पक के द्वारा या उससे, भारत में किसी सम्पत्ति के द्वारा या उससे भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के द्वारा या उससे या भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण के द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी।

वित्त अधिनियम, 2012 ने धारा 9 के उपबंधों में कतिपय स्पष्टीकारक संशोधनों को अंतःस्थापित किया था। संशोधनों ने अन्य बातों के साथ 01/04/1962 से धारा 9 (1) (i) में स्पष्टीकरण 5 के अंतःस्थापन को सम्मिलित किया। स्पष्टीकरण 5 यह स्पष्ट करता है कि ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उस शेयर का हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है। इन संशोधनों के प्रभाव और विस्तार से संबंधित विभिन्न पणधारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करते हुए संशोधनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए सरकार द्वारा डा. पार्थासारथी सोम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और कई सिफारिशों (या तो पूर्ण रूप में या आंशिक उपांतरण के साथ) को या तो अधिनियम के किसी संशोधन के रूप में या यथा समय पर कोई स्पष्टीकारक परिपत्र जारी करने के रूप में लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए अप्रत्यक्ष उपांतरण से संबंधित धारा 9 के उपबंधों में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है :-

- (i) किसी विदेशी कंपनी या सत्ता के शेयर या हित का, भारत में अवस्थित आस्तियों से (चाहे मूर्त हो या अमूर्त) अपना मूल्य सारतः प्राप्त करना समझा जाएगा। यदि विनिर्दिष्ट तारीख को भारतीय आस्तियों का मूल्य, -
 - (क) दस करोड़ रुपये की रकम से अधिक हो जाता है, और
 - (ख) कंपनी या सत्ता के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।
- (ii) किसी आस्ति का मूल्य से आस्ति के संबंध में, दायित्वों को, यदि कोई हो, घटाए बिना ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत हैं ;
- (iii) मूल्यांकन की विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी तारीख जिसको यथास्थिति कंपनी या सत्ता की लेखा मध्यावधि अंतरण भी तारीख के पूर्व समाप्त होती है अभिप्रेत है।
- (iv) तथापि, यदि उपांतरण की तारीख पर कंपनी की आस्तियों का बही मूल्य उपांतरण की तारीख से पूर्व पिछले तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के बही मूल्य से कम से कम 15% अधिक हो जाता है, तब उपरोक्त (iii) में उल्लिखित तारीख की बजाय, विनिर्दिष्ट तारीख उपांतरण की तारीख होगी।
- (v) विदेशी कंपनी के वैश्विक आस्तियों की तुलना में भारतीय आस्तियों के उचित बाजार मूल्य के अवधारण की रीति को नियमों में विहित किया जाएगा।

- (vi) भारत में अवस्थित आस्तियों से अपना मूल्य सारतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न किसी शेयर या हित के अंतरण पर उद्भूत होने वाले अभिलाभ का कराधान समानुपातिक आधार पर होगा। समानुपातिक रूप से अवधारण के लिए पद्धति को नियमों में उपबंधित किया जाएगा।
- (vii) किसी विदेशी सत्ता में शेयर या हित में अंतरक को छूट उपलब्ध रहेगी यदि वह अपने सहबद्ध उद्यमों के साथ,
- (क) न तो नियंत्रण या प्रबंधन का अधिकार धारित करता है।
- (ख) और न ही प्रत्यक्ष रूप से धृति भारतीय आस्तियों (प्रत्यक्ष वृद्धि कंपनी) का विदेश कंपनी या सत्ता में कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति, या शेयर पूंजी या हित धारित करता है।
- (viii) किसी विदेशी सत्ता, जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय आस्तियों को धारित नहीं करती है, में शेयर या हित का अंतरण है की दशा में, तब दूर अंतरक को उपलब्ध रहेगी यदि वह अपने सहबद्ध उद्यमों के साथ -
- (क) न तो ऐसी कम्पनी या सत्ता के संबंध में प्रबंधन या नियन्त्रण का अधिकार धारित करता है।
- (ख) और न ही ऐसी कम्पनी में ऐसा कोई अधिकार धारित करता है जो या तो उसे प्रत्यक्ष धृति कम्पनी या सत्ता में नियन्त्रण या प्रबंधन करने का हकदार बनाए या उसे प्रत्यक्ष धृति कम्पनी या सत्ता में पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति का हकदार बनाए।
- (ix) कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए छूट किसी ऐसी विदेशी कम्पनी जो विदेशी कम्पनी का समामेलित विदेशी कम्पनी से समामेलन द्वारा धारित, किसी भारतीय कम्पनी के शेयर या शेयरों की अपना सारतः मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न है के शेयर होने पर, पूंजी आस्ति के समामेलन की किसी स्कीम में किसी अंतरण के संबंध में उपलब्ध रहेगी।
- (x) कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट किसी ऐसी विदेशी कम्पनी जो विदेशी कम्पनी के परिणाम स्वरूप विदेशी कम्पनी से अविलय द्वारा धारित, किसी भारतीय कम्पनी के शेयर या शेयरों की अपना सारतः मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न है, के शेयर होने पर किसी पूंजी आस्ति के अविलय में किसी अंतरण के संबंध में उपलब्ध रहेगी।
- (xi) भारतीय समुत्थान पर जिसके माध्यम या जिसमें भारतीय आस्तियां विदेशी कंपनी या सत्ता द्वारा धारित है, रिपोर्ट करने का दायित्व होगा। भारतीय अस्तित्व पर भारतीय कंपनी या सत्ता के स्वामित्व संरचना या नियन्त्रण को उपांतरित करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के प्रभाव वाले अपतट संव्यवहार से संबंधित सूचना प्रदान करने का दायित्व होगा भारतीय समुत्थान की ओर से किसी असफलता की दशा में, इस संबंध में कोई शास्ति उद्ग्रहीत की जाएगी। प्रस्तावित शास्ति निम्नलिखित होगी-
- (क) उस संव्यवहार जिसके संबंध में ऐसी असफलता हुई है, के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की राशि, जहां ऐसे मामले में जहां संव्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय समुत्थान के संबंध में प्रबंधन या नियन्त्रण के अधिभार को अंतरण करने का प्रभाव था; और
- (ख) किसी अन्य मामले में पांच लाख रुपये की राशि

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्तुर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5, 13, 14, 72, 75, और 76]

विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए सीमा बढ़ाना

अधिनियम की धारा 92खक के विद्यमान उपबंधों में "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को परिभाषित किया गया है इससे किसी निर्धारितियों की दशा में किसी ऐसे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों का कोई संव्यवहार अभिप्रेत है, जो अंतराष्ट्रीय संव्यवहार न हो, जहां पूर्ववर्ष में निर्धारितियों द्वारा किए गए ऐसे संव्यवहारों का योग पांच करोड़ रुपए की राशि से अधिक हो।

पांच करोड़ रुपए की निम्न सीमा के मद्दे लघु व्यापार के मामले में अनुपालन लागत के विवाद को सुलझाने के लिए धारा 92खक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे संव्यवहार को "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" के रूप माने जाने के लिए निर्धारितियों द्वारा पूर्ववर्ष में किए गए विनिर्दिष्ट संव्यवहार का योग बीस करोड़ रुपए की राशि से अधिक होना चाहिए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्तुर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 24]

आय-कर अधिनियम में पूर्त प्रयोजन की परिभाषा का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 11 के अधीन किसी न्यास या संस्थान को छूट प्रदान करने के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय भारत में पूर्त प्रयोजनों के लिए अनुप्रयुक्त होनी चाहिए। 'पूर्ण प्रयोजन' अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित किया गया है। धारा अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि सामान्य लोक उपयोगी के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप करना अर्न्तवर्तित है भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उद्योग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो। तथापि, यह निर्बंधन लागू नहीं होगा यदि उपरोक्त निर्दिष्ट क्रियाकलापो से प्राप्तियों का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष में पच्चीस लाख रुपए या उससे कम है।

वे संस्थान जिन्हें वास्तविक पूर्व क्रियाकलाप के रूप में योग पर पुस्तके प्रकाशित करना या कार्यक्रम करने जैसे क्रियाकलाप में या उन उद्देश्यों को जो पूर्त प्रकृति के हैं, को वास्तविक रूप से करने के रूप में अन्य कार्यक्रमों को करने में धारा 2(15) के पहले परंतुक के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान समय में योग का क्रियाकलाप संकेन्द्रण क्षेत्रों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा भी इसे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। अतः शिक्षा के अनुरूप पूर्ण प्रयोजन की परिभाषा में किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के रूप में इसे सम्मिलित करना प्रस्तावित है।

जहां तक सामान्य लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने का संबंध है, परोपकार की आड़ में कारबार के क्रियाकलाप से निवारण करने के उद्देश्य और इसके के साथ न्यास और संस्थान के प्राथमिक उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति करने वाले भाग के रूप वास्तविक संगठन द्वारा किये गये क्रियाकलापों का निवारण वाले के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह उपबंध पूर्ण-प्रयोजन की परिभाषा का संशोधन करने के लिए है कि साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का वर्धन, पूर्ण प्रयोजन नहीं होगा। यदि ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग की प्रकृति या अनुप्रयोग या बनाए रखने से इतर, उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए इसमें व्यापार वाणिज्य या कारबार का कोई क्रियाकलाप अथवा ऐसे व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा देने का क्रियाकलाप अंतर्गलित है, यदि,-

- (i) ऐसा क्रियाकलाप साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के ऐसे वास्तविक वर्धन के क्रम में नहीं किया जाता है; और
- (ii) पिछले वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलाप या क्रियाकलापों से संकलित प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के लिए ऐसा क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने वाले न्यास या संस्था की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अनधिक नहीं है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

समाशोधन निगमों की कोर समझौता प्रत्याभूति निधि (एसजीएफ) की आय को छूट

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 (एसईसीसी) के उपबंधों के अधीन, समाशोधन निगमों को विनियम के क्रमवर्ती हिस्सों में निष्पादित व्यापारों के समझौते की प्रत्याभूति के लिए प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के प्रत्येक हिस्से के लिए, कोर समझौता प्रत्याभूति निधि (कोर एसजीएफ) नामक निधि स्थापित करने का आदेश है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या भारत में वाणिज्य विनियमों द्वारा निक्षेपागार द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण निधि को अभिदायों के रूप में आय, कराधान से छूट प्राप्त होगी।

इसी प्रकार, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या वाणिज्य एक्सचेंज या निक्षेपागार द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण निधि के मामले में यथा उपबंधित समान शर्तों के अधीन समाशोधन निगम द्वारा निधि द्वारा किए गए विनिधान और अधिरोपित शास्तियों से प्राप्त अभिदाय से उद्भूत कोर एसजीएफ की आय को छूट देने का प्रस्ताव है।

तथापि, किसी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जहां निधि में प्रत्यय और आय-कर से प्रभारित न होने वाली कोई रकम, विनिर्दिष्ट व्यक्ति से या तो पूर्णतः या अंशतः साझा की जाती है तो इस प्रकार साझा की गई संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें ऐसी रकम साझा की जाती है।

इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति से कोई मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम अभिप्रेत है जो कोर समझौता प्रत्याभूति निधि की स्थापना और अनुसूक्षण करता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

उन मामलों की आय सीमा बढ़ाना जिनका विनिश्चय एकल सदस्यीय आय-कर अपील अधिकरण खण्डपीठ द्वारा किया जाए

आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध एकल सदस्यीय खण्डपीठ और विशेष खण्डपीठ के गठन का उपबंध करते हैं। यह उपबंध करते हैं कि एकल सदस्यीय खण्डपीठ उस किसी भी मामले का निपटारा कर सकेगी जो उस निर्धारिती से संबंधित है जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है। एकल सदस्यीय खण्डपीठ के लिए पांच लाख रुपये की सीमा पिछली बार 1998 में पुनरीक्षित की गई थी। तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एकल सदस्य से मिलकर बनी खण्डपीठ उस मामले का निपटारा कर सकेगी, जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित कुल आय पंद्रह लाख रुपये से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

[खंड 64]

पारस्परिक निधियों की समान स्कीमों के विलय पर कर उदासीनता

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड समान विशेषताओं वाली विभिन्न स्कीमों को समेकित करने के लिए पारस्परिक निधियों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे सरल और कम संख्या में स्कीमों हों। तथापि, ऐसे विलयों/समेकनों को अंतरण माना जाता है और आय-कर अधिनियम के अधीन यूनिट धारकों पर पूंजी अभिलाभ अधिरोपित किए जाते हैं।

विनिधानकर्ताओं के हित में पारस्परिक निधियों की ऐसी स्कीमों के समेकन को सुकर बनाने के लिए पारस्परिक निधि स्कीमों के समेकन या विलय पर यूनिट धारकों को कर उदासीनता प्रदान करने का प्रस्ताव है, परंतु यह कि साम्योन्मुख निधि से भिन्न, साम्योन्मुख निधि की दो या अधिक स्कीमों का समेकन हो। यह और प्रस्ताव है कि समेकित स्कीमों की यूनिटों के अर्जन की लागत समेकित स्कीम में यूनिटों की लागत होगी और समेकित स्कीम की यूनिटों को धारण करने की अवधि के अंतर्गत वह अवधि होगी जिसके लिए समेकित स्कीमों में यूनिट निर्धारिती द्वारा धारण की गई थीं। समेकित स्कीम को परिभाषित करने

का भी प्रस्ताव है, जिससे आशय पारस्परिक निधि की उस स्कीम से है जिसका विलय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार स्कीम के समेकन की प्रक्रिया के अधीन होता है और समेकित स्कीम से आशय उस स्कीम से जिससे समेकित स्कीम का विलय होता है या जो ऐसे विलय के परिणामस्वरूप बनती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 13 और 14]

प्रक्रिया जब निर्धारिती दावा करता है कि विधि समक्ष लंबित है

आय-कर अधिनियम की धारा 158क उपबंध करता है कि जहां कोई निर्धारिती यह दावा करता है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके ऐसे मामले में जो निर्धारण अधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, ऐसे मामले में उद्भूत होने वाला कोई विधि का प्रश्न किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसके ऐसे मामले से जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित है, उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्न के समरूप है वहां वह, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अपील प्राधिकारी को ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि निर्धारण अधिकारी अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय को सुसंगत मामले में लागू करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में नहीं उठाएगा।

वर्तमान में, पश्चात्कर्ती वर्षों के लिए विभागीय पीलों का निराकरण करने के लिए कोई समरूप उपबंध नहीं है, जहां विभाग किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए विधि के समरूप प्रश्न पर अपील में है। परिणामस्वरूप, विधि के समरूप प्रश्न पर राजस्व द्वारा वर्ष अपीलें फाइल की जाती हैं; जब तक कि इसकी अंतिम विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता, अतः मुकदमेबाजी बढ़ जाती है।

तदनुसार, धारा 158कक अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में उद्भूत होने वाला विधि का कोई प्रश्न ऐसे किसी अन्य निर्धारण वर्ष के अपने मामले उद्भूत होने वाले विधि के ऐसे प्रश्न जो निर्धारिती के पक्ष में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राजस्व द्वारा फाइल संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन किसी अपील या विशेष इजाजत याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, के समान है, वहां आयुक्त या प्रधान आयुक्त धारा 253 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन अपील अधिकरण को करने के लिए निर्धारण अधिकारी के निदेश देने की बजाए यह कथन करते हुए आयुक्त (अपील) के आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर विहित प्ररूप में अपील अधिकरण को आवेदन करने के लिए निर्धारण अधिकारी निदेश दे सकेगा कि सुसंगत मामले में उद्भूत विधि के प्रश्न पर अपील उस समय फाइल की जा सकती है जब विधि के प्रश्न पर विनिश्चय मामले में अन्तिम हो जाता है।

यह उपबंध करने यह और प्रस्ताव है कि आयुक्त या प्रधान आयुक्त उपधारा(1) के अधीन केवल तब कार्यवाही करेगा जब इस प्रभाव के लिए निर्धारिती से स्वीकृति प्राप्त है कि अन्य मामले में विधि का प्रश्न सुसंगत मामले में उद्भूत प्रश्न के समान है। तथापि, यदि कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त धारा 253 की धारा (2) या धारा (2क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और तदनुसार, यदि वह आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के प्रति आक्षेप करता है तो अपील अधिकरण में अपील करने के लिए निर्धारण अधिकारी को निदेश दे सकेगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां आयुक्त (अपील) का आदेश अन्य मामले में (यदि उच्चतम न्यायालय विभाग के पक्ष में) पूर्वतर मामले का विनिश्चय करता है) विधि के प्रश्न अन्तिम विनिश्चय के अनुरूप नहीं है तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त ऐसी तारीख के साठ दिन के भीतर, जिसको उच्चतम न्यायालय का आदेश आयुक्त या प्रधान आयुक्त को संसूचित किया जाता है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने के लिए निर्धारण अधिकारी को निदेश दे सकेगा और इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अध्याय 20 के भाग ख के सभी अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

ये संशोधन 1 जून, 205 से प्रभावी होंगे।

[खंड 39]

विदेशी कर प्रत्यय के लिए नियम अधिसूचित करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाना

आय-कर की धारा का की उपधारा (1) ऐसी आय पर आयकर की बाबत अनुतोष के लिए उपबंध करता है जिस पर भारत में और उस देश में जिसमें जिसके साथ कोई दोहरा कराधान परिवर्जन करार (डीटीए) नहीं है कर लगाया जाता है। धारा यह उपबंध करती है कि भारतीय निवासी कर की भारतीय कर या उक्त देश की कर की दर पर, जो भी कम हो, ऐसे लागू कर दोहरे आय पर ऐसी संगणित राशि की भारतीय आयकर से कटौती के लिए हकदार है। उन देशों के मामलों में, जिनके साथ भारत धारा 90क के अधीन दोहरे कराधान के परिवर्जन के प्रयोजनों के लिए करार किया है, आय पर लगाया गया दोहरा कर आय कर की बाबत अनुतोष संबंधित डीटीए के अनुसार उपलब्ध है।

आयकर भारत से बाहर किसी देश में संदत्त करों के प्रत्यय को प्रदान की रीति का प्रावधान नहीं करता है। आयकर की धारा 295 की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिनियम के अधीन संदेय आयकर के विरुद्ध धारा 90, या धारा 90क या धारा 91 के अधीन भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में संदत्त किसी आयकर का यथास्थिति, अनुतोष या कटौती मंजूर करने की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 205 से प्रभावी होगा।

[खंड 78]

धन कर अधिनियम, 1957 (ध.क. अधिनियम) असमानताओं को कम करने के दोहरे मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा प्रति परीक्षाओं के माध्यम से आयकर अधिनियम के प्रवर्तन में सहायता करने के लिए प्रो. निकोलस कल्डोर की सिफारिश पर 01.04.1957 से आरंभ किया गया था। तदनुसार, निर्धारितियों की सभी आस्तियों को शुद्ध धन की संगणना के लिए हिसाब में लिया गया था। 1-4-1993 से वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा राजा जे.चेलिया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति की सिफारिश पर धन कर, के उदग्रहण को पूर्णतः पुनरीक्षित किया गया था। चेलिया समिति उन मदों को छोड़ कर जिन्हें धन के अनुत्पादक रूपों के रूप में माना जा सकता है, या अन्य मदों जिनका कब्जा धर्मजतः सामाजिक हित की दृष्टि से हतोत्साहित किया जा सकता था, धन की सभी मदों की बाबत धन कर के उत्पादन की सिफारिश की थी।

इस समय, धन कर किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब पर उद्ग्रहीत किया जाता है यदि ऐसे व्यक्ति का शुद्ध धन मूल्यांकन तारीख अर्थात् पूर्व वर्ष की अन्तिम तारीख को 30 लाख रुपए से अधिक है। कराधेय शुद्ध धन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, केवल कुछ विनिर्दिष्ट आस्तियों को हिसाब में लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान धनकर को उद्ग्रहण से वास्तविक संग्रहण केवल 788.67 करोड़ रु. का था और वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान यह केवल 844.12 करोड़ रुपए था। धनकर निर्धारिती की संख्या वर्ष 2011-12 में लगभग 1.15 लाख थी। यद्यपि राजस्व की सांकेतिक रकम ही धनकर के उद्ग्रहण से संग्रहीत किया जाता है, यह उद्ग्रहण निर्धारितियों पर अनुपालन भार और साथ ही विभाग पर प्रशासनिक भार की उल्लेखनीय रकम सृजित करता है। यही कारण है कि निर्धारितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शुद्ध धन की संगणना के लिए और उक्त आभूषण जैसी कतिपय आस्तियों के लिए धनकर नियम के उपबंधों के अनुसार आस्तियों का मूल्यांकन करें; उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट अभिप्राप्त करें। इसके अतिरिक्त; ऐसी आस्तियां जो धन कर के उद्ग्रहण के लिए विनिर्दिष्ट हैं; जैसे आभूषण, लग्जरी कारें आदि अनुत्पादक होने के कारण उनका पता लगाना कठिन होता है और यह उन आस्तियों, जो धन कर के लिए दायी हैं, की कम रिपोर्ट/अवमूल्यांकन करने के लिए निर्धारितियों को एक अवसर प्रदान करता है। इसके कारण, गत वर्षों में धनकर के संग्रहण ने कोई विशेष वृद्धि नहीं दर्शायी है और इसका परिणाम केवल निर्धारितियों पर अननुपातिक अनुपालन का भार तथा विभाग पर प्रशासनिक भार है। अतः, 1 अप्रैल, 2016 से धनकर अधिनियम, 1957 के अधीन धनकर के उद्ग्रहण को उत्साहित करने का प्रस्ताव किया जाता है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि व्यक्तियों के उच्च शुद्ध मूल्य कर लगाने के उद्देश्य अधिक आय अर्जित करने वाले कर दाता पर अधिभार उद्ग्रहीत करके प्राप्त किया जाएगा क्योंकि अधिभार का उद्ग्रहण संग्रहीत और मानीटर करना सरल है और निर्धारिती पर परिणाम कोई अनुपालन भार तथा विभाग पर प्रशासनिक भार नहीं होता है। इस रकम पर अतिरिक्त अधिभार के उद्ग्रहण के बारे में ब्यौरे शीर्ष "आयकर की दें" के अधीन दिए गए हैं। यह भी प्रस्ताव है कि उन आस्तियों से संबंधित (जानकारी जिनको वर्तमान में धनकर विवरणी में दिया जाना है, आय कर विवरणी को उपयुक्ततः उपांतरित करके प्राप्त की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 79]

व्यष्टिक करदाताओं के लिए फायदे

सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम के अधीन, बालिका के लिए धारा 80ग के अधीन कर फायदा

जुलाई 2014 की बजट घोषणा के अनुसरण में, सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अधीन बालिकाओं के कल्याण के लिए एक विशेष लघु बचत लिखत का प्रारंभ किया गया। सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम में निम्नलिखित कर के फायदे परिकल्पित किए गए:-

- (i) स्कीम में किए गए विनिधान धारा 80ग के अधीन कटौती के पात्र होंगे।
- (ii) ऐसे खातों में निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज पर आय कर से छूट दी जाएगी।
- (iii) उक्त स्कीम के नियमों के अनुसार उक्त स्कीम से आहरण पर कर में छूट होगी।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 10 में एक नए खंड (11क) के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जाए कि सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अनुसार खोले गए खाते से किसी संदाय को निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। परिणाम स्वरूप, स्कीम के अधीन किसी खाते में जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज और उससे निकासी छूट प्राप्त होगी।

स्कीम को, अधिसूचना सं.9/2015 एस.ओ. 210(ड), फा.सं.178/3/2015-आईटीए-1, तारीख-21-01-2015 द्वारा धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (viii) के अधीन अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम की धारा 80ग में पारिमाणिक संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि स्कीम में वर्ष के दौरान, व्यष्टिक की बालिका के नाम पर या किसी बालिका के नाम पर जिसका ऐसा व्यष्टिक विधिक अभिभावक है, के लिए राशि संदत्त या जमा की गई हो, अधिनियम की धारा 80ग के अधीन कटौती की पात्र होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा आने वाले निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7 और 15]

धारा 80घ में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती के संबंध में संशोधन

धारा 80घ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, साथ निम्नलिखित में कटौती का उपबंध करते हैं:-

- (क) निर्धारिती या उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम को या ऐसी अन्य स्कीम की जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए या निर्धारिती या उसके कुटुम्ब की निवारक स्वास्थ्य जांच मंद्द किया गया कोई संदाय, जो मिलकर पन्द्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो; और
- (ख) निर्धारिती के माता या पिता या माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए पंद्रह हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती का उपबंध।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संदर्भ में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए समान कटौती उपलब्ध है। एचयूएफ के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा को जारी रखने के लिए, नकद के सिवाय किसी अन्य प्रकार से संदत्त किया जाए। यदि बीमित व्यष्टिक साठ वर्ष की आयु या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक है तो दोनों मामलों में वर्तमान में धारा बीस हजार की कटौती को उपबंध करती है।

वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के संदर्भ में धारा 80घ के अधीन व्यक्ति तथा (एचयूएफ) के लिए कटौती की मात्रा 15000/- रु. और 20,000/- (वरिष्ठ नागरिक के लिए) नियत की गई है। चिकित्सीय व्यय की लागत में लगातार वृद्धि को देखते हुए, कटौती की सीमा को 15000/-रु. से 25,000/- तक बढ़ाने के लिए धारा 80घ का संशोधन करने का प्रयोजन है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती की सीमा को 20000/- रु. से 30,000/- रु. तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

यह और कि अति वरिष्ठ नागरिक अक्सर स्वास्थ्य बीमा कवरेज लेने में असमर्थ रहते हैं और इस प्रकार धारा 80घ के अधीन कर फायदा लेने में असमर्थ रहते हैं। तदनुसार, अतिवरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कदम के तौर पर, यह प्रयोजन करने का उपबंध किया जाता है कि अति वरिष्ठ नागरिक के चिकित्सीय व्यय खाते के संदर्भ में किए गए संदाय, यदि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा को प्रभावी रखने के लिए को संदाय नहीं किया गया, जो 30,000/-रु. से अधिक नहीं है, को धारा 80घ के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और चिकित्सीय व्यय पर किसी व्यक्ति को प्राप्त संकलित कटौती तथापि 30,000/-रु. तक सीमित होगी। इसी प्रकार माता-पिता के संबंध में इसी प्रकार स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और उपगत चिकित्सा व्यय तीस हजार रुपये तक सीमित होगा।

उदाहरण:

रु.

(i) व्यक्ति और उसके परिवार के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए	21,000
(ii) माता पिता के लिए माता का स्वास्थ्य बीमा	18,000
पिता पर चिकित्सीय व्यय (अति वरिष्ठ नागरिक)	15,000

पात्र कटौती

धारा 80घ के अधीन 21,000/-रु.+30,000/-रु.=51,000/-रु.

‘अति वरिष्ठ नागरिक’ की परिभाषा के प्रयोजन के लिए यह अभिप्रेत है कि सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय में भारत में कोई व्यक्ति निवासी जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में और पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगे।

[खंड 18]

धारा 80घघख के अधीन कटौती की सीमा को बढ़ाना

अधिनियम की धारा 80घघख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारित, जो भारत में निवासी है, को 40,000/-रु. से अनधिक की कटौती अनुज्ञात है, यदि वह रकम वास्तव में कतिपय चिरकालिक और दीर्घकालिक रोग जैसे कि कैंसर, एड्स की गंभीर अवस्था, थैलीसीमीया, हैमोफिलिया आदि के चिकित्सीय उपचार पर संदाय किया गया है। यह कटौती 60,000/-रु. तक अनुज्ञात है, जहां व्यय वरिष्ठ नागरिक के संबंध में है अर्थात् कोई व्यक्ति जो सुसंगत पिछले वर्ष में किसी समय के दौरान साठ वर्ष की आयु का है या उससे अधिक का है।

उपर्युक्त कटौती किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या आश्रित संबंधी पर खर्च हुए चिकित्सीय व्यय के लिए उपलब्ध है। यह हिन्दू अभिवक्त कुटुम्ब (एचयूएफ) को ऐसे खर्चों जो उसके सदस्यों पर हुए हैं के लिए उपलब्ध है। व्यक्ति की दशा में आश्रित से दम्पति, बालक, माता पिता, व्यक्ति के भाई या बहन अभिप्रेत हैं और एचयूएफ की दशा में एचयूएफ का एक सदस्य पूर्णतः या मुख्यतः ऐसे व्यक्तियों या एचयूएफ पर उसके समर्थन और अनुक्षण के लिए आश्रित होता है।

इस धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी तंत्रिका विज्ञानी, कर्क रोग विज्ञानी, रूधिर रोग विज्ञानी, मूत्र विज्ञानी, प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ जो सरकारी अस्पताल में कार्य कर रहे हैं; से विहित प्ररूप में प्रमाणपत्र अपेक्षित है। ऐसा प्रतिनिधित्व किया गया है कि उपरोक्त कटौती का दावा करने का आशय रखने वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी अस्पताल में कार्य कर रहे डाक्टर से प्रमाण पत्र अपेक्षित होना अनावश्यक कठिनाई का कारण बनता है। बहुत स्थानों पर सरकारी अस्पतालों में ऐसी चिकित्सा शाखाओं के डाक्टर विशेषज्ञ नहीं हैं। इस और अन्य कारणों से, करदाता के लिए सरकारी अस्पताल से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना कठिन होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा 80घघख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारित से इस कटौती का लाभ लेने के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से नुस्खा प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, "अति वरिष्ठ नागरिक" के चिकित्सीय उपचार की बाबत व्यय के लिए अस्सी हजार रुपए तक की कटौती की उच्चतर सीमा के लिए उपबंध करने हेतु धारा 80घघख का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। "अति वरिष्ठ नागरिक" का भारत में व्यक्ति निवासी के रूप में परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है जिसकी सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 20]

निःशक्तता और घोर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए धारा 80घघ और धारा 80प के अधीन कटौती की सीमा बढ़ाना

अन्य बातों के साथ, धारा 80घघ के विद्यमान उपबंध ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अभिवक्त कुटुम्ब के लिए कटौती का उपबंध करता है जो भारत का नागरिक है और जिसने-

- (क) उक्त धारा के अधीन यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति होने के कारण आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार (जिसमें नर्सिंग भी है) प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए व्यय उपगत किया है; या

(ख) निःशक्त आश्रित व्यक्ति के भरण पोषण के लिए स्कीम की बाबत जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता को किसी रकम का संदाय किया है।

वर्तमान में धारा पचास हजार रुपए की कटौती के लिए उपबंध करती है यदि आश्रित व्यक्ति निःशक्तता से ग्रस्त है और एक लाख रुपए यदि आश्रित व्यक्ति घोर निःशक्तता (जैसा उक्त धारा के अधीन परिभाषित है) से ग्रस्त है।

अन्य बातों के साथ, धारा 80प के वर्तमान उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति, जो एक निवासी है, के लिए कटौती के लिए उपबंध करता है जिसको पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय उक्त धारा के अधीन यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

उक्त धारा पचास हजार रुपए की कटौती के लिए उपबंध करता है यदि व्यक्ति निःशक्तता से ग्रस्त है और एक लाख रुपए यदि व्यक्ति घोर निःशक्तता (उक्त धारा के अधीन यथा परिभाषित) से ग्रस्त है।

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की बाबत धारा 80घघ और धारा 80प के अधीन सीमाएं वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा पचास हजार रुपए नियत की गई थी। इसके अतिरिक्त, घोर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की बाबत धारा 80घघ और धारा 80प के अधीन सीमा अन्तिम बार वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा पचास हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई थी।

निःशक्त व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल और उसकी विशेष आवश्यकताओं की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए, धारा 80घघ और धारा 80प का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दो धाराओं के अधीन पात्र निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कटौती की सीमा को पचास हजार रुपए से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपए किया जा सके।

इस धारा का संशोधन करने के लिए और प्रस्ताव किया जाता है जिससे घोर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कटौती की सीमा को एक लाख रुपए बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार रुपए किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 19 और 23]

धारा 80गगग के अधीन कटौती की सीमा को बढ़ाना

धारा 80गगग की उपधारा(1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारिती को, जो एक व्यक्ति है, भारतीय जीवन बीमा निगम की किसी आवार्षिकी योजना या पेंशन स्कीम के अधीन स्थापित निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अन्य बीमाकर्ता के लिए संविदा करने या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए संविदा करने या उसे प्रवर्तन में रखने के लिए उसके द्वारा संदत्त या निक्षिप्त रकम का, उसकी कुल आय का संगणना करने में कटौती को एक लाख रुपए तक बढ़ाया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा का संवर्धन करने के लिए, उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 80गगग के अधीन कटौती की सीमा को धारा 51गगड में उपबंधित कुल सीमा के भीतर एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार रुपए किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

धारा 80गगघ के अधीन कटौती

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगघ की उपधारा(1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन; यदि 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति या जो ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित किया गया है या कोई अन्य निर्धारिती जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन अपने खाते में पूर्ववर्ष में किसी रकम का संदाय या निक्षेप किया है; उसके वेतन के ऐसी रकम के दस प्रतिशत से अनधिक की कटौती अनुज्ञात की जाती है। उसी प्रकार, पेंशन स्कीम के अधीन व्यक्ति के उक्त खाते में केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को भी कटौती के रूप में धारा 80गगघ की उपधारा (2) के अधीन उस सीमा तक अनुज्ञात किया जाता है कि वह पूर्व वर्ष में व्यक्ति के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। धारा 80गगघ की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। आज तक, धारा 80गगघ के अधीन केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को ही वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया त

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान करने के लिए लोगों की प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उपधारा (1क) का लोप करने का प्रस्ताव है। धारा 80गगघ (1) के अधीन सीमा को बढ़ाने के अतिरिक्त, एक नई धारा (1ख) अन्तःस्थापित करने यह और प्रस्ताव है जिससे किसी व्यक्ति निर्धारिती द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उसके खाते में किए गए अंशदान के लिए संदत्त पचास हजार रुपए तक भी किसी रकम की बाबत अतिरिक्त कटौती के लिए उपबंध किया जा सके।

परिणामिक संशोधनों का भी धारा 80गगघ की उपधारा (3) और उपधारा (4) में प्रस्ताव किया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 17]

जीवन बीमा पालिसी के अधीन किए गए संदाय के लिए प्ररूप 15छ/15ज के फाईल किए जाने को समर्थ बनाना

वित्त (सं.2) अधिनियम, 2014 ने जीवन बीमा पालिसी के अधीन किए गए संदायों से 2% की दर पर स्रोत पर कर कटौती करने के लिए 1-10-2014 से अधिनियम में धारा 194घक अन्तःस्थापित की गई है जो कर से प्रभार्य हैं। यह और उपबंध किया गया है कि कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संदाय की कुल रकम 100000 रु. से कम से है। इस धारा के अधीन कर की कटौती के लिए उच्च सीमा का उपबंध करने की बजाए

ऐसे मामले हो सकते हैं जहां जीवन बीमा के अधीन किए गए संदाय सहित प्राप्तकर्ता की कुल आय पर संदाय कर शून्य होगा। अन्य बातों के साथ, अधिनियम की धारा 197क के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि कर की कटौती की जाएगी, यदि कतिपय संदाय का प्राप्तकर्ता जिस पर कर कटौती योग्य है, यह घोषणा करते हुए विहित प्ररूप सं. 15घ/15ज में स्व-घोषणा आदाता को प्रस्तुत करता है कि सुसंगत पूर्व वर्ष की प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा। अतः धारा 197क के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती न किया जाने के लिए प्ररूप सं. 15घ/15ज में स्वघोषणा फाइल करने के लिए धारा 194घक में निर्दिष्ट संदायों के प्राप्तकर्ताओं को पात्र बनाने के लिए भी धारा 197क के उपबंधों का संशोधन का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा

[खंड 49]

कतिपय कटौती कर्ताओं के संग्रहण लेखा संख्यांक (टीएन) प्राप्त करने की अपेक्षा को शिथिल करना

अधिनियम की धारा 203क के उपबंधों के अधीन, कर कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (कटौतीकर्ता) या कर संग्रहकर्ता (संग्रहकर्ता) से कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टैन) अभिप्राप्त करने और आयकर विभाग को कर कटौती। संग्रहण की रिपोर्ट करने के लिए उसे कोट करने की अपेक्षा की तथापि, इस समय, अधिनियम की धारा 194उक के अधीन निवासी अंतरक से जंगम संपत्ति (ग्रामीण भूमि) से भिन्न के अर्जन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक संदाय से कटौती किए गए कर की रिपोर्ट करने के लिए, कटौती कर्ता से कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टैन) अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और उससे अपना स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) कोट करके कटौती किए गए कर को रिपोर्ट करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टैन) को अभिप्राप्त करना उन व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) के लिए जो अधिनियम की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी नहीं है, अनुपालन भार सृजित करते हैं। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की रिपोर्ट करने के लिए कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टैन) को कोट करना एक प्रक्रियात्मक विषय है और इसका परिणाम उन संव्यवहार के लिए विशेष रूप से पैन का कोट करने को आवश्यक बना कर कतिपय मामलों में प्राप्त किया जा सकता है (जबकि किसी व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा अनिवासी से जंगम संपत्ति के अर्जन के एकल संव्यवहार जैसे एक सुस्त संव्यवहार होने की संभावना है जिन पर अधिनियम की धारा 195 के अधीन कर कटौती योग्य है। इन प्रकारों के कटौती कर्ताओं का अनुपालन भार को कम करने के लिए, अधिनियम की धारा 203क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 203क के अधीन टैन अभिप्राप्त करने तथा उसे कोट करने की अपेक्षा अधिसूचित कटौतीकर्ताओं या संग्रहकर्ताओं को लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

[खंड 52]

राष्ट्रीय औषध दुरुपयोग नियंत्रण निधि के लिए शत प्रतिशत कटौती

धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारित को कतिपय निधियों तथा पूर्ण संस्थाओं में उसके द्वारा किए गए संदानों की बाबत उसकी कुल आय से कटौती अनुज्ञात की जाती है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक प्रयोजन के लिए बनाई गई कतिपय निधियों और संस्थाओं में किए गए संदानों की रकम की शत प्रतिशत की दर पर कटौती की जाती है।

राष्ट्रीय औषध दुरुपयोग नियंत्रण निधि एक ऐसी निधि है जिसे भारत सरकार द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन वर्ष 1989 में सृजित किया गया था। क्योंकि राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि राष्ट्रीय महत्व की निधि भी है, धारा 80छ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे राष्ट्रीय औषध दुरुपयोग नियंत्रण निधि में किए गए संदानों की बाबत शत प्रतिशत कटौती का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

च. स्वच्छ भारत

स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के लिए कर फायदे

आयकर अधिनियम की धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना में कतिपय निधियों और पूर्ण संस्थाओं को किए गए संदानों की बाबत कटौती अनुज्ञात होगी। केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा निधि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि, प्रधान मंत्री की अरमेनिया भूकम्प राहत निधि, अफ्रीका (लोक अभिदाय - भारत) निधि, राष्ट्रीय बाल निधि, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान आदि जैसी राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक प्रयोजन के लिए गठित कतिपय निधियों और संस्थाओं को किए गए संदानों के मामलों के सिवाय, जिसमें यह शत प्रतिशत की दर से अनुज्ञात होगी, कटौती किए गए संदानों की रकम के पचास प्रतिशत की दर से अनुज्ञात होगी।

केंद्रीय सरकार द्वारा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा विद्यालय परिसरों में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का सुधार करने हेतु गतिशील संसाधनों के लिए "स्वच्छ भारत कोष" की स्थापना की गई है।

स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को सुधारने और गंगा नदी के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयासों में जन साधारण की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दोनों निधियों के लिए संदान के लिए प्रेरणा मिल सके। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्वच्छ भारत कोष में किसी दाता द्वारा किए गए संदान और स्वच्छ गंगा निधि में घरेलू दाताओं द्वारा किए गए संदाय, कुल आय से शत प्रतिशत कटौती के पात्र होंगे। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन निगमित सामाजिक दायित्व के अनुसरण में खर्च की गई कोई राशि दाता की कुल आय से कटौती के योग्य नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 10(23ग) के विद्यमान उपबंधों में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि, प्रधान मंत्री निधि (लोक कला का संवर्धन); प्रधान मंत्री छात्र सहायता निधि साम्प्रदायिक सोहार्द के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान आदि जैसी कतिपय पूर्ण निधियों या संस्थाओं की आय की बाबत कर से छूट के लिए उपबंधित है। स्वच्छ

भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के महत्व पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 10(23ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि की आय को आय-कर से छूट प्रदान की जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7 और 21]

छ. उपायो का सुव्यवस्थीकरण

कतिपय मामलों में अनिवासी द्वारा प्राप्त ब्याज की बाबत स्रोत नियम के सम्बन्ध में स्पष्टता

अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों में कुल आय की परिधि को उसकी कर की प्रभायता के प्रयोजन के लिए उपबंध किया गया है। किसी अनिवासी व्यक्ति की दशा में, भारत में आय की प्रभायता ऐसे स्रोत नियम के आधार पर होगी जिसके अधीन आय के कतिपय प्रवर्गों को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाएगा। धारा 9 के विद्यमान उपबंधों में ऐसी परिस्थितियां उपबंधित हैं जिनके अधीन आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाता है। धारा 9(1)(v) विनिर्दिष्ट रूप से ब्याज रूप में आय से संबंधित है। उक्त खंड में यह उपबंध है कि ब्याज के रूप में आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित द्वारा संदेय है :

(क) सरकार; या

(ख) कोई व्यक्ति जो निवासी है, उस दशा के सिवाय जब ब्याज ऐसे ऋण या ऐसे धन की बाबत संदेय है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए या भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई आय पैदा करने या उपार्जित करने के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया है या उधार लिया गया है और उपयोग किया गया है;

(ग) कोई व्यक्ति जो अनिवासी है उस दशा में जब ब्याज, ऐसे ऋण या ऐसे धन की बाबत संदेय है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया है या उधार लिया गया है और उपयोग किया गया है।

अधिनियम की धारा 90 में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार अन्य बातों के साथ भारत से बाहर किसी देश की सरकार या भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र की बाबत दोहरे कराधान से राहत का उपबंध करने के लिए करार कर सकेगी। भारत ने 92 देशों के साथ दोहरे कराधान के परिवर्जन का करार किया है। इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि किसी निर्धारित की बाबत जिसने ऐसे डीटीए के लिए आवेदन किया है, अधिनियम के उपबंध उस परिणाम तक लागू होंगे जिस तक वे उसके लिए अधिक फायदाप्रद है। अतः, करदाता अधिनियम के उपबंधों में से राहत का तभी हकदार होगा यदि ऐसी राहत डीटीए के अधीन उपलब्ध है और उस परिणाम तक अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, कारबार क्रियाकलाप से किसी अनिवासी की आय भारत में कराधेय होगी यदि उसकी धारा 9(1)(i) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार भारत में कारबारी सम्पर्क है और केवल ऐसी आय ही कराधेय होगी जो कारबारी सम्पर्क समझी जाने योग्य है। इसी प्रकार डीटीए के अधीन किसी अनिवासी की दशा में कारबार क्रियाकलाप से आय केवल तभी कराधेय होगी यदि ऐसा अनिवासी का भारत में स्थायी स्थापन है और केवल ऐसी आय कराधेय होगी जो स्थायी स्थापन से समझा जाने योग्य है। स्थायी स्थापन की धारणा करीब-करीब उसी रूपरेखा के आधार पर होगा जैसे उसके विभिन्न डीटीए के अनुसार उसके कारबार सम्पर्क है। डीटीए में यह और उपबंधित है कि पीई के योग्य आय की संगणना की उपबंध किया गया है। यह उपबंधित है कि आय की संगणना के प्रयोजन के लिए पीई को पीई द्वारा मुख्यालय को संदत्त व्यय की अनुज्ञेता के सम्बन्ध में कतिपय निर्बंधनों के साथ स्वतंत्र उद्यम समझा जाएगा। डीटीए के अधीन किसी बैंककारी कम्पनी की दशा में किसी पीई द्वारा उसके मुख्यालय और अन्य शाखाओं को संदत्त ब्याज ऐसे स्थायी स्थापन को स्वतंत्र उद्यम मानकर कटौती के रूप में अनुज्ञात होगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 740 तारीख 17 अप्रैल 1996 में यह स्पष्ट किया है कि भारत में किसी विदेशी कम्पनी की शाखा, अधिनियम के अधीन कराधान के प्रयोजन के लिए एक पृथक सत्ता होगी और तदनुसार टीडीएस के उपबन्ध अनिवासी के मुख्यालय या अन्य शाखाओं को संदत्त ब्याज के पृथक ऐसे कराधान के साथ लागू होंगे जो भारत में कर से प्रभाय होगा।

इस संदर्भ में कुछ न्यायिक विनिर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि आयकर विधि के उपबंधों के अधीन मुख्यालय को किसी शाखा द्वारा ब्याज का संदाय, स्वयं के संदाय के कारण कटौती योग्य नहीं होगा, तथापि, ऐसा ब्याज डीटीए के अधीन उपबंधित संगणना तंत्र के कारण कटौती योग्य है किंतु स्वयं से उत्पन्न आय होने के कारण बैंक की ओर से कराधेय नहीं है। इन न्यायिक विनिश्चयों में सीबीडीटी के परिपत्र में व्यक्त विचार का समर्थन नहीं किया गया है। यदि संधि के अधीन विधिक कल्पना को सीमित रूप से प्रभावी समझा जाता है तो यह उपक्षारण का आधार होगा। स्थायी स्थापन द्वारा मुख्यालय या अन्य शाखाओं आदि को संदत्त ब्याज भारत में हुआ स्रोत ब्याज है और भारत में स्रोत नियम के अधीन-कर लगाए जाने का दायी है। हमारे कुछ डीटीएसए में स्थिति को भी मान्यता दी गई विशिष्ट रूप से अनुच्छेद 14(3) में भारत में सं.रा.अ. डीटीए निम्नानुसार हैं:

"किसी बैंककारी कंपनी की दशा में जो संयुक्त राज्य का निवासी है, भारत में ऐसी कंपनी के स्थायी स्थापन द्वारा मुख्य कार्यालय को संदत्त ब्याज इस कंवेशन के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोप्य कर के अतिरिक्त, भारत में उस दर पर कर के अधीन होगा, जो अनुच्छेद 11 के पैरा (2) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगा (ब्याज)।"

सुमिरोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन (136 आईटीडी 66 टीबीओएम) के मामले में आय-कर अपील अधिकरण की विशेष खंडपीठ ने उल्लिखित किया कि अन्य देशों के द्रष्टांत हैं जो अपनी देशीय विधि में विशिष्ट उपबंधों का उपबंध करते हैं जो अपने मुख्य कार्यालय और अन्य शाखाओं को स्थायी स्थापन द्वारा संदत्त ब्याज की कराधेयता अनुज्ञात करती है तथा आय-कर अधिनियम में ऐसे विशिष्ट उपबंध के अभाव की ओर इंगित किया।

यह विचार करते हुए कि इस विवाद पर कई विवाद हैं जो लंबित हैं तथा उनके भविष्य में उद्भूत होने की संभावना है, यह आवश्यक है कि अधिनियम में आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता का उपबंध किया जाए। तदनुसार, यह उपबंध करने के लिए अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि बैंकिंग कारोबार में लगे अनिवासी व्यक्ति के मामले में, ऐसे अनिवासी के भारत में स्थायी स्थापना द्वारा मुख्य कार्यालय या किसी स्थायी स्थापन या ऐसे अनिवासी के भारत

से बाहर किसी अन्य भाग को संदेय ब्याज को भारत में प्रोद्भूत और उद्भूत समझा जाएगा और भारत में स्थायी स्थापन को मानी जा सकने वाली किसी आय के अतिरिक्त कर का दायी होगा तथा भारत में स्थायी स्थापन अनिवासी व्यक्ति का पृथक और स्वतंत्र व्यक्ति समझा जाएगा, जिसका यह स्थायी स्थापन है और कुल आय की संगणना, कर के अवधारण और संग्रहण तथा वसूली से संबंधित अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। ये संशोधन 1.4.2016 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5]

पूर्त न्यासों और संस्थाओं द्वारा आय के संचयन से संबंधित धारा 11क उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण।

अधिनियम की धारा 11 के अधीन न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के संबंध में न्यास या संस्था को छूट प्रदान करने के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय का उपयोजन भारत में पूर्व प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। जहां ऐसी आय का उपयोजन पूर्व वर्ष में नहीं किया जा सकते हो, वहां इस का संचयन और उपयोजन धारा में उपबंधित विभिन्न शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। जहां आय का 15% अनिश्चित रूप से न्यास या संस्था द्वारा संचायित किया जा सकता है, वहीं आय का 85% का संचयन केवल पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति इस संबंध में निर्धारण अधिकारी विहित फार्म 10 प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार संचायन या अलग रखे गए धन को विनिर्दिष्ट रूप या प्रकार से निक्षिप्त या जमा किया जाता है। यदि संचायित धन का उपयोग इन शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता है तो न्यास या संस्था की आय कराधेय समझी जाएगी।

ऐसी अवधि के संबंध में अनिश्चितता को दूर करने के लिए जिसके भीतर निर्धारिती द्वारा फार्म 10 फाइल किया जाना अपेक्षित हो और समय से उपरोक्त शर्तों का अनुपात, सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम को यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि उक्त फार्म, निधि या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 139 के अधीन विनिर्दिष्ट आय की विवरणी की फाइलिंग अंतिम तारीख के पूर्व, फाइल किया जाएगा। यदि इस तारीख के पूर्व फार्म 10 प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संचयन का फायदा उपलब्ध नहीं होगा और ऐसी आय लागू दर पर कराधेय होगी। इसके अलावा, संचयन का फायदा तब भी उपलब्ध नहीं होगा यदि आय विवरणी इसके फाइल करने की अंतिम तारीख के पहले प्रस्तुत नहीं की जाती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 8 और 9]

अधिनियम की धारा 10(23ग) में निर्दिष्ट कतिपय विश्वविद्यालयों और अस्पतालों द्वारा आय की विवरणियां फाइल किया जाना।

अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों या अन्य संस्था जो पूर्णतया या सारवान रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, को खंड (23ग) के उपखंड (iii)कख) और खंड (iii)कग) के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट उपलब्ध है।

धारा 139 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, सभी इकाइयों से जिनकी आय को धारा 11 के खंड (23ग) के अधीन छूट प्राप्त हो, भिन्न उक्त खंड के उपखंड (iii)कख) और खंड (iii)कग) में निर्दिष्ट इकाइयों द्वारा आय की विवरणी का फाइल किया जाना अनिवार्यतः अपेक्षित है।

यह उपबंध करने के लिए अधिनियम का संशोधन करना प्रस्तावित है कि धारा 10के खंड (23ग) के उपखंड (iii)कख) और उपखंड (iii)कग) के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों से आय की विवरणी अनिवार्य रूप से फाइल करना अपेक्षित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 34]

भारत में ठहरने की अवधि की संगणना के लिए रीति और प्रक्रिया विहित करने हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्ति

धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंध उन शर्तों को उपबंधित करती हैं जिनके अधीन किसी व्यक्ति को भारत में निवासी समझा जाता है। यह अवधारण, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे दिनों की संख्या पर आधारित है जिनके दौरान, ऐसा व्यक्ति पूर्व वर्ष में भारत में रहा था।

विदेश जाने वाले पोटों की दशा में, जब समुद्री यात्रा का गन्तव्य स्थान भारत के बाहर हो, ऐसे पोटों के कर्मी दल के, जो भारत के नागरिक है, भारत में रुकने की अवधि का अवधारण की रीति और आधार के संबंध में अनिश्चितता बनी रही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह उपबंध करने के लिए अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि व्यक्ति की दशा में, जो भारत का नागरिक और भारत से जाने वाले तथा विदेश जाने वाले पोट के कर्मीदल का कोई सदस्य है, उसके भारत में ठहरने की अवधि या अवधियां, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन अवधारित की जाएगी, जो विहित की जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

धारा 115जख के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 115जख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी कंपनी की दशा में, 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के संबंध में अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर इसके बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत से कम है, ऐसा बही लाभ, निर्धारिती की कुल आय समझी जाएगी और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर इसके बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत होगा। इस कर को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मेट) कहा जाता है। धारा 115जख की उपधारा (2) का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि "बही लाभ" पद से कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार या किसी कंपनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ-हानि विवरण में दर्शित शुद्ध लाभ अभिप्रेत है, जो कतिपय समायोजनों, जैसाकि धारा में विनिर्दिष्ट है, कम या अधिक होता है।

अधिनियम की धारा 86 यह उपबंध करती है कि कतिपय परिस्थितियों में, एओपी की आय में, एओपी के किसी सदस्य के शेयर पर कोई आयकर संदेय नहीं होगा। तथापि, वर्तमान उपबंधों के अधीन, कोई कंपनी, जो एओपी की सदस्य है, ऐसे शेयर पर भी मेट के लिए दायी है क्योंकि ऐसी आय, सदस्य का मेट दायित्व संगणित करते समय बही लाभ से अपवर्जित नहीं है। फर्म के किसी भागीदार की दशा में, धारा 10(2क) के अंतर्गत, भागीदार के हाथ में फर्म के लाभ के अंश को छूट प्राप्त है और ऐसे लाभ पर भागीदार द्वारा कोई मेट संदेय नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उपबंध करने के लिए धारा 115जख का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी एओपी के सदस्य का एओपी की ऐसी आय में शेयर, जिस पर अधिनियम की धारा 86 के उपबंधों के अनुसार कोई आयकर संदेय नहीं है, अधिनियम की धारा 115जख के अधीन सदस्य का मेट दायित्व संगणित करते समय अपवर्जित किया जाना चाहिए। ऐसी आय के (जिसे मेट दायित्व से अपवर्जित किया जाना प्रस्तावित है) तत्स्थानी लाभ-हानि लेखा से व्ययों, यदि कोई हों, घटाने के बाद इसे भी मेट की संगणना के प्रयोजन के लिए पुनः बही लाभ में जोड़ना प्रस्तावित है।

और, वित्त (सं. 2) अधिनियम 2014 द्वारा यह उपबंध किया गया था कि किसी विदेशी संस्थागत निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियां जिसके ऐसी प्रतिभूतियों में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार निवेश किया है, पूंजी आस्ति होगी। परिणामतः प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से किसी विदेशी संस्थागत निवेशक को उद्भूत आय सदैव पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में होगी।

इसलिए, धारा 115जख के उपबंधों का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को प्रतिभूतियों के संव्यवहार से आय को ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभों से भिन्न जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभार्य नहीं है मेट की प्रभार्यता से अपवर्जित किया जाएगा और ऐसी आय के तत्स्थानी लाभ को बही लाभ से घटा दिया जाएगा।

उपर्युक्त दृष्टि से;

स्पष्टीकरण 1 में एक नया खण्ड (iiख) अन्तः स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय की ऐसी संकाय को, जो किसी निर्धारिती की ऐसी आय का हिस्सा है जिस पर धारा 86 के उपबंधों के अनुसार कर संदेय नहीं है, यदि ऐसी कोई रकम लाभ हानि लेखा में जमा की जाती है, तो धारा के अधीन संदेय आयकर की गणना के प्रयोजनों के लिए बही लाभ से घटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण में नया खण्ड (चक) अन्तःस्थापित करके यह प्रस्तावित है कि बही लाभ में उपर्युक्त आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमों को बढ़ा दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 में एक नया खण्ड (iiग) को अन्तः स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी यह उपबंध करने के लिए है कि प्रतिभूतियों में संव्यवहार से (ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत अल्पकालीन पूंजी अभिलाभों से भिन्न जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार का प्रभार्य नहीं है) किसी ऐसे निर्धारिती को जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार किया है, प्रोद्भूत या उद्भूत आय की रकम को, यदि ऐसी रकम लाभ हानि लेखा में जमा की जाती है, धारा के अधीन संदेय आयकर की गणना के प्रयोजनों के लिए बही लाभ में से घटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण 1 में एक नया खण्ड (चख) अन्तःस्थापित करके यह प्रस्ताव है कि बही लाभ में उपर्युक्त आय में संबंधित व्यय की रकम या रकमों को बढ़ा दिया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारित वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 29]

वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति (जीडीआरएस) से संबंधित संशोधन

निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम 2014, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा अधिसूचना सं. एफ सं. 9/1/2013-ईसीबी तारीख 21 अक्टूबर 2014 द्वारा अधिसूचित की गई है। यह स्कीम विदेशी करेंसी संपरिवर्तनीय बंध पत्रों और साधारण शेयरों (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) का पुरोधन स्कीम, 1993 के स्थान पर है।

इस अधिनियम के अधीन चालू उपबधित कराधान स्कीम, पूर्वतः स्कीम से संरेखित है जो निर्गमन करने वाली कम्पनी के इस प्रयोजन (अर्थात् प्रायोजित जीडीआर) या एफसीसीबी के लिए जारी किए गए, कम्पनी के अन्तर्निहित शेयरों पर आधारित निक्षेपागार प्राप्ति (डीआरएस) के निर्गमन तक सीमित है और जहां कम्पनी कोई सूचीबद्ध होनी थी। इसके अतिरिक्त ऐसे डीआरएस का धारक केवल कोई अनिवासी ही था।

डीईए द्वारा अधिसूचित नई स्कीम के अनुसार, डीआरएस ऐसी अन्तर्निहित प्रतिभूतियों के संबंध में सूचीबद्ध, असूचीबद्ध या प्राइवेट या पब्लिक कम्पनियों की ऐसी प्रतिभूति के संबंध में जारी किए जा सकते हैं जो ऋण, लिखतें, शेयर या युनिटें आदि हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त दोनों प्रायोजित पुरोधरण और अप्रायोजित निक्षेप तथा अर्जन अनुज्ञात हैं। डीआरएस, निवासियों और अनिवासियों, दोनों द्वारा निर्बाध रूप से धारित और अन्तरित किए जा सकते हैं।

चूंकि अधिनियम के अधीन कर के फायदों का केवल प्रायोजित जीडीआरएस और सूचीबद्ध कम्पनियों की बाबत ही उपलब्ध किया जाना आशयित था इसलिए पूर्वतर निक्षेपागार स्कीम में यथा परिभाषित जीडीआरएस की बाबत ही कर फायदों को जारी रखने के लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 28]

समझौता आयोग

आयकर अधिनियम की धारा 245क के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अध्याय 19क के प्रयोजन के लिए मामले को किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी भी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन निर्धारण के लिए किसी ऐसी कार्यवाही के रूप में परिभाषित करते हैं जो उस तारीख को, जिसको धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो। उक्त खण्ड के स्पष्टीकरण में विभिन्न स्थितियों के अधीन कार्यवाहियों के समझे गए प्रारम्भ का उपबंध है।

आयकर अधिनियम की धारा 245क के खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण के खण्ड (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 245क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनः संगणना के लिए किसी कार्यवाही का प्रारम्भ, उस तारीख से समझा जाएगा जिसको किसी

निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जाती है; ऐसे अन्य निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों के लिए, जिनके लिए धारा 148 के अधीन सूचना जारी नहीं की गई किन्तु ऐसी तारीख को जारी की जा सकती थी यदि अन्य निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी धारा 139 के अधीन या धारा 142 के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दे दी गई है, उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण के खण्ड (iv) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) या खण्ड (iii)क में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनः निर्धारण की कार्यवाहियों से भिन्न किसी निर्धारण वर्ष के लिए कोई कार्यवाही निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन से प्रारम्भ हुई समझी जाएगी और उस तारीख को समाप्त हुई समझी जाएगी जिसको निर्धारण किया गया है।

स्पष्टीकरण के खण्ड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि खण्ड (i) या खण्ड (iii) या खण्ड (iii)क में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनः निर्धारण से भिन्न किसी निर्धारण वर्ष के लिए कोई कार्यवाही उस तारीख को प्रारंभ हुई समझी जाएगी जिसका धारा 139 के अधीन या धारा 142 के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में आय की विवरणी दी गई है और उस तारीख को, जिसको निर्धारण किया गया है या जहां कोई निर्धारण नहीं किया गया वहां सूसंगत वर्ष के अन्त से दो वर्ष का अवसरण पर समाप्त हुई समझी जाएगी।

आयकर अधिनियम की धारा 245घ की धारा (6ख) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि समझौता आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी भूल सुधार की दृष्टि से आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किसी भी समय उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित कर सकेगा।

ऐसे अतिरिक्त समय के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं है जहां निर्धारित या आयुक्त परिसीमा अवधि की समाप्ति के लेखे परिशुद्धि के लिए कोई आवेदन फाइल करे। तदनुसार आयकर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (6ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि समझौता आयोग अभिलेख पर प्रकट किसी भूल को सुधारने की दृष्टि से उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश संशोधन,—

(क) उस मास की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर जिसमें आदेश पारित किया गया था किसी भी समय कर सकेगा;

(ख) उस मास की समाप्ति से जिसमें आदेश पारित किया गया, छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रधान आयुक्त सहआयुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर उस मास, जिनमें ऐसा आवेदन किया गया की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर किसी समय;

आयकर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि समझौता आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने धारा 245ग के अधीन समझौते का आवेदन किया, वे उसके समक्ष कार्यवाहियों में समझौता आयोग से सहयोजित कर लिया है और अपनी आय का पूर्ण और सही प्रकटन किया है और ऐसी रीति जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गयी है तो अभियोजन से ऐसी शक्ति को उन्मुक्ति दे सकेगा।

जैसा कि समझौता आयोग द्वारा अभियोज्य से उन्मुक्ति का उपबंध किया गया है, आयकर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (1) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति देते समय उसके द्वारा पारित आदेश में लेखबद्ध रूप में कारण अभिलेखित करेगा।

आयकर अधिनियम की धारा 245जक की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध भिन्न-भिन्न स्थितियों में कार्यवाहियों के उपशमन का उपबंध करता है।

यह उपबंध करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 245जक की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन की बाबत यह निदेश देते हुए धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है तो ऐसे आवेदन पर आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं है और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियां उस दिन उपशमित हो जाएंगी जिसको धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश यह निदेश देते हुए पारित किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 245ज में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि जहां किसी व्यक्ति के आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आगे कार्यवाही करने की अनुज्ञा दी गई है तो ऐसा व्यक्ति समझौता आयोग के समक्ष बाद में आवेदन करने का हकदार नहीं होगा। यह और उपबंध करता है कि कतिपय स्थितियों में व्यक्ति समझौता आयोग के समक्ष समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा। इस समय निर्बंधन शक्ति को लागू होता है। अतः ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया है, बाद में उसके द्वारा नियंत्रित इकाई के माध्यम से पुनः आवेदन कर सकता है।

यह किसी व्यक्ति के लिए केवल एक बार समझौता आयोग में आवेदन करने के अवसर को निर्बंधित करने के प्रयोजन को विफल करता है। तदनुसार, यह उपबंध करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 245ज का संशोधन करना प्रस्तावित है कि ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही समझौता आयोग में एक बार आवेदन कर चुका है, से संबंधित कोई व्यक्ति भी बाद में समझौता आयोग में आवेदन नहीं कर सकता है।

किसी व्यक्ति की बाबत संबंधित व्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) जहां ऐसा व्यक्ति कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई कंपनी जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी समय पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान शक्ति धारित करता है, या कोई फर्म या व्यक्ति संगम या व्यक्ति-निकाय जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी समय लाभ के पचास प्रतिशत से अधिक का हकदार है या कोई हिंदू अविभक्त कुटुम्ब जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता है;

(ii) जहां ऐसा व्यक्ति कंपनी है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन की तारीख से पूर्व किसी समय ऐसी कंपनी में शेयरों के पचास प्रतिशत से अधिक या मतदान शक्ति धारित करता है;

(iii) जहां ऐसा व्यक्ति फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय है, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा समझौता आयोग के समक्ष आवेदन की तारीख के पूर्व किसी समय ऐसे फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय में लाभ के पचास प्रतिशत से अधिक का हकदार था;

(iv) जहां ऐसा व्यक्ति हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, उस हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

आयकर अधिनियम की धारा 132ख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि धारा 132 के अधीन अभिग्रहित या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्ति आयकर अधिनियम, धन कर अधिनियम, आदि के अधीन विद्यमान दायित्व की रकम के प्रति समायोजित किया जा सकेगा और निर्धारण पूरा होने पर दायित्व के रकम का अवधारण किया जाएगा।

यह उपबंध करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 132ख का संशोधन प्रस्तावित है कि धारा 132 के अधीन हेतु या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्ति का भी समायोजन धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किए गए आवेदन पर उदभूत दायित्व के रकम के प्रति किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 35, 57, 58, 59, 60 और 61]

धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और (vik) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील योग्य बनाया जाना

धारा 10 के खंड (23ग) का उपखंड (vi) यह उपबंध करता है कि मात्र शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था की ओर से व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी रकम, जो लाभ के प्रयोजन के लिए नहीं है और जो विहित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो सकता है, कर का दायी नहीं है। इसी प्रकार धारा 10 के खंड (23ग) का उपखंड (vik) यह उपबंध करता है कि बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या मानसिक खराबी या स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्तियों का उपचार या चिकित्सा सहायता पाने का अपेक्षित व्यक्ति के उपचार के लिए किसी अस्पताल या अन्य संस्था की ओर से व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई आय, जो एकमात्र परोपकारी प्रयोजनों के लिए है न कि लाभ के प्रयोजन के लिए, कर की दायी नहीं है यदि ऐसा अस्पताल या संस्था विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

आयकर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध ऐसे आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं जिनकी अपील आईटीएटी के समक्ष की जाती है। धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और (vik) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश इस उपधारा में सम्मिलित नहीं है।

अनुमोदन देने से इनकार करने का विहित प्राधिकारी के विनिश्चय का आयकर अधिनियम के अधीन शैक्षिक या चिकित्सीय संस्था के लिए काफी महत्व हो सकता है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक उपबंध के अधीन पूल न्यास को रजिस्टर करने का आदेश अपील अधिकरण के समक्ष अपील योग्य है।

तदनुसार, धारा 253 की उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 (23ग) के उपखंड (vi) या (vik) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा व्यथित निर्धारिती अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा

[खंड 63]

ऐसे व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की आय का निर्धारण जिसके मामले में तलाशी आरंभ की गई है या लेखा-बही, अन्य दस्तावेज या आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई है

अधिनियम की धारा 153ग किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण से संबंधित है। उक्त धारा 135ग की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149 धारा 151 और धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिग्रहीत या अध्यपेक्षित कोई रकम, बुलियन आभूषण या अन्य महत्वपूर्ण वस्तु या चीज या लेखा बही या दस्तावेज धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं तब अभिग्रहीत या उक्त अध्यपेक्षित लेखा बहियों या दस्तावेजों या आस्तियों को ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा और धारा 153क के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा।

दस्तावेज के संदर्भ में "से सम्बन्ध" शब्दों के निर्वचन पर विवाद उत्पन्न हो गया है। उदाहरणार्थ जब कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति से जब्त किया जाता है, वह मूल दस्तावेज की प्रति है। तदनुसार, उपर्युक्त धारा के संशोधन का प्रयोजन करने के लिए उपबंध किया कि धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में अन्य बातों के होते हुए भी, जहां निर्धारिती अधिकारी संतुष्ट है कि कोई धन, चांदी की छड़े, गहने या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं से संबंधित वस्तुएं या कोई बही खाते या जब्त दस्तावेज या अध्यपेक्षित व वहां दी गई सूचना का संबंध धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से संबंधित है, तब बही खाते या दस्तावेज या जब्त आस्तियों या अध्यपेक्षा को ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता वाले निर्धारिती अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और वह निर्धारिती अधिकारी ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही और ऐसे व्यक्तियों की नोटिस जारी करेगा और धारा 153क के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्तियों का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 36]

पुनःनिर्धारण के नोटिस को जारी करने के लिए अनुमोदन शासन का सरलीकरण

अधिनियम की धारा 151, कतिपय प्राधिकारियों से धारा 148 के अधीन आय के पुनः निर्धारण के लिए नोटिस जारी करने से पूर्व, स्वीकृति उपबंधित करता है। कतिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन धारा 148 के अधीन निर्धारण अधिकारी को नोटिस जारी करने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। धारा 151 विभिन्न स्वीकृति प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करती है, जो निम्नलिखित पर आधारित होंगी:—(i) क्या धारा 145 की उपधारा (3) या धारा 147 के अधीन संवीक्षा पूर्व में की गई है या नहीं; (ii) क्या नोटिस को सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष के भीतर या पश्चात जारी करने का प्रयोजन है, और (iii) निर्धारण अधिकारी का रैंक जो नोट जारी करने का प्रस्ताव कर रहा है।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 35]

पुनःनिर्धारण की दशा में अग्रिम कर संदाय में व्यक्तिगत पर ब्याज और जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष अतिरिक्त आय प्रकट करना

आयकर अधिनियम की धारा 234ख के खंड (3) में दिए गए विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि जहां धारा 147 या धारा 153क के अधीन पुनःनिर्धारण पर कुल आय बढ़ती है, तो निर्धारिती धारा 143 की उपधारा (1) या नियमित निर्धारण और धारा 147 या धारा 153क के अधीन पुनःनिर्धारण की तारीख पर समापन, के अधीन निर्धारण की तारीख से कुल आय में अवधि के दौरान रकम में वृद्धि पर 1% ब्याज के लिए दायी होगा।

धारा 143(1) के अधीन निर्धारित कुल आय पर निधनारित कर की राशि पर धारा 234ख के अधीन ब्याज प्रभावी है या निर्धारण पर या पुनःनिर्धारण पर या शुरुआत से करदाता का दायित्व है कि समझौता आवेदन में कुल आय की घोषणा की थी और यह उस राशि के संदर्भ में है कि विहित देय तारीख के भीतर अग्रिम कर संदत्त होना चाहिए।

तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 234ख के खंड (3) के संशोधन के प्रस्ताव का उपबंध है कि अवधि, जिसके लिए ब्याज की संगणना की जानी है, का आरंभ अगले आने वाले वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने की 1 तारीख और धारा 147 या धारा 153क के अधीन कुल आय के निर्धारण पर समाप्त होगा।

उपधारा (4) में दिए गए विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, उपबंधित करते हैं कि जहां धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग का आदेश पर, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन राशि जिस पर ब्याज संदेय है को बढ़ाया या घटाया है, तदनुसार ब्याज को बढ़ाया या घटाया जाएगा। तथापि, धारा 245ग के अधीन आयकर की अतिरिक्त राशि की घोषणा की दशा में समझौता आयोग के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है, धारा 234ख के अधीन अतिरिक्त राशि पर ब्याज प्रभावी के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध है।

तदनुसार, एक नई उपधारा (2क) के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध हो कि जहां धारा 245ग, उपधारा (1) के अधीन किसी भी निर्धारण वर्ष में आवेदन किया गया है, तो निर्धारिती उपधारा में निर्दिष्ट आयकर की अतिरिक्त राशि पर प्रत्येक मास के लिए या ऐसे निर्धारण वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरु होता है किसी मास के भाग और इस आवेदन की तारीख के समापन पर 1% की दर पर साधारण ब्याज संदाय करने का दायी होगा और जहां किसी निर्धारण वर्ष में धारा 243घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के आदेश के परिणामस्वरूप धारा 245ग की उपधारा (4) के अधीन आवेदन में बताई गई कुल आय बढ़ गई है, तो निर्धारिती प्रत्येक मास या ऐसे निर्धारण वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरु होता है के किसी मास के भाग और ऐसे आदेश की तारीख समापन पर, ऐसे आदेश के आधार पर राशि, जिससे कुल आय पर कर निर्धारित किया गया, धारा 243ग की उपधारा (1) के अधीन दायर आवेदन में बताई गई कुल आय पर कर बढ़ गया है, 1% की दर पर साधारण ब्याज संदाय करने का दायी होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 56]

त्रुटिपूर्ण आदेश का पुनरीक्षण जहां तक यह राजस्व के हितों के विपरीत है

आयकर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (1) में दिए गए विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त विचार करते हैं कि निर्धारिती अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जहां तक यह राजस्व के हितों के विपरीत है, तो निर्धारिती को सुनवाई का एक मौका देने के पश्चात और जांच के पश्चात निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाए गए निर्धारण में उपांतरण या निर्धारण को रद्द करने और नए निर्धारण का निर्देश का आदेश पारित करता है।

अभिव्यक्ति "त्रुटिपूर्ण जहां तक यह राजस्व के हितों के विपरीत है" का लम्बे समय से निर्वचन प्रतिरोधात्मक है।

मामले पर और सफाई के लिए यह प्रयोजन का उपबंध किया गया कि निर्धारिती अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण जहां तक यह राजस्व के हितों के विपरीत माना जाएगा, यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त के विचार में—

(क) आदेश बिना जांच या सत्यापन के बिना पारित हुआ है, जिनका होना आवश्यक था;

(ख) आदेश बिना दावे की जांच किए, कोई राहत देते हुए पारित किया है;

(ग) आदेश, धारा 119 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश, निर्देश या अनुदेश के अनुसार नहीं बनाया गया है; या

(घ) आदेश, जिसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अधिकारिता में निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के लिए दिए गए विपरीत निर्णय के अनुसार पारित नहीं किया गया है।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 65]

परिवहनकर्ताओं को दिए गए संदायों से कर की कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण

अधिनियम की धारा 194ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन ठेकेदारों को संदाय संदायकर्ता के व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब होने की दशा में 1% तथा अन्य संदायकर्ताओं की दशा में 2% स्रोत पर कर कटौती के अध्वधीन है, यदि ऐसा संदाय 30,000 रुपए से अधिक है या किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे संदाय का योग 75,000 रुपए से अधिक होता है। 1.10.2009 से पूर्व, अधिनियम की धारा 194ग किसी व्यक्ति परिवहनकर्ता को स्रोत से कर कटौती से छूट का उपबंध करती थी जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर दो से अधिक माल वाहनों का स्वामित्व रखता था। तत्पश्चात् 1.10.2009 से अधिनियम की धारा 194ग को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 से प्रतिस्थापित कर दिया जो, अन्य बातों के साथ, माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर देने और पट्टे पर देने के दौरान ठेकेदार को दिए गए संदायों से कर की कटौती न करने का उपबंध करती थी, यदि ठेकेदार संदायक को अपना स्थायी लेखा संख्यांक (पेन) प्रस्तुत करता था।

वित्त (सं. 2) विधेयक, 2009 के उपबंधों का स्पष्टीकारक ज्ञापन इंगित करता है कि केवल लघु परिवहन प्रचालकों को स्थायी लेखा संख्यांक (पेन) प्रस्तुत करने पर टीडीएस के दायरे से छूट देने का आशय था (जैसा अधिनियम की धारा 44कड में परिभाषित है)। अतः लघु परिवहनकर्ताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने का आशय था। तथापि, अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (6) की वर्तमान भाषा वांछित आशय को स्पष्ट नहीं करती है और परिणामस्वरूप, उनके आकार से इतर, सभी परिवहनकर्ता पेन प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (6) के विद्यमान उपबंधों के अधीन टीडीएस से छूट का दावा कर रहे हैं।

चूंकि, उनके आकार से इतर, सभी परिवहनकर्ताओं को संदाय से छूट देने में कोई तार्किकता नहीं है, अधिनियम की धारा 194ग के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (6) के अधीन कर की कटौती न करने से छूट केवल परिवहन प्रभारों की प्रकृति के संदाय को लागू होगी (चाहे वह व्यक्ति परिवहन के कारबार में लगा हो या अन्यथा) जो किसी ठेकेदार को किया जाता है जो परिवहन के कारबार में लगा है, अर्थात् माल वाहन चलाना, भाड़े पर देना या पट्टे पर देना और जो अधिनियम की धारा 44कड के उपबंधों के अनुसार आय की संगणना करने का पात्र है (अर्थात् वह व्यक्ति जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय 10 माल वाहनों से अधिक का स्वामी नहीं है) और जिसने अपने पेन के साथ इस प्रभाव की घोषणा की है।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

[खंड 43]

(प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) ब्याज पर कर की कटौती से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 194क(3)(i) के साथ पठित धारा 194क(1) एक विनिर्दिष्ट सीमा पर (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) ब्याज पर कर की कटौती का उपबंध करती है, बैंकों, बैंकिंग कारबार (सहकारी बैंक) में लगी हुई सहकारी सोसाइटी और डाकघर द्वारा ब्याज के संदाय के लिए 10,000 रुपए और अन्य व्यक्तियों द्वारा ब्याज के संदाय के लिए 5,000 रुपए 1 और धारा 194क की उपधारा (3), अन्य बातों के साथ, सहकारी सोसाइटी द्वारा निम्नलिखित ब्याज संदायों के संबंध में कर की कटौती से छूट का भी उपबंध करती है:

(i) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके सदस्य को या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को ब्याज का संदाय (अधिनियम की धारा 194क(3)(v);

(ii) जमाओं पर प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या सहकारी भूमि बंधक बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ब्याज संदाय।

[अधिनियम की धारा 194क(3)(vii)(क)]

(iii) अधिनियम की धारा 194क(3)(vii)(क) में उल्लिखित से भिन्न बैंकिंग के कारबार में लगी हुई सहकारी सोसाइटी द्वारा सावधिक जमा से भिन्न जमाओं पर ब्याज का संदाय। [अधिनियम की धारा 194क(3)(vii)(ख)]

इसलिए, धारा 194क(3)(i)(ख) और धारा 194क(3)(vii)(ख) के उपबंधों के साथ पठित धारा 194क(1) के उपबंधों के अनुसार, सहकारी बैंक से सावधिक जमाओं पर ब्याज के संदाय से सहकारी बैंक को कर की कटौती अपेक्षित होती है, विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होती है। तथापि, अधिनियम की धारा 194क(3)(v) के उपबंध सभी सहकारी सोसाइटियां अपने सदस्यों को ब्याज के संदाय सहकारी बैंकों ने अपने जमाकर्ताओं को विभिन्न प्रवर्गों के सदस्य बनाकर इस छूट का लाभ उठाने का प्रयत्न किया। इससे यह विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या सहकारी बैंक, जिनके लिए कर कटौती के विशेष उपबंध अधिनियम की धारा 194क(1), धारा 194क(3)(i)(ख) और धारा 194क(3)(vii)(ख) के रूप में विद्यमान हैं, सभी सहकारी सोसाइटियों को प्राप्त अपने सदस्यों को ब्याज के संदाय पर कर कटौती से छूट का फायदा ले सकते हैं। यह विषय न्यायिक फोरम में लाया गया है और कुछ मामलों में यह मत लिया गया है कि अधिनियम की धारा 194क(3)(vii)(ख) के उपबंध कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए सहकारी बैंकों के सदस्यों और गैर सदस्यों में कोई विभेद नहीं करते हैं, इसलिए सहकारी बैंकों से सावधिक जमा पर ब्याज के संदाय पर कर की कटौती अपेक्षित है और वे इससे अधिनियम की धारा 194क(3)(v) के अधीन उपबंधित साधारण छूट का तर्क लेकर बच नहीं सकते। यह इसलिए है क्योंकि सहकारी बैंकों के लिए अधिनियम की धारा 194क(3)(i)(ख) और 194क(3)(vii)(ख) के अधीन उपबंधित कर कटौती के विशिष्ट उपबंध अधिनियम की धारा 194क(3)(v) के अधीन सदस्यों को ब्याज के संदाय से कर की कटौती न करने के लिए सभी सहकारी सोसाइटियों को प्रदत्त साधारण छूट का अध्यारोहण करते हैं।

चूंकि सहकारी बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कृत्यकरण में कोई विभेद नहीं है, वित्त अधिनियम, 2006 और वित्त अधिनियम, 2007 ने सहकारी बैंकों को कराधान शासन का उपबंध करने के लिए अधिनियम के उपबंधों का संशोधन किया, जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान है। इसलिए, सहकारी बैंकों को कर की कटौती के विषय में अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न व्यवहार करने तथा उन्हें सदस्यों की कम संख्या के फायदे के लिए बनी छोटी प्रत्यय सहकारी

सोसाइटियों के लिए आशयित छूट का लाभ उठाना अनुज्ञात करने के लिए कोई तर्काधा नहीं है। तथापि, जैसा पूर्व में उल्लिखित है, सहकारी बैंकों द्वारा इसके सदस्यों को यह दावा करके कि सदस्य जमाकर्ताओं को ब्याज के संदाय के लिए उपबंधित साधारण छूट उनको भी लागू होती है, सावधि जमाओं ब्याज के संदाय से कर की कटौती को आदेशित करने वाले विशिष्ट उपबंधों की अनुप्रयोज्यता के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ है। इसे दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 194क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह अभिव्यक्त उपबंध किया जा सके कि 1 जून, 2015 की भविष्यलक्षी तारीख से अधिनियम की धारा 194क(3)(v) के अधीन सहकारी सोसाइटी द्वारा सदस्यों को ब्याज के संदाय से कर की कटौती से प्रदान छूट सहकारी बैंकों द्वारा उनके सदस्यों को सावधि जमा पर ब्याज के संदाय को लागू नहीं होगी।

तथापि, अधिनियम की धारा 194क(3)(vii)(क) के अधीन प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या सहकारी भूमि बंधक बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक को जमा पर संदत्त ब्याज के संबंध में प्रदत्त विद्यमान छूट निरंतर लागू रहेगी। इसलिए, उक्त खंड (vii)(क) में निर्दिष्ट इन सहकारी प्रत्यय सोसाइटियों/बैंकों से, प्रस्तावित संशोधन के पश्चात भी जमाकर्ताओं को ब्याज के संदाय पर कर कटौती अपेक्षित नहीं होगी। और, अधिनियम की धारा 194क(3)(v) के अधीन उपबंधित एक सहकारी सोसाइटी द्वारा दूसरी सहकारी सोसाइटी को संदत्त ब्याज से कर की कटौती से विद्यमान छूट सहकारी बैंक को लागू बनी रहेगी और, इसलिए, किसी सहकारी बैंक से जमाकर्ता सहकारी सोसाइटी को सावधिक जमा पर ब्याज के संदाय से कर की कटौती अपेक्षित नहीं होगी।

बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक द्वारा ब्याज के संदाय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का विद्यमान उपबंध केवल 1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात किए गए सावधिक जमा पर ब्याज के संदाय को लागू होता है। अधिनियम की धारा 194क में उपबंधित "सावधिक जमा" की परिभाषा इसके विस्तार से आवर्ती जमा को अपवर्जित करती है। इसलिए, बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक द्वारा आवर्ती जमा पर ब्याज का संदाय वर्तमान में टीडीएस के अधीन नहीं है। आवर्ती जमा नियत अवधि के लिए भी किया जाता है और इसलिए वह सावधिक जमा के समान है। इसलिए, "सावधिक जमा" की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिनियम की धारा 194क के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए इसके विस्तार में आवर्ती जमाओं को सम्मिलित किया जा सके। तथापि, आवर्ती जमाओं पर ब्याज के संदाय की दशा में कर की कटौती न करने के लए 10,000 रुपए की विद्यमान ऊपरी सीमा छोटे जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए लागू रहेगी।

वर्तमान में, अधिनियम की धारा 194क(3)(i) के परंतुक के उपबंध उपबंधित करते हैं कि बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक अथवा पब्लिक कंपनी द्वारा कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ब्याज से आय इन अस्तित्वों की शाखा के निर्देश से संगणित की जाएगी। वर्तमान में, उनमें से अधिकतर अस्तित्व कम्प्यूटरकृत हैं और ब्याज के प्रत्यय के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन का अनुसरण करते हैं, अस्तित्वों द्वारा ब्याज की शाखा बार संगणना को जारी रखने का कोई तर्काधार नहीं है, जिन्होंने कोर बैंकिंग सोल्यूशन अंगीकार किया है। इसलिए अधिनियम की धारा 194क के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 194क के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए ब्याज की आय की संगणना बैंकिंग कंपनी या प्रत्यय या संदत्त आय के निर्देश से की जानी चाहिए, जिसने कोर बैंकिंग सोल्यूशन अंगीकार किया है।

अधिनियम की धारा 194क(3)(ix) के अधीन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पंचाट किए गए प्रतिकरात्मक रकम पर प्रत्यय या संदत्त ब्याज से कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं है, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे ब्याज से प्रत्यय या संदत्त रकम 50,000/- रुपए से अधिक नहीं है। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा अधिनियम की धारा 56 के उपबंध के साथ-साथ अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 145क, अन्य बातों के साथ, उल्लेख करती है कि प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर से प्राप्त ब्याज आय उस वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें वह प्राप्त की गई है। तथापि, अधिनियम की धारा 194क के विद्यमान उपबंध प्रतिकर पर संदत्त या प्रत्यय ब्याज से कर की कटौती के लिए, जो भी पूर्वतर हो, उपबंध करते हैं। अधिनियम की धारा 145क(ख) अधिनियम की धारा 145 में अंतर्विष्ट लेखा की पद्धति के अपवाद का उपबंध करती है और केवल प्राप्ति आधार पर प्रतिकर पर ब्याज के कराधान का आदेश करती है। इसलिए, ऐसे ब्याज पर वाणिज्यिक/प्रोदभूत आधार पर कर की कटौती के परिणामस्वरूप असम्यक कठिनाई और गलत मिलान होता है। इसलिए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 194क के अधीन मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम द्वारा पंचाट प्रतिकर रकम पर ब्याज के संदाय से कर की कटौती केवल संदाय के समय पर की जाएगी यदि ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों पर संकलित रकम वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000/- रुपए से अधिक है।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

[खंड 42]

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम के अध्याय 17-ख के अधीन, किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट दर से कतिपय विनिर्दिष्ट संदाय पर कर कटौती की जानी अपेक्षित है। कर कटौती करने वाले व्यक्ति (कटौती कर्ता) से विहित नियत तारीख तक तिमाही के दौरान की गई कर की कटौती के विवरण अन्तर्विष्ट करने वाले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरणी पर तिमाही कर कटौती फाइल की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार, अधिनियम के अध्याय 17-खख के अधीन किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट दर पर कतिपय विनिर्दिष्ट प्राप्तियों पर कर संग्रहण किया जाना अपेक्षित है। कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति (संग्रहणकर्ता) से विहित नियत तारीख तक तिमाही के दौरान किये गये कर संग्रहण के विवरण अन्तर्विष्ट करने वाले स्रोत पर तिमाही कर संग्रहण (टीसीएस) विवरणी पर फाइल किया जाना अपेक्षित है।

टीडीएस/टीसीएस को देने में देरी के विरुद्ध प्रभावकारी भयोपकारी का उपबंध करने के लिए वित्त अधिनियम 2012 द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरणी को देरी से देने के लिए फीस के उदग्रहण का उपबंध करने के लिए अधिनियम में धारा 234 ड अन्तः स्थापित की गई। अधिनियम की धारा 234ड के अधीन फीस उदग्रहण कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरणी के समय से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुपालन के सुधार में प्रभावी उपस्कर होना साबित किया है।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा अधिनियम में धारा 200क अन्तः स्थापित की गई जो कटौतीकर्ता को संदेय या प्रतिसंदेय रकम का अवधारण करने के लिए टीडीएस विवरणी को प्रक्रियागत करने के लिए उपबंध करती है। तथापि, जैसे कि अधिनियम में धारा 200क के अन्तःस्थापन के पश्चात धारा 243ड अन्तःस्थापित की गई थी, अधिनियम की धारा 200क के विद्यमान उपबंध टीडीएस को प्रक्रियागत करने के समय पर अधिनियम की धारा 234ड के अधीन संदेय फीस का अवधारण करने के लिए उपबंध नहीं करती है। अतः अधिनियम की धारा 200क के उपबंधों का संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे कि अधिनियम की धारा 200क के अधीन टीडीएस विवरणी की प्रक्रिया के समय पर अधिनियम की धारा 234ड के अधीन संदेय फीस की संगणना को समर्थ बनाया जा सके। वर्तमान में, अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंध कटौतीकर्ता को इस टीडीएस संशोधन विवरणी को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाती है और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 200क इस टीडीएस विवरणी संशोधन की प्रक्रियागत करने के लिए अनुज्ञात करती है। तथापि, वर्तमान में ऐसा कोई उपबंध विद्यमान नहीं है जो उस टीसीएस विवरणी के संबंध में, जो प्रस्तुत की गई है, संशोधन विवरणी फाईल करने के लिए अनुज्ञात करता है। अतः, अधिनियम की धारा 206ग के उपबंधों का संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे कि संग्रहणकर्ता को टीसीएस संशोधन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके।

वर्तमान में अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध विद्यमान नहीं है जो टीडीएस विवरणी की प्रक्रिया करने के रूप में उपलब्ध संग्रहणकर्ता द्वारा फाईल की गई टीसीएस विवरणी को प्रक्रियागत करने में समर्थ बना सके क्योंकि टीसीएस विवरणी की क्रियाविधि टीडीएस विवरणी के समरूप है। अधिनियम की धारा 200क में अन्तर्विष्ट टीडीएस विवरणी की प्रक्रिया करने के लिए विद्यमान उपबंध के आधार पर टीसीएस विवरणियों को प्रक्रियागत करने के लिए अधिनियम में किसी उपबंध का अन्तःस्थापन करना प्रस्तावित है। प्रस्तावित उपबंध भी अधिनियम की धारा 234ड के अधीन संदेय फीस की संगणना करने के लिए क्रियाविधि को समाविष्ट करता है।

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, टीडीएस विवरणी के प्रक्रियागत होने के पश्चात संदेय या प्रतिसंदेय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए कोई इतला सृजित की जाती है। टीडीएस विवरणी को प्रक्रियागत करने के पश्चात सृजित यह इतला —(i) अधिनियम की धारा 154 के अधीन अनुसमर्थन के अध्यक्षीन है; (ii) अधिनियम की धारा 246 क के अधीन अपीली है; और (iii) अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के रूप में समझी गई है। चूंकि कि टीसीएस विवरणी के प्रस्तावित प्रक्रियागत होने के पश्चात सृजित इतला टीडीएस विवरणी के प्रक्रियागत होने के पश्चात सृजित इतला के साथ एक समान होगी, अतः, यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि टीसीएस विवरणी के प्रक्रियागत होने के पश्चात सृजित इतला भी—

- (i) अधिनियम की धारा 154 के अधीन अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगी;
- (ii) अधिनियम की धारा 246क के अधीन अपीलीय होगी; और
- (iii) अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के रूप में समझी जाएगी

आगे, चूंकि टीसीएस विवरणी के प्रस्तावित प्रक्रियागत होने के पश्चात सृजित इतला अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के रूप में समझी जाएगी। इतला में विनिर्दिष्ट कर के संदाय की असफलता अधिनियम की धारा 220(2) का उदग्रहण करेगी। तथापि, अधिनियम की धारा 206 ग (7) भी जारी की जाने वाली इतला में विनिर्दिष्ट कर अंशदाय के लिए ब्याज के उदग्रहण के लिए उपबंधों को अन्तर्विष्ट करती है। अधिनियम की धारा 206 ग(7) तथा धारा 220(2) दोनों के अधीन उसी अवधि के व्यतिक्रम के लिए उसी रकम पर प्रभारित ब्याज की संभावना को हटाने के लिए, यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि जहां ब्याज प्रस्तावित उपबंध के अधीन जारी इतला में विनिर्दिष्ट कर रकम पर अधिनियम की धारा 206(7) के अधीन किसी अवधि के लिए प्रभारित होता है, तब, कोई भी ब्याज उसी अवधि के लिए उसी रकम पर अधिनियम की धारा 220(2) के अधीन प्रभारित नहीं रहेगा।

टीडीएस और टीसीएस के संदाय की विद्यमान स्कीम के अधीन, सरकारी कटौती कर्ताओं/संग्रहणकर्ताओं के चालान अर्थात् बही प्रविष्टि को बनाये बिना उनके द्वारा कटौती की गई है। संग्रहीत किये गये कर का संदाय करने के लिए अनुज्ञात किया गया है। बही प्रविष्टि के माध्यम से कटौती किये गये संग्रहीत किये गये कर के संदाय के लिए, आहरण और सवितरण अधिकारी (डीडीओ) वेतन और लेखा अधिकारी या कोषगार अधिकारी या चौक आहरण और सवितरण अधिकारी (पीएओ/टीओ/सीडीडीओ) जो टीडीएस/टीसीएस रकम को बही प्रविष्टि के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में जमा करता है, सरकारी कटौतीकर्ता द्वारा बही प्रविष्टि के माध्यम से संदाय सरकारी कटौतीकर्ता द्वारा बही प्रविष्टि के माध्यम से संदत्त टीडीएस/टीसीएस के लिए प्रत्यय का सृजन होने के लिए पीएओ/टीओ/सीडीडीओ से सूचना प्राप्त करने के लिए एक तंत्र को 01.04.2010 से प्रभावी आय कर नियम, 1962 के नियम 30 और नियम 37गक के संशोधन द्वारा पुरःस्थपित किया गया है। उक्त नियम उपबंध करता है कि पीएओ/टीएओ/सीडीडीओ प्ररूप 24छ में विहित बही प्रविष्टि के माध्यम से किये गये टीडीएस/टीसीएस के संदाय का विवरण फाईल करेगा। इस बही प्रविष्टि के माध्यम से किये गये संदाय की रिपोर्ट करने वाले ने सरकार कटौती-कर्ता द्वारा टीडीएस/टीसीएस की रिपोर्ट करने वाली कार्य पद्धति को कुछ हद तक सुधार दिया है। यह देखा गया है कि अधिकतर मामले में पीएओ/टीओ/सीडीडीओ

विहित समय में, प्ररूप 24छ फाइल नहीं करते हैं। प्ररूप 24छ प्रस्तुत करने में विलंब का परिणाम डीडीओ द्वारा टीडीएस/टीसीएस विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब होता है। बही प्रविष्टि के माध्यम से टीडीएस/टीडीएस के संदाय की रिपोर्टिंग सुधारने तथा विद्यमान प्रणाली को प्रवर्तनीय बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 200 और धारा 206ग के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 192(1क) के अधीन संदत्त समेत) कटौती किया गया/संग्रहीत कर चालान प्रस्तुत किए बिना संपत्त कर दिया गया है, पीएओ/टीओ/सीडीडीओ या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जो केन्द्रीय सराकर के प्रत्य में ऐसी राशि प्रत्यय करने के लिए उत्तरदायी है, विहित समय के भीतर विहित कथन विहित अवधि के लिए विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकारी को विहित नीति में उसे सत्यापित करते हुए और विहित विशिष्टियां देते हुए प्रस्तुत करेगा। कथन फाइल करने की इस प्रस्तावित बाध्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम की धारा 272 क के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे व्यतिक्रम के प्रत्यक दिन के लिए 100/- रु. की शास्ति का उपबंध किया जा सके जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, जो कटौती योग्य या संग्रहण योग्य रकम की सीमा के अधधीन है, जिनके संबंध में कथन प्रस्तुत करना है।

अधिनियम की धारा 192 के अधीन, अधिनियम के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति (डीडीओ) को निर्धारिती धारा के अधीन कटौती योग्य कर की रकम की संगणना के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कतिपय कटौतियों, छूटों या कतिपय हानि की मोकों या मुजराओं को अनुज्ञात करने के लिए प्राधिकृत है। कर्मचारी द्वारा दावा की गई कुछ कटौतियां/छूटों/मोकों/हानि का मुजरा के लिए साक्ष्य/सबूत/विशिष्टियां जैसे गृह किराया भत्ता की छूट का दावा करके के लिए किराया रसीद स्वयं के दखल में गृह संपत्ति आदि से हानि का दावा करने के लिए ब्याज के संदायों का साक्ष्य संवितरण और आहरण अधिकारी (डीडीओ) के पास सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में, संवितरण और आहरण अधिकारी को कर्मचारी द्वारा कटौतियों, छूटों आदि अपने दावे की समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य/विशिष्टियों, यदि कोई हो, पर निर्भर करना होता है। चूंकि अधिनियम के विद्यमान उपबंधों में संवितरण और आहरण अधिकारी द्वारा अभिप्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य/दस्तावेजों की प्रकृति की बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं है, इस विषय में संवितरण और आहरण अधिकारी के दृष्टिकोण में कोई सफलता नहीं होती है। इस विषय में स्पष्टता करने के लिए, अधिनियम की धारा 192 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 192(1) के अधीन निर्धारिती की आय का प्राक्कलन करने या कटौती योग्य कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, संदाय हेतु जिम्मेदार व्यक्ति विहित प्ररूप और रीति में अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित दावे (हानि के मुजरा के दावा सहित) के साक्ष्य या सबूत या विशिष्टियां का निर्धारिती से प्राप्त करेगा।

अधिनियम को धारा 195 की उपधारा (6) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध हैं कि अधिनियम की धारा 195(1) में निर्दिष्ट व्यक्ति विहित सूचना प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की धारा 195(1) यह उपबंध करती है किसी भाग धारा 194 ठख या धारा 194ठग या 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज से भिन्न, या किसी अनिवासी की, जो कंपनी नहीं है, कर से प्रभार्य किसी राशि (जो वेतन आय नहीं हैं) या किसी विदेशी कंपनी प्रवृत्त दरों पर कर की कटौती करेगा। प्रेषणों की बाबत सूचना प्राप्त करने का तंत्र कराधेय प्रेषणों से समुचित दर पर की कटौती सुनिश्चित करने और साथ ही ऐसे प्रेषणों की पहचान करने, जिन पर कर कटौती योग्य था किन्तु संदायकर्ता कर की कटौती करने में असफल हुआ है, के दोनों युगलित उद्देश्यों को पूरा करता है, अतः केवल ऐसे प्रेषणों की बाबत ऐसी सूचना प्राप्त करना जिसे प्रेषक ने विदेशी प्रेषणों के लिए सूचना प्राप्त करने के मुख्य सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त को कराधेय पराजयों के रूप में घोषित किया है अर्थात कराधेय प्रेषणों की पहचान करना जिन पर कर कटौती योग्य था किन्तु कटौती नहीं की गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 195 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी राशि का संदाय करने के लिए चाहे वह कर से प्रभार्य हो या नहीं, किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति से ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए विहित राशि की सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस समय किसी अनिवासी को प्रेषण की बाबत विहित सूचना के प्रस्तुत न करने, गलत प्रस्तुतिकरण के लिए शास्ति के उदग्रहण के लिए कोई उपबंध नहीं है। अनिवासी को प्रेषण की बाबत सही सूचना की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम में एक नया उपबंध अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके अधिनियम की धारा 195(6) की उपधारा (6) के अधीन सूचना के न दिए जाने या गलत सूचना के दिए जाने के दशा में एक लाख रुपए की शास्ति उदग्रहीत की जाएगी। अधिनियम की धारा 273ख के उपबंधों को संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किए गए उपबंध के अधीन कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन सूचना के न देने या गलत सूचना देने के लिए युक्तियुक्त कारण था।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे ।

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (ईपीएफएस) के लिए स्त्रोत पर कर कटौती (डीडीएस) का सरलीकरण

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एम पी अधिनियम, 1952) के अधीन, कतिपय विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 (ईपीएफएस) का अनुपालन करने की अपेक्षा जरूरी है। तथापि, इन नियोक्ताओं को कतिपय शर्तों का पूरा करने के अधीन रहते हुए अपने स्वयं के प्राइवेट भविष्य निधि (पीपीएफ) स्कीम को स्थापित और उसका प्रबंध करने के लिए भी अनुज्ञात किया जाता है और ईजीएफ और एमवी अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन स्थापित भविष्य निधि उक्त कर्मचारियों की भविष्य निधि की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त और आयकर अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (आरपीएफ) जाता है।

आरपीएफ से संबंधित उपबंध अधिनियम की चौथी अनुसूची (अनुसूची 4-क) में अंतर्बलित हैं। अधिनियम की अनुसूची 4-क के नियम 8 के विद्यमान उपबंधों के अधीन आरपीएफ से किसी कर्मचारी द्वारा संचयित अतिशेष का वापस लिया जाना कर से छूट प्राप्त है। तथापि, समयपूर्व वापस लिए जाने को हतोत्साहित करने के लिए और दीर्घ कालिक बचतों को बढ़ावा देने के लिए, यह उपबंध किया गया है कि ऐसा वापस लिया जाना तब कराधेय होगा जब, कर्मचारी पांच वर्ष की निरन्तर सेवा से पहले (स्वास्थ्य खराब; कारबार बन्द आदि होने के कारण पर्यवसान के मामलों से भिन्न) कोई प्रत्याहरण करता है और नए नियोक्ता संचयित अतिशेष के अंतरण के लिए विकल्प नहीं लेता है। ऐसे समय पूर्व प्रत्याहरण की बाबत कर्मचारी के कर दायित्व का अवधारण करने के लिए संगणना तंत्र का और उपबंध करता है। इन प्रत्याहरणों की बाबत कर संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची 4-क का नियम 10 यह उपबंध करता है कि संदाय के समय आरपीएफ के न्यासी अनुसूची 4-क के नियम 9 में यथा संगणित कर की कटौती करेंगे।

अधिनियम की अनुसूची-4क का नियम 9 यह उपबंध करता है कि निकाली गई रकम पर कर उन वर्षों के लिए कर दायित्व की पुनः संगणना करने संगणित किया जाना अपेक्षित है जिनके लिए आईपीएफ में संदाय और मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में उसे अंशदान के रूप में उसे अंशदान के रूप में मान कर किया गया है। प्राइवेट पीएफ स्कीमों के न्यासियों की जो नियोक्ता समूह के सामान्यतः भाग है। अधिनियम की अनुसूची 4-क के नियम 9 के अधीन कर दायित्व की रकम की संगणना के प्रयोजनों के लिए समयपूर्व प्रत्याहरण करके कर्मचारी की कराधेयता के बारे में सूचना-तक पहुंच रखता है या उसे सहज अभिप्राप्त कर सकता है। तथापि कई बार कर्मचारी की कराधेयता के जैसे अधिनियम की अनुसूची 4-क के नियम 9 के अधीन कर दायित्व की रकम की संगणना के प्रयोजनों के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पीएफएस के न्यासियों के लिए यह संभव नहीं है।

अतः ईपीएफएस समयपूर्व कराधेय प्रत्याहरण पर 10% की दर पर कर की कटौती के लिए अधिनियम में एक नया उपबंध अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है, कराधेय सीमा से नीचे कराधेय आय रखने वाले कर्मचारियों का अनुपालन भार को व्यय करने के लिए, इस प्रस्तावित उपबंध की अनुप्रयोजनीयता के लिए 30,000/- रु. के संदाय की सीमा का उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जात है। कर खी कटौती की अनुप्रयोजनीयता के लिए इस सीमा का उपबंध करने की बजाए, ऐसे मामलें हो सकते हैं जहां कर्मचारियों की कुल आय पर संदेय कर समयपूर्व प्रत्याहरण की रकम सम्मिलित करने के पश्चात की शून्य हो सकेगा। इन कर्मचारियों के अनुपालन भार को कम करने के लिए यह और प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 197 क के अधीन कर का कटौती करने के लिए स्व घोषणा फाइल करने की सुविधा को समय पूर्व प्रत्याहरण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर विस्तारित किया जाएगा अर्थात कर्मचारी इस प्रभाव की प्ररूप सं. 15छ में घोषणा सकता है कि ईपीएफएस से कराधेय समयपूर्व प्रत्याहरण सम्मिलित करके उसकी कुछ आय कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी ऐसे कर्मचारी को संदेय करने रकम ईपीएफएस उस किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी। अधिनियम की धारा 197 क के अधीन की कटौती न करने के लिए प्ररूप सं. 15ज ये स्वघोषणा फाइल करने की वैसी ही सुविधा समय पूर्व प्रत्याहरण प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक कर्मचारियों पर विस्तारित की जाएगी।

तथापि, पूर्व-परिपक्व आहरण करने वाले कुछ कर्मचारी उच्चतर स्लैब दरों (20% से 30%) पर कर का संदाय कर सकेंगे। इसलिए, वास्तविक कर दायित्व की तुलना में टीडीएस इन कर्मचारियों द्वारा या तो उनके नए नियोक्ता से बकाया कर की कटौती का निवेदन करके या अग्रिम कर/स्व-निर्धारित कर के संदाय के माध्यम से संदत्त करना अपेक्षित है। इस कर्मचारियों द्वारा बकाया कर का संदाय सुनिश्चित करने के लिए, उनके द्वारा ईपीएफएस को वैध स्थायी लेखा संख्यांक (पेन) प्रस्तुत करना एक पूर्व शर्त है। अधिनियम की धारा 206खख के विद्यमान उपबंध पीएएन प्रस्तुत न करने की दशा में 20% की दर से कर की कटौती का उपबंध करते हैं, जहां स्त्रोत पर कर की कटौती की दर विनिर्दिष्ट है। जैसा पूर्व में उल्लिखित किया गया है, ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जो उच्चतर स्लैब दर पर कर के संदाय के दायी हों। इन कर्मचारियों से बकाया कर का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए, यह भी प्रस्ताव है कि इन संदायों को प्राप्त करने के लिए ईपीएफएस को पीएएन प्रस्तुत न करने पर कर की कटौती अधिकतम सीमांत दर पर होगी।

ये संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

अनुमोदित-इन हाउस अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) सुविधा द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें

अधिनियम की धारा 35 (2कख) के अधीन, जैव प्रौद्योगिकी या माल का विनिर्माण करने के कारबार में लगी कंपनी को 200% की भारित कटौती अनुमोदित इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर उपगत व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं) के लिए अनुज्ञात है। इस भारित कटौती का लाभ लेने के लिए, कंपनी से सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ करार करना अपेक्षित है। सचिव, डीएसआईआर से विहित प्ररूप में डीजीआईटी (छूट) से अनुमोदन के संबंध में रिपोर्ट भेजना अपेक्षित होता है जिसका निर्धारित कंपनी पर क्षेत्राधिकार नहीं होता है। और कंपनी से अनुमोदित और आर एण्ड डी सुविधा के लिए पृथक लेखा की संपरीक्षा करवाना भी अपेक्षित होता है। तथापि, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति केवल डीएसआईआर को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। महा नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने भेषजीय सेक्टर की निष्पादन संपरीक्षा पर अपनी रिपोर्ट में इस भारित कटौती की मानीटरी से संबंधित उपबंध के सुव्यवस्थीकरण के लिए सिफारिश की थी। अधिनियम की धारा 35 (2कख) के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात हो यदि ऐसी अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए कंपनी विहित प्राधिकारी के साथ करार करती है और रख-रखाव तथा लेखों की संपरीक्षा के संबंध में विहित शर्तों को पूर्ण करती है तथा विहित रिपोर्ट की प्रस्तुत करती है।

अधिनियम की धारा 35(2कक) और धारा 35(2कख) में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के प्रतिनिर्देश अंतः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि उसमें निर्दिष्ट रिपोर्ट, उक्त धारा के अधीन भारित कटौती का दावा करने वाली कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त को भेजी जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

(खंड 12)

रिपोर्ट/प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लेखाकर के लिए निरर्हता का विनिर्देश

अधिनियम में अनेक उपबंध (अर्थात् धारा 44 कख, धारा 80ठक, धारा 92 धारा 115 ख) अन्तर्विष्ट हैं जो करदाताओं द्वारा कराधेय अन्य सही रिपोर्टिंग। संगणना सुनिश्चित करने के लिए "लेखाकार" द्वारा जारी किए गई संपरीक्षा रिपोर्ट और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना करदाताओं के लिए आज्ञापक बनाता है। अधिनियम की धारा 288(2) के नीचे स्पष्टीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर चार्टर्ड लेखाकर के रूप में "लेखाकार" को परिभाषित करता है (जिसके अन्तर्गत किसी राज्य के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226(2) के अधीन संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्ति भी है)।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) निर्धारण कार्यवाहियों में तृतीय पक्षकार (चार्टर्ड लेखाकार) प्रमाणन का मूल्यांकन (2014 क सं.32) पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के पैरा 3.9 में, यह कथन किया गया है कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम 1949 ऐसे किसी कारबार या किसी उद्यम, जिसमें उसका, उसके नातेदार, उसकी फर्म या फर्म में भागीदार का कोई सारवान हित है, के वित्तीय विवरण पर अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए संपरीक्षक को विवर्जित करता है। तथापि, संपरीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि किसी संपरीक्षक ने निकटतः नियंत्रित कंपनी की बाबत प्ररूप 56च में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें संपरीक्षक का भाई प्रबंधक निदेशक था।

संपरीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 की उप धारा (3) में ऐसे कतिपय व्यक्तियों की सूची अन्तर्विष्ट है जो संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षक प्रमाणन कृत्य का उपबंध मुख्यतः राजस्व के हितों की संरक्षा करने के लिए किया गया है। ऐसा संपरीक्षक जो स्वतंत्र नहीं है राजस्व के हितों की संरक्षा करने के अपने कृत्य का सार्थक रूप से निर्वहन नहीं कर सकता। अतः, अधिनियम की धारा 288 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई संपरीक्षक जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं, उस कंपनी की बाबत अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई संपरीक्षा किसी रिपोर्ट/ प्रमाणपत्र को देने के लिए पात्र नहीं होगा। वैसे ही आधार पर, गैर कंपनी की बाबत अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई संपरीक्षा करने या कोई रिपोर्ट/प्रमाणपत्र देने के लिए अपात्रता का उपबंध किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी निर्धारित की बाबत कोई संपरीक्षा करने या कोई रिपोर्ट/प्रमाणपत्र देने के लिए अपात्रता उस निर्धारित की और से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयकर कार्यवाही में हाजिर होने के लिए लेखाकार को अपात्र नहीं बनाएगी। यह उपबंध करने के लिए और प्रस्ताव है कपट अन्तर्वलित करने वाले अपराध के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा। (कंपनी अधिनियम, 2013 में "चार्टर्ड लेखाकार" की परिभाषा के आधार पर अधिनियम की धारा 288(2) के नीचे स्पष्टीकरण में "लेखाकार" की परिभाषा को पुनरीक्षित करने का भी प्रस्ताव है)।

यह संशोधन 1 जून, 2015 से प्रभावी होगा।

(खंड 77)

**धारा 271, की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन आय के छिपाए जाने के लिए
शास्ति के प्रयोजनों के लिए अपवंचन किए जाने के लिए कर की रकम**

धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन आय को छिपाने या अपवंचन किए जाने वाली कर की रकम पर आय की गलत विशिष्टियां देने के लिए शास्ति उदग्रहीत की जाती है जो अन्य बातों के साथ-2 निर्धारित आय पर देय कर और ऐसी कुल आय पर प्रभावी होता, यदि ऐसी कुल आय में से छिपाई गई आय की रकम में से उसे घटा दिया गया हो, उसके बीच के अन्तर को परिभाषित किया गया है।

धारा 115अख या 115अग के अधीन वहां आय को छुपाया गया है या आय की संगणना के लिए आय की अशुद्ध विशिष्टियां दी गई हैं, वहां वांछित अपवंचन कर की राशि की संगणना करने में समस्या उत्पन्न हुई है और धारा 115अख या धारा 115अग के उपबंधों से भिन्न उपबंधों के अधीन (जिन्हें इसके पश्चात् साधारण उपबंध कहा गया है)। और न्यायालयों ने धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति उन मामलों में उदग्रहीत नहीं हो सकती है जहां साधारण उपबंधों में आय की संगणना की गई है, के अधीन आय छुपाई गई है और धारा 115अख या 115अग के उपबंधों के अधीन कर संदत है।

धारा 115अख या 115अग के अधीन साधारण उपबंधों के अधीन उद्भूत कर दायित्व के अतिरिक्त संदत कर भविष्य में कर दायित्व के विरुद्ध मुजरे के लिए प्रत्यय के तौर पर उपलब्ध रहता है। साधारण उपबंधों के अधीन आय और कर दायित्व के अवकथन अधिक राशि के परिणामस्वरूप आते हैं, जो भविष्य के वर्षों में निर्धारिती के लिए प्रत्यय के रूप में मुजरा हेतु उपबन्ध करता है। इस प्रकार जहां आय को छुपाया गया है, संगणना साधारण उपबंधों के अधीन की गई, वहां धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति उदग्रहीत होनी चाहिए, तथापि यदि निर्धारिती का वार्षिक कर दायित्व धारा 115अख या 115अग के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, अधिनियम धारा 271 के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे उपबंध किया जा सके कि वांछित अपवंचन कर की राशि को, जो साधारण उपबंध के अधीन वांछित अपवंचन कर और धारा 115अख या 115अग के उपबंधों के अधीन वांछित अपवंचन कर के साथ सम्मिलित किया जाएगा। तथापि, यदि किसी मुद्दे पर छिपाई गई आय की राशि पर साधारण उपबंधों और धारा 115अख या 115अग के उपबंधों के अधीन विचार किया है तब धारा 115अख या 115अग के उपबंधों के अधीन वांछित कर अपवंचन की राशि पर विचार नहीं किया जाएगा। और, उस दशा में जहां धारा 115अख या 115अग के उपबंध लागू नहीं हैं, वहां धारा 115अख या 115अग के उपबंधों के अधीन वांछित कर अपवंचन की संगणना को छोड़ दिया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

(खंड 68)

**परिणामिक कंपनी के हाथ में पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत का ऐसी
लागत होना जिसके लिए अविलयित कंपनी ने पूंजी आस्ति अर्जित की थी**

आय-कर अधिनियम धारा 47 के खंड (viख) के अधीन तब अविलय की स्कीम में किसी पूंजी आस्ति का अविलयित कंपनी से परिणामिक कंपनी में अंतरण को अंतरण नहीं माना जाता है, भारतीय कंपनी यदि परिणामिक कंपनी एक है। ऐसी दशा में परिणामिक कम्पनी के कब्जे में ऐसी आस्ति की लागत अविलयित कम्पनी के कब्जे में ऐसी आस्ति की लागत जैसी होनी चाहिए जैसे कि अविलयित कंपनी द्वारा सुधार की लागत यदि कोई है, जैसे अविलयित कंपनी द्वारा किया गया है, से लागत में वृद्धि हुई है, और, परिणामिक कंपनी के कब्जे में ऐसी आस्ति की अवधि में अविलयित कंपनी के कब्जे में आस्ति की अवधि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, वहां इस प्रभाव का कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। तदनुसार, धारा 47 के खंड (vi)ख के अधीन अंतरण को सम्मिलित करते हुए आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ड) के संशोधन का प्रस्ताव है और उपबंध करता है कि परिणामिक कंपनी द्वारा अर्जित आस्ति की अर्जन लागत वही होगी जो अविलयित कंपनी द्वारा पूंजी आस्ति के सुधार की लागत द्वारा जिसे अविलयित कंपनी द्वारा किया गया है, से लागत में वृद्धि हुई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में तथा पश्चातवर्ती वर्षों के लिए लागू होगा।

(खंड 14)

सीमाशुल्क

- टिप्पण:** (क) "आधारिक सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
- (ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
- (ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
- (घ) "निर्यात शुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
- (ङ) वर्गाकार कोष्ठकों [] में खंड संख्या वित्त विधेयक, 2014 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।

वित्त विधेयक, 2015 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन :

- 1) धारा 28 का संशोधन किया जा रहा है जिससे :
- (i) यह उपबंध करने के लिए कि उसकी उपधारा (2) में एक परन्तुक अंतःस्थापित किया जा सके कि शुल्क के संदाय से बचने के आशय से कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्याकथन या तथ्यों को छिपाया जाना या अधिनियम या नियम के किसी उपबंध के उल्लंघन को अन्तर्वलित नहीं करने वाले मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि, यथास्थिति, धारा 28क के अधीन उद्ग्रहणीय ब्याज सहित शुल्क की रकम या ब्याज की रकम का जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हैं, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर, संदत्त की जाती है और ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की बाबत कार्यवाहियां, जिनपर नोटिस की तामील की गई है, समाप्त हुई समझी जाएगी;
- (ii) यह उपबंध करने के लिए कि कर के संदाय से बचने के आशय से कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर मिथ्याकथन या तथ्यों का छिपाया जाना या अधिनियम या नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन अन्तर्वलित करने वाले मामलों में संदेय शास्ति की रकम वर्तमान 25% के स्थान पर 15% होगी।
- (iii) यह उपबंध करने के लिए कि स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने के लिए कि जहां, यथास्थिति, धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस की तामील की गई है किन्तु उपधारा (8) के अधीन शुल्क अवधारित करने वाला आदेश उस तारीख से पूर्व पारित नहीं किया गया है जिसको वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है तब धारा 135, धारा 135क और धारा 140 जो लागू हों, के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों, जिनपर, नोटिस भी तामील की जाती है, के संबंध में कार्यवाहियां तब समाप्त हुई समझी जाएगी जब, यथास्थिति, उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन या उपधारा (5) के अधीन शुल्क ब्याज और शास्ति का संदाय उस तारीख से जिसको ऐसी सहमति प्राप्त की जाती है, 30 दिन के भीतर पूर्णतः किया जाता है।
- [खंड 80]
- 2) धारा 112 माल, इत्यादि के अनुचित आयात के लिए शास्ति का उपबंध करती है। धारा 112 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध करने के लिए खंड (ख) के उपखंड (ii) को प्रतिस्थापित किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रतिषिद्ध माल से भिन्न किसी शुल्क्य माल, जिसके बारे में वह जानकारी रखता है या विश्वास करने का कारण रखता है, का अधिहरण प्राप्त करता है या उससे किसी भी रूप में संबंध रखता है या उसका किसी भी अन्य रीति में व्योहार करता है, धारा 111 के अधीन अधिहरण का दायी हैं, धारा 114क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस शुल्क, जिसकी 5000/- रुपए की अपवंचन किए जाने की ईप्सा की गई है, के दस प्रतिशत से अनधिक शास्ति, जो भी अधिक हो, का दायी होगा। यह भी उपबंध किया जा रहा है कि दुरभिसंधि या किसी जानबूझ कर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाए जाने के कारणों से शुल्क का कम उद्ग्रहण या अउद्ग्रहण या कम संदाय या असंदाय और गलती से प्रतिसंदाय के मामलों में, यदि धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित शुल्क और धारा 28क के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है तो इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का 25% होगी।
- [खंड 81]
- 3) धारा 114 अनुचित रूप से माल, इत्यादि के निर्यात करने के लिए प्रयास के संबंध में शास्ति आदि का उपबंध करती है। धारा 114 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध करने के लिए खंड (ii) प्रतिस्थापित किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रतिषिद्ध माल से भिन्न किसी शुल्क्य माल के संबंध में कोई कार्य या लोप करता है जिसमें कार्य या लोप ऐसे माल को धारा 113 के अधीन अधिहरण का दायी बना देगा, ऐसे कार्य के करने या लोप करने का दुष्प्रेरण करता है, धारा 114क के उपबंधों अधीन रहते हुए ऐसी शास्ति का दायी होगा जो 5000 रुपए की अपवंचन किए जाने वाले शुल्क का 10% से अनधिक है, इनमें जो भी अधिक हो। यह भी उपबंध किया जा रहा है कि दुरभिसंधि या किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाए जाने के कारणों से शुल्क का कम उद्ग्रहण या कम संदाय या असंदाय और गलती से किया गया प्रतिसंदाय के मामलों में, यदि धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित शुल्क और धारा 28क के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उच्च अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त किया जाता है तो इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का 25% होगी

[खंड 82]

- 4) समझौता आयोग के उपबंधों से संबंधित धारा 127क के खंड (ख) के परंतुक को "यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण में" के प्रति निर्देश को हटाने के लिए संशोधित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके जब कोई कार्यवाही किसी न्यायालय अपील अधिकरण प्राधिकरण या किसी नए न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए किसी अन्य प्राधिकरण को वापस निर्दिष्ट किया जाता है चाहे वह अपील या पुनरीक्षण या अन्यथा में हो, तब ऐसा मामला समझौते के लिए हकदार नहीं होगा।

[खंड 83]

- 5) धारा 127ख की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि 1 जून, 2007 से पूर्व किए गए आवेदनों के मामले में और जहां उक्त तारीख से पूर्व धारा 127ग (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया गया है, वहां आवेदक 1 जून, 2007 से तीस दिन के भीतर समझौता आयोग द्वारा इस प्रकार आदिष्ट रकम का संदाय करेगा जिसके न हो सकने पर उसका आवेदन अस्वीकार किए जाने का दायी होगा। उक्त धारा के वास्तविक प्रवर्तन ने 1 जून, 2007 से तीस दिन के भीतर किए जाने वाले संदायों के लिए उपबंध किया है। इसलिए, उक्त धारा अनावश्यक हो गई है और इसका लोप किया जा रहा है।

[खंड 84]

- 6) धारा 127ग की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि 31 मई, 2007 से पहले फाइल किए गए आवेदनों की बाबत, समझौता आयोग 29 फरवरी, 2008 तक धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन समझौते का अन्तिम आदेश पारित करेगा और 31 मई 2007 के पश्चात् फाइल किए गए मामलों में नौ मास के भीतर। चूंकि 31 मई, 2007 से पहले फाइल किए गए सभी आवेदनों का 29 फरवरी, 2008 तक निपटान अवश्य ही कर दिया गया होगा, उक्त तारीखों के प्रति निर्देश अनावश्यक हो गया है। अतः, उक्त उपधारा का संशोधन किया जा रहा है जिससे "31 मई, 2007 को या उससे पहले, 29 फरवरी, 2008 के पश्चात् फाइल किए गए आवेदन की बाबत और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत" वाक्यांश का लोप किया जा सके।

[खंड 85]

- 7) धारा 127ड यह उपबंध करती है कि समझौता आयोग कतिपय दशाओं में संपूरित कार्यवाहियों को पुनः आरंभ कर सकता है। उक्त धारा के पहले परन्तुक के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच वर्ष के पश्चात् कोई कार्यवाही पुनः आरंभ नहीं की जा सकती और उक्त धारा के दूसरे परन्तुक के अनुसार समझौता आयोग 1 जून, 2007 के पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत कोई कार्यवाही पुनः आरंभ नहीं कर सकता। इस प्रकार, समझौता आयोग को 1 जून, 2007 से पांच वर्ष के पश्चात् किसी संपूरित कार्यवाही को पुनः आरंभ करने की कोई शक्ति नहीं है, इस प्रकार यह खंड अनावश्यक हो गया है अतः, इस धारा का लोप किया जा रहा है।

[खंड 86]

- 8) धारा 127ज की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि 31 मई, 2007 को या उससे पहले फाइल किए गए आवेदनों की बाबत समझौता आयोग आवेदनों का इस पुरकार विनिश्चय करेगा मानो उक्त धारा में किए गए संशोधन प्रवर्तन में नहीं थे। चूंकि 31 मई, 2007 तक फाइल किए गए सभी आवेदन का 29 फरवरी, 2008 तक अवश्य ही निपटान कर दिया गया है, उक्त स्पष्टीकरण अनावश्यक हो गया है। इसलिए उक्त स्पष्टीकरण का लोप किया जा रहा है।

[खंड 87]

- 9) खंड 127ठ उन दशाओं का उपबंध करता है जिनमें वह व्यक्ति, जिसके मामले में आदेश समझौता आयोग द्वारा पारित किया गया है, पुनः समझौता आयोग नहीं पहुंच सकता। जब 2007 में उक्त धारा का संशोधन किया गया था तब उक्त धारा ने वित्त अधिनियम 2007 की धारा 102 के प्रारंभ से पूर्व और उसके पश्चात् पारित आदेशों के संबंध में अन्तर किया है। उक्त प्रारंभ के पश्चात् विनिश्चित किए गए मामलों की बाबत आवेदक पश्चातवर्ती आवेदन करने से वर्जित किया गया था जबकि उससे पूर्व विनिश्चित मामलों में वह आवेदन कर सकता था यदि उसका मामला उपधारा (1) में उल्लिखित किसी खंड के अन्तर्गत नहीं आता था। तथापि, वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 102 के प्रारंभ के पश्चात् विनिश्चय किए गए मामलों में भी, आवेदक को समझौता आयोग पहुंचने के लिए तब अनुज्ञात किया जाएगा जब वह उपधारा (1) के खंडों में से किसी खंड से प्रभावित न किया गया हो। इस प्रकार, धारा 127ठ की उपधारा (1) का खंड (i) और खंड (ii) का संशोधन किया जा रहा है जिससे धारा 127ग की उपधारा (7) के अधीन पारित, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 102 या धारा 32च की उपधारा (5) के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान था" वाक्यांश को हटाया जा सके क्योंकि वह अनावश्यक हो गया है।

[खंड 88]

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

- 1) बिटुमनी कोयला पर आधारिक सीमाशुल्क की टैरिफ दर 55% से घटाकर 10% की जा रही है।
- 2) अध्याय 72 और अध्याय 73 की सभी टैरिफ मदों के अन्तर्गत आने वाले माल अर्थात् लौहा और स्टील तथा लोहे या स्टील की वस्तुओं पर आधारिक सीमा शुल्क की टैरिफ दर 10% से बढ़ाकर 15% की जा रही है। तथापि, इन मालों पर आधारिक सीमा शुल्क की वर्तमान प्रभावी दरों में कोई परिवर्तन नहीं है।
- 3) शीर्ष 8702 की सभी टैरिफ मदों के अन्तर्गत आने वाले माल अर्थात् दस या अधिक व्यक्तियों के लिए जिसमें चालक भी है, के परिवहन के लिए मोटर यान और 8704 अर्थात् माल के परिवहन के लिए मोटर यान पर आधारिक सीमा शुल्क की टैरिफ दर 10% से बढ़ाकर 40% की जा रही है। ऐसे यानों पर प्रभावी आधारिक सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। तथापि, पूर्णतः धनपातित दशा में ऐसे यानों तथा पूर्णतः धनपातित दशा वाले यानों सहित वैद्युत रूप से प्रचालित यानों पर सीमा शुल्क 10% पर बना रहेगा।

[खंड 89]

उपरोक्त परिवर्तन अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होंगे।

(क) शुल्क की दरों में परिवर्तन को अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव :

I. रसायन और पेट्रोरसायन

- 1) यूलेक्साइट अयस्क पर आधारिक सीमा शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 2) आइसोपरीन और लिक्वूफाइड ब्यूटेन पर आधारिक सीमा शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 3) ऐथीलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी), विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) और स्टायरीन मोनोमर (एसएम) पर आधारिक सीमा शुल्क 2.5% से घटाकर 2% किया जा रहा है।
- 4) ब्यूटिल एक्रिलेट पर आधारिक सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 5) ऐंथ्राक्यूनीन पर आधारिक सीमाशुल्क 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 6) एन्टीनोमी मेटल और एन्टीनोमी वेस्ट और स्क्रेप पर आधारिक सीमा शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 7) उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए नाफ्था, एथीलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी), विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) और स्टायरीन मोनोमर (एसएम) पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क 4% से घटाकर 2% किया जा रहा है।

II. उर्वरक

- 1) उर्वरक के विनिर्माण के लिए सलफ्यूरिक एसिड पर आधारिक सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

III. अवसंरचना

- 1) आयातित मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और उच्च गति डीजल तेल (साधारणतया सड़क उपकरण के रूप में जाना जाता है) पर अनुसूचित दरों पर उद्ग्रहित अतिरिक्त सीमा शुल्क ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 8 रु. प्रति लीटर किया जा रहा है। आयातित मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और उच्च गति डीजल तेल (साधारणतया सड़क उपकरण के रूप में जाना जाता है) पर प्रभावी दरों पर उद्ग्रहित अतिरिक्त सीमा शुल्क ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 6 प्रति लीटर किया जा रहा है।

IV. अयस्क और धातुएं :

- 1) उन्नयित आइलमीनाइट पर निर्यात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 2) धात्विक कोयला पर आधारिक सीमा शुल्क 2.5% से बढ़ाकर 5% किया जा रहा है।
- 3) लोहे और इस्पात का पिघला हुआ स्क्रेप, जिसके अंतर्गत स्टेनलेस इस्पात के पिघले हुए स्क्रेप पर कापर स्क्रेप, ब्रास स्क्रेप और एल्यूमिनियम स्क्रेप भी हैं, पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क को 4% से घटाकर 2% किया जा रहा है।
- 4) माल जो अध्याय 72 और 73 की सभी टैरीफ मदें जो कि लोहा और इस्पात और लोहा या इस्पात की वस्तु हैं, के अधीन आता है पर आधारिक सीमा शुल्क का टैरीफ दर 10% से बढ़ाकर 15% की जा रही है। तथापि, इन मालों पर आधारिक सीमा शुल्क की विद्यमान प्रभावी दरों में कोई परिवर्तन नहीं है।

V. इलेक्ट्रॉनिक / हार्डवेयर

- 1) आईटीए बाऊंड मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए सीमा शुल्क टैरीफ के किसी अध्याय के अधीन पोपयुलेटड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सिवाय आने वाली सभी मदों पर वास्तविक उपभोक्ता की शर्त के अध्याय अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क से पूर्ण छूट मिल रही है।
- 2) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन है को उत्पाद शुल्क संरचना, 1% बिना सेनवेट प्रत्यय से या 6% सेनवेट प्रत्यय के साथ से 1% सेनवेट प्रत्यय या 12.5% सेनवेट प्रत्यय के साथ, में परिवर्तन किया जा रहा है। मोबाइल हैंडसेट जिसके अन्तर्गत सेलुलर फोन 1% एनसीसीडी अपरिवर्तित रहती है।
- 3) टेबलेट कम्प्यूटर के लिए बिना 2% सेनवेट प्रत्यय के या 12.5% प्रत्यय के साथ उत्पाद शुल्क संरचना विहित की जा रही है। वास्तविक उपभोक्ता शर्तों के अध्याय रहते हुए, पुर्जों, घटकों और उपसाधनों (किसी अध्याय के अधीन आने वाला है) को टेबलेट कम्प्यूटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए और पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले उनके उप पुर्जों, घटकों तथा उपसाधनों पर आधारिक सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।
- 4) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्याय रहते हुए, विद्युतीय विद्युत रोधक के विनिर्माण में उपयोग होने वाले "धातु के पुर्जों" पर आधारिक सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।
- 5) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्याय रहते हुए, विद्युत रोधक तारों और केबल के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ऐथीलीन - प्रोपीलीन - नान - कन्ज्यूगेटड - डायन रबड़ (ईपीडीएम), जल अवरोधक टेप और मिका ग्लास टेप पर, आधारिक सीमा शुल्क 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

- 6) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, घरेलू माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में उपयोग होने वाली 1 किलोवाट तक की मेग्नीट्रॉन पर आधारिक सीमा शुल्क 5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 7) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, वाशकोट के विनिर्माण जिसका उपयोग केटालिटिक कनवर्टर के विनिर्माण में होता है, में उपयोग होने वाले जियोलाइट, सीरिया जिरकोनिया सम्मिश्रण और सीरीयम सम्मिश्रण पर आधारिक सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 8) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट सीएनसी खराद मशीनों और मशीनीकरण केन्द्रों में विनिर्माण में उपयोग होने वाले विनिर्दिष्ट घटकों पर आधारिक सीमा शुल्क 7.5 से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 9) प्रशीतित्र संपीडित्र के विनिर्माण में उपयोग होने वाले संपीडित्र के सी-ब्लाक, ओवर लोड संरक्षक (ओएलपी) और सकारात्मक तापीय सहदक्ष और संपीडित्र के लिए क्रैंक शाफ्ट पर आधारिक सीमा शुल्क 7.5 से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- 10) सुनम्य चिकित्सीय वीडियो एण्डोस्कोप के विनिर्माण में उपयोग होने वाले विनिर्दिष्ट इनपुट पर आधारिक सीमा शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- 11) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, दूरसंचार ग्रेड आपटिकल फाइबर केबल के विनिर्माण में उपयोग होने वाले एचडीपीई पर आधारिक सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 12) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, एलसीडी/एलईडी, टीवी पैनल के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ब्लैक लाइट यूनिट मोड्यूल पर आधारिक सीमा शुल्क 10% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 13) आर्गेनिक एलईडी (ओएलईडी) टीवी पैनल पर आधारिक सीमा शुल्क 10% से घटाकर शून्य किया जा रहा है।
- 14) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, पेसमेकर के विनिर्माण में उपयोग होने वाले विनिर्दिष्ट कच्चे तेल (बैटरी, टाईटेनियम, पैलेडियम तार, इयूटेक्टिक तार, सिलिकोन रेसिन और रबड़, सोल्डर पेस्ट, रीड स्विच, डायोड्स, ट्रांसिस्टर, कैपेसिटर, कंट्रोलर, कोइल (इस्पात), ट्यूबिंग (सिलिकोन) पर अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क पर पूर्ण छूट दी जा रही है।
- 15) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, एलईडी ड्राइवर और एलईडी लाइट्स के लिए एमसीपीसीबी, फिक्सचर, लैंप के विनिर्माण में उपयोग होने वाले इनपुट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क।
- 16) अधिकतम भण्डारण क्षमता (वर्धित क्षमता समेत) वाले कम से कम 30 मिनट के लिए एकल क्रम में न्यूनतम 23 फ्रेम प्रति सैकेंड पर न्यूनतम 800 x 600 पिक्सल रेसोल्यूशन वाले वीडियो रिकार्डिंग की क्षमता वाले डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा और ऐसे कैमरा के विनिर्माण में उपयोग होने वाले पुर्जों और घटकों पर आधारिक सीमा शुल्क शून्य किया जा रहा है।

VI. नवीकरणीय ऊर्जा :

- 1) वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए, सौर जल तापक और प्रणाली के विनिर्माण में उपयोग के लिए सौर चयनित परत की तीन परतों के साथ निर्वातन नलिकाओं पर आधारिक सीमा शुल्क पर पूर्णतः छूट दी जा रही है।
- 2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्रमाणीकरण के अध्यक्षीन रहते हुए, नवीकरणीय विद्युत प्रणाली (आरपीएस) इन्वर्टर के विनिर्माण में उपयोग के लिए सक्रिय ऊर्जा नियंत्रक (ईईसी) पर आधारिक सीमा शुल्क 5% तक घटाया जा रहा है।

VII. आटोमोबाइल्स :

- 1) वाणिज्यिक यानों पर आधारिक सीमा शुल्क की टैरिफ दर 10% से बढ़ाकर 40% की जा रही है। ऐसे यानों पर प्रभावी आधारिक सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। तथापि, पूर्णतः घनपातित दशा (सीकेडी) वाले ऐसे यानों तथा शीर्ष 8702 वाले विद्युत चालित यानों, जिसके अंतर्गत पूर्णतः घनपातित दशा (सीकेडी) वाले यान भी हैं, पर सीमाशुल्क 10% बना रहेगा।
- 2) विद्युत चालित यानों और हाइब्रिड मोटर यानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट मालों पर शून्य आधारिक सीमाशुल्क के रियायती सीमा शुल्क, 6% उत्पादशुल्क/अतिरिक्त सीमा शुल्क और शून्य विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, जो वर्तमान में 31.03.2015 तक उपलब्ध हैं, का 31.03.2016 तक विस्तार किया जा रहा है।

VIII. स्वास्थ्य :

- 1) कृत्रिम हृदय (बाई निलय सहायक युक्ति) को आधारिक सीमा शुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

IX. प्रकीर्ण :

- 1) नकद वितरक और स्वचालित नोट वितरक (शीर्ष 8473 40) के पुर्जे और अवयव आधारिक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं। तथापि, चूंकि सुसंगत अधिसूचना में पुर्जों का वर्गीकरण वर्णित किया गया था, नकद वितरक और स्वचालित बैंक नोट वितरक के पुर्जों को छूट के विस्तार के बारे में संदेह थे। चूंकि "नकद वितरकों और स्वचालित बैंक नोट वितरकों के पुर्जे" माल के वर्णन में विशिष्टता सम्मिलित किए गए थे, फिर भी उनका वर्गीकरण नहीं था, यह स्पष्ट किया जाता है कि आधारिक सीमाशुल्क से छूट का फायदा नकद वितरकों और स्वचालित बैंक नोट वितरकों के पुर्जों और अवयवों को उपलब्ध था। नकद वितरकों और स्वचालित बैंक नोट वितरकों के पुर्जों और अवयवों के वर्गीकरण (8473 40) को सम्मिलित करने के लिए अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17-03-2012 की क्र. सं. 408 को भविष्यलक्षी रूप से संशोधित किया जा रहा है।

- 2) अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17-03-2012 की क्र. सं. 507, उक्त अधिसूचना विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए आयातित माल हेतु शून्य आधारिक सीमा शुल्क और शून्य अतिरिक्त सीमा शुल्क विहित करती है। परियोजना के लिए आयात की दशा में, जिसके लिए मेगा विद्युत परियोजना प्रास्थिति से संबंधित प्रमाणपत्र अनंतिम है, अन्य बातों के साथ, छूट इस शर्त के अधीन है कि आयातक, 36 मास या अधिक की अवधि के लिए बैंक प्रत्याभूति या नियत जमा रसीद प्रस्तुत करता है। इस शर्त को बैंक प्रत्याभूति या नियत जमा रसीद प्रस्तुत करने की अवधि 66 मास विहित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। यह शर्त अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17-03-2012 की क्र. सं. 508 के अधीन आयातों को भी लागू होती हैं।
- 3) विनिर्दिष्ट ओषधियों (छूट अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में सूचीबद्ध) के विनिर्माण में उपयोग की गई थोक ओषधियों, अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क की क्रमशः क्र. सं. 148 (ख) और 147(ख) के अधीन या तो आधारिक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है या उन पर आधारिक सीमा शुल्क की 5% रियायती दर लागू होती है, यदि आयातकों द्वारा सीमा शुल्क (उत्पादशुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में यथा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। और, विनिर्दिष्ट ओषधियों के विनिर्माण में उपयोग की गई इन थोक ओषधियों को अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्र. सं. 108 (ख) के अधीन भी उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, परंतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पादशुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल को हटाना) नियम में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता हो। इस संदर्भ में, स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या उपर वर्णित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन जारी पृथक प्रमाणपत्र अपेक्षित है, जब उपर वर्णित सीमा शुल्क नियमों के अधीन समान अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से जारी उसी तरह का प्रमाणपत्र पहले ही प्रस्तुत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिसूचना सं. 12/2012-सीई के अधीन अतिरिक्त सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पादशुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल को हटाना) नियम, 2001 का पृथक रूप से अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि सीमाशुल्क (उत्पादशुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात नियम, 1996 में यथा अधिकथित प्रक्रिया आयातक द्वारा उसी थोक ओषधि पर आधारिक सीमाशुल्क से छूट रियायत पाने के लिए पहले से ही अनुसरण की जा रही है।
- 4) अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क (क्रम सं. 148(ग) जीवन रक्षक ओषधियों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यष्टिक द्वारा आयातित दवाओं को शर्त सं. 10 के अधीन रहते हुए आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करती है। जो नियत करती है कि प्रत्येक व्यष्टिक मामले में आयातक, महानिदेशक या उपमहानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सरकार अथवा जिले के जिला चिकित्सा प्रमाणपक्ष (विहित प्ररूप में) प्रस्तुत करता है कि माल जीवन रक्षक ओषधियां या दवाएं हैं। विहित प्ररूप को संशोधित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन रोगियों के मामले में जिन्हें नियमित आधार पर ऐसी ओषधियों और दवाओं का आयात करना पड़ता है, ऐसा प्रमाणपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- 5) सिक्योरिटी प्रिटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) द्वारा उपयोग के लिए आयातित विनिर्दिष्ट माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क छूट वापस ली जा रही हैं।

उत्पाद शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन :

- 1) धारा 3क की उपधारा (3), जो केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित माल के संबंध में उत्पादन की क्षमता के आधार पर उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के लिए सशक्त करती है, संशोधित की जा रही है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि उत्पाद के लिए सुसंगत कारकों के अंतर्गत उत्पादन के लिए ऐसे माल के उत्पादन के लिए सुसंगत एक से अधिक कारक विनिर्दिष्ट करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।
[खंड 90]
- 2) धारा 11क का संशोधन किया जा रहा है ताकि :
 - (i) संविधि से उन मामलों के प्रवर्ग को हटाया जा सके, जहां समय की विस्तारित अवधि लागू होती है, किन्तु संव्यवहार विनिर्दिष्ट अभिलेख में अभिलिखित किए जाते हैं;
 - (ii) उन मामलों के संबंध में जहां नियत तारीख को विवरणी फाइल नहीं की जाती है और जहां केवल ब्याज की वसूली अपेक्षित होती है, सुसंगत तारीख की परिभाषा के उपबंध करने के लिए सुसंगत तारीख से संबंधित उपबंध संशोधित किया जा सके।
 - (iii) यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11क के उपबंध उन मामलों को लागू नहीं होंगे, जहां फाइल की गई कालिक विवरणी में शुल्क का असंदाय या कम संदाय, दृष्टिगोचर होता है और यह कि ऐसे मामलों में शुल्क की वसूली ऐसी रीति में की जाएगी जैसी नियमों में विहित की जाए।
[खंड 91]
- 3) शास्ति के सुव्यवस्थीकरण के लिए धारा 11कग को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जा रहा है:
 - (iv) कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने या उत्पाद शुल्क के संदाय से बचने के आशय से अधिनियम या, नियम के किसी उपबंध के उल्लंघन को अंतर्वलित नहीं करने वाले मामलों में निम्नलिखित रीति में संशोधन किया जा रहा है,
 - (क) धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क के अतिरिक्त, इस प्रकार अवधारित शुल्क के 10% से अनधिक या 5000 रुपए शास्ति, जो भी अधिक हो, संदेय होगी;
 - (ख) यदि धारा 11क के अधीन शुल्क और उस पर संदेय ब्याज या तो कारण बताओ नोटिस जारी करने के 30 दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है तो, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त शुल्क तथा ब्याज के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी;

- (ग) यदि धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित शुल्क तथा धारा 11कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख के 30 दिन के भीतर संदत्त की जाती है, जिसने ऐसा शुल्क अवधारित किया जाता है, शास्ति की रकम इस प्रकार अधिरोपित शास्ति के 25% के समतुल्य होगी, संदेय होगी, परंतु यह कि ऐसी घटी हुई शास्ति भी ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त कर दी जाए; और
- (घ) यदि शुल्क की रकम किसी अपीली कार्यवाही में कम हो जाती है, तो शास्ति की रकम भी तदनुसार उपांतरित हो जाएगी और घटी हुई शास्ति (अधिरोपित शास्ति का 25%) का फायदा अनुज्ञेय होगा, यदि शुल्क, ब्याज और घटी हुई शास्ति ऐसे अपीली आदेश के 30 दिन के भीतर संदत्त की जाती है।
- (v) कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने या उत्पाद शुल्क के संदाय से बचने के आशय से अधिनियम या नियम के किसी उपबंध के उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों में निम्नलिखित रीति में संशोधन किया जा रहा है -
- (क) धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथावधारित शुल्क के अतिरिक्त, इस प्रकार अवधारित शुल्क के समतुल्य शास्ति संदेय होगी। इन मामलों के संबंध में, जहां ऐसे संव्यवहारों से संबंधित ब्यौरे 8 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली और वित्त विधेयक, 2015 को सहमति मिलने की तारीख तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेख में लेखबद्ध किए जाते हैं, तो संदेय शास्ति इस प्रकार अवधारित शुल्क की 50% होगी।
- (ख) यदि धारा 11कक के अधीन शुल्क और उस पर संदेय ब्याज कारण बताओ नोटिस की संसूचना के 30 दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है तो संदेय शास्ति की रकम मांग किए गए शुल्क का 15% होगी परंतु यह कि ऐसी घटी हुई शास्ति भी कारण बताओ नोटिस की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदत्त कर दी जाए और उक्त शुल्क तथा ब्याज के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी;
- (ग) यदि धारा 11क की उपधारा (10) के अधीन यथावधारित शुल्क तथा धारा 11कक के अधीन उन पर संदेय ब्याज, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त की जाती है, जिसने ऐसा शुल्क अवधारित किया है, शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शुल्क के 25% के समतुल्य होगी, परंतु यह कि ऐसी घटी हुई शास्ति भी ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त कर दी जाए; और
- (घ) यदि किसी अपीली कार्यवाही में शुल्क की रकम कम हो जाती है तो शास्ति रकम भी तदनुसार उपांतरित हो जाएगी और कम की गई शास्ति (अधिरोपित शास्ति का 25%) का फायदा अनुज्ञेय होगा यदि शुल्क, ब्याज और कम की शास्ति ऐसे अपीली आदेश के 30 दिन के भीतर संदत्त कर दी जाती है।

[खंड 92]

- 4) समझौता आयोग, के उपबंधों से संबंधित धारा 31 की उपधारा (ग) का परन्तुक का "यथा स्थिति, अपील या पुनरीक्षण में" के प्रतिनिर्देश को हटाने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जब किसी नए न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए कोई कार्यवाही, चाहे वह अपील या पुनरीक्षण या अन्यथा में हो, किसी न्यायालय, अपील अधिकरण प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निर्दिष्ट की जाती है तो ऐसा मामला समझौते का हकदार नहीं होगा।

[खंड 93]

- 5) धारा 32 की उपधारा (3) का परन्तुक यह उपबंध करता है कि जब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के सदस्य को समझौता आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा। सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तें) नियम, 2000 के अनुसार बोर्ड के सदस्य समझौता आयोग के सदस्य होने के लिए पात्र नहीं है। इस लिए परन्तुक अनावश्यक है और इसका लोप किया जा रहा है।

[खंड 94]

- 6) धारा 32ख का संशोधन किया जा रहा है जिससे समझौता आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए समझौता आयोग के उपाध्यक्ष या सदस्य को समर्थ बनाया जा सके।

[खंड 95]

- 7) धारा 32ड की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि 1 जून, 2007 से पूर्व किए गए आवेदनों के मामले में और जहां धारा 32च(1) के अधीन कोई आदेश उक्त तारीख से पहले नहीं किया गया है या समझौता आयोग द्वारा इस प्रकार आदेश की गई रकम का आवेदक ने संदाय नहीं किया है तो वह 1 जून, 2007 से तीस दिन के भीतर स्वीकृत शुल्क दायित्व का संदाय करेगा जिसके न किए जाने पर उसका आवेदन नामंजूर किया जा सकता है। क्योंकि उक्त धारा का वास्तविक प्रवर्तन 1 जून, 2007 से तीस दिन के भीतर किए जाने वाले संदायों के लिए उपबंध करती है, उक्त उपधारा अनावश्यक हो गई है और इसका लोप किया जा रहा है।

[खंड 96]

- 8) धारा 32च की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि 31 मई, 2007 से पूर्व फाइल किए गए आवेदनों की बाबत, समझौता आयोग 29 फरवरी, 2008 तक धारा 32च की उपधारा (5) के अधीन समझौता का अंतिम आदेश पारित करेगा और 31 मई, 2007 के पश्चात् फाइल किए गए मामलों में, नौ मास के भीतर। चूंकि 31 मई, 2007 से पहले फाइल किए गए सभी आवेदनों का 29 फरवरी, 2008 तक निपटान अवश्य ही कर दिया गया होगा, उक्त तारीखों के प्रति निर्देश अनावश्यक हो गया है। अतः, उक्त उपधारा का संशोधन किया जा रहा है जिससे "31 मई, 2007 को या उससे पहले, 29 फरवरी, 2008 के पश्चात् फाइल किए गए आवेदन की बाबत और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत" वाक्यांश का लोप किया जा सके।

[खंड 97]

- 9) धारा 32ज यह उपबंध करती है कि समझौता आयोग कतिपय दशाओं में संपूरित कार्यवाहियों को पुनः आरंभ कर सकता है। उक्त धारा के पहले परन्तुक के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच के पश्चात् कोई कार्यवाही पुनःआरंभ नहीं की जा सकती और उक्त धारा के दूसरे परन्तुक के अनुसार समझौता आयोग 1 जून, 2007 के पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत कोई कार्यवाही पुनः आरंभ नहीं कर सकता। इस प्रकार, समझौता आयोग को 1 जून, 2007 से पांच वर्ष के पश्चात् किसी संपूरित कार्यवाही को पुनःआरंभ करने की कोई शक्ति नहीं है, इस प्रकार यह खंड अनावश्यक हो गया है, अतः, इस धारा का लोप किया जा रहा है।

[खंड 98]

- 10) धारा 32ट की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि 31 मई, 2007 को या उससे पहले फाइल किए गए आवेदनों की बाबत समझौता आयोग आवेदनों का इस पुरकार विनिश्चय करेगा मानो उक्त धारा में किए गए संशोधन प्रवर्तन में नहीं थे। चूंकि 31 मई, 2007 तक फाइल किए गए सभी आवेदन का 29 फरवरी, 2008 तक अवश्य ही निपटान कर दिया गया है, उक्त स्पष्टीकरण अनावश्यक हो गया है। इसलिए उक्त स्पष्टीकरण का लोप किया जा रहा है।

[खंड 99]

- 11) खंड 32ण उन दशाओं का उपबंध करता है जिनमें वह व्यक्ति, जिसके मामले में आदेश समझौता आयोग द्वारा पारित किया गया है, पुनः समझौता आयोग नहीं पहुंच सकता। जब 2007 में उक्त धारा का संशोधन किया गया था तब उक्त धारा ने वित्त अधिनियम 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से पूर्व और उसके पश्चात् पारित आदेशों के संबंध में अन्तर किया है। उक्त प्रारंभ के पश्चात् विनिश्चित किए गए मामलों की बाबत आवेदक पश्चातवर्ती आवेदन करने से वर्जित किया गया था जबकि उससे पूर्व विनिश्चित मामलों में वह आवेदन कर सकता था यदि उसका मामला उपधारा (1) में उल्लिखित किसी खंड के अन्तर्गत नहीं आता था। तथापि, वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ के पश्चात् विनिश्चय किए गए मामलों में भी, आवेदक को समझौता आयोग पहुंचने के लिए तब अनुज्ञात किया जाएगा जब वह उपधारा (1) के खंडों में से किसी खंड से प्रभावित न किया गया हो। इस प्रकार, धारा 32ण की उपधारा (1) का खंड (i) और खंड (ii) का संशोधन किया जा रहा है जिससे धारा 32च की उपधारा (7) के अधीन पारित, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 122 या धारा 32च की उपधारा (5) के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान था" वाक्यांश को हटाया जा सके क्योंकि वह अनावश्यक हो गया है।

[खंड 100]

- 12) धारा 37 की उपधारा (4) और उपधारा (5) का संशोधन किया जा रहा है जिससे शास्ति को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जा सके।

[खंड 101]

- 13) अधिसूचना 12/2012-सीई तारीख 17-03-2012 का क्रम संख्यांक 205 के रेलों के मूल्य पर उत्पाद शुल्क ने संदाय से लोहा और इस्पात के रेल या ट्रामवे पथ सन्निर्माण सामग्री को इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि ऐसी रेलों ने उत्पाद शुल्क वहन किया है और उन पर संदत्त शुल्क या कोई प्रत्यय सेनवेट प्रत्यय नियम 2004 के अधीन नहीं लिया जाता है। यह छूट 17-3-2012 से 02-02-2014 की अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से लागू की जा रही है।

[खंड 102]

- 14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की तीसरी अनुसूची का वैसी ही रीति में संशोधन किया जा रहा है जैसी वह खण्ड 105 में विनिर्दिष्ट है।

[खंड 103]

पैरा 1) और 14) में परिवर्तन अनन्तिम संग्रहण कर अधिनियम 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होंगे।

शुल्क की दर में परिवर्तन अर्न्तवलिप्त करने वाले प्रस्ताव :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन :

- 1) उत्पाद-शुल्क के माल पर उदग्रहणीय शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर पूर्ण रूप से छूट दी जा रही है। साथ-साथ उत्पाद-शुल्क की मानक मूल्यानुसार दर (अर्थात् सेनवेट) को 12% से बढ़ाकर 12.5% किया जा रहा है।
- 2) "जल, जिसके अन्तर्गत खनिज जल और वातित जल जिसमें उप-शीर्षक 2202 10 वाले अध्याय के अधीन चीनी मिली हुई या अन्य कोई मीठा पदार्थ या वातित जल भी अर्न्तवलिप्त है, को 12% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है।
- 3) 65 मिमी से अनधिक लम्बाई की सिगरेट के लिए उत्पाद शुल्क को 25% तथा अन्य लम्बाईयों वाली सिगरेट के लिए उत्पाद शुल्क को 15% बढ़ाया जा रहा है। सिगारों, चूरोटों और छोटे सिगारों पर शुल्क दरों की वृद्धि भी प्रस्तावित है।
- 4) कर्तित तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क को 60 रुपए प्रति किग्रा से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति कि. ग्रा. किया जा रहा है।
- 5) उप-शीर्षक 2523 29 वाले अध्याय के अधीन आने वाले माल पर उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर को 900 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति टन किया जा रहा है।
- 6) टैरिफ मद 2710 19 30 के अधीन आने वाले उच्च गति डीजल (एचएसडी) पर उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर को 14% + 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14% + 15 रुपये प्रति लीटर किया जा रहा है तथापि उच्च गति डीजल (एचएसडी) पर विभिन्न उत्पाद-शुल्क के संकलन में कोई परिवर्तन नहीं है।
- 7) टैरिफ मद 3923 21 00, 3923 29 10 और 3923 29 90 के अधीन आने वाले प्लास्टिक के बोरों और थैलों (शंकु समेत) पर उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर 12% से बढ़ाकर 18% की जा रही है।

[खंड 104]

1 से 7 के परिवर्तन अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण से तुरन्त प्रभावी होंगे।

I. पेट्रोलियम

1. पेट्रोल और उच्च गति डीजल तेल पर उदग्रहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में ज्ञात) की अनुसूची दरों को ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 8 प्रति लीटर किया जा रहा है। पेट्रोल और उच्च गति डीजल तेल पर उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में ज्ञात) की प्रभावी दरों को ₹ 2 लीटर से बढ़ाकर ₹ 6 प्रति लीटर किया जा रहा है।

[खंड 163 और खंड 164]

2. पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें पेट्रोल और उच्च गति डीजल भी अर्न्तवलिता है, पर वर्तमान में लागू शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर की छूट दी जा रही है।
3. पेट्रोल और उच्च गति डीजल तेल (ब्राण्डिकृत और अब्राण्डिकृत दोनों) पर उत्पाद शुल्क (सेनवेट) की दरों को भी पुनरीक्षित किया जा रहा है।
4. नीचे दी गई सारणी में पेट्रोल और डीजल पर लागू होने वाले विभिन्न शुल्कों में परिवर्तनों को संक्षेप में दिया गया है:

28.02.2015 से पूर्व तक लागू होने वाली शुल्क दरें					01.03.2015 से लागू होने वाली शुल्क दरें				
सेनवेट रुपए / लीटर	विशेष अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क रुपए/लीटर	अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क रुपए/लीटर	शिक्षा उपकर (उत्पाद शुल्क के सम्मिलित % के रूप में	कुल रुपए/लीटर	सेनवेट	विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क	शिक्षा उपकर	कुल
अब्राण्डिकृत पेट्रोल									
8.95	6	2	3%	17.46	5.46	6	6	शून्य	17.46
ब्राण्डिकृत पेट्रोल									
10.10	6	2	3%	18.64	6.64	6	6	शून्य	18.64
अब्राण्डिकृत डीजल									
7.96	शून्य	2	3%	10.26	4.26	शून्य	6	शून्य	10.26
ब्राण्डिकृत डीजल									
14% + 5 रु. प्रति लीटर या 10.25 रु. प्रति लीटर जो भी कम हो	शून्य	2	3%	12.62	6.62	शून्य	6	शून्य	12.62

इस प्रकार पेट्रोल और डीजल पर विभिन्न उत्पाद शुल्क का कुल आपतन अपरिवर्तित है।

II. खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर

1. उप-शीर्षक 2101 20 वाले अध्याय के अधीन आने वाले सभी मालों को जिसके अन्तर्गत शीतल चाय भी है 30% के उपशमन के साथ फुटकर विक्रय मूल्य के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है।
2. मालो, जैसे नींबू शरबत और अन्य सुपेयों को 35% उपशमन के साथ फुटकर विक्रय मूल्य के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है।
3. सेनवेट प्रत्यय बिना 2% या सेनवेट प्रत्यय के साथ 6% का उत्पाद शुल्क को यूनिट आधारों में रखे गये संघनित दूध पर उदग्रहीत किया जा रहा है। संघनित दूध को भी 30% उपशमन के साथ फुटकर विक्रय मूल्य के संदर्भ में मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है।
4. मूंगफली मक्खन पर सेनवेट प्रत्यय के बिना 2% या सेनवेट प्रत्यय के साथ 6% का उत्पाद शुल्क उदग्रहण किया जा रहा है।

III. आटोमोबाइल्स

1. एम्बुलेंसों के लिए चेसिस पर उत्पाद-शुल्क को वास्तविक उपयोक्ता दशा के अधीन रहते हुए 24% से घटाकर 12.5% किया जा रहा है।
2. विद्युत चालित यान और हाइब्रिड यान के विनिर्माण में प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट मालों पर 6% रियायती उत्पाद-शुल्क, जो वर्तमान में 31/03/2015 तक उपलब्ध है, का विस्तार 31/03/2016 तक किया जा रहा है।

IV. स्वास्थ्य

1. सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क को 65 मि.मी. से अनधिक लम्बाई की सिगरेट के लिए 25% तथा अन्य लम्बाइयों वाली सिगरेट के लिए 15% बढ़ाया जा रहा है। सिगारों, चूटों और छोटे सिगार तथा तम्बाकू के विकल्पों के लिए सिगरेट और छोटे सिगारों पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है।
2. विभिन्न फुटकर विक्रय मूल्यों के अधिसूचित मालों की पैकिंग के लिए पैकिंग मशीन की अधिकतम गति को प्रशमन उदग्रहण स्कीम जो वर्तमान के पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले गुटखा पर लागू है के अधीन संदेय उत्पाद शुल्क के अवधारण करने के लिए उत्पादन से संबंधित कारक के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा रहा है तदनुसार, मानद उत्पादन और प्रति मास प्रति मशीन संदेय कर को गति सीमा जिसमें पैकिंग मशीन की अधिकतम गति आती है के संदर्भ में अधिसूचित किया जा रहा है।

V. इलैक्ट्रॉनिक/हार्डवेयर

1. वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधधीन रहते हुए, स्मार्ट कार्ड के लिए इन्टीग्रेटेड सर्किट (आईसी) मोडयूल्स के विनिर्माण के लिए वेफर पर उत्पाद शुल्क 12% से घटाकर 6% किया जा रहा है।
2. वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधधीन रहते हुए, एलईडी ड्राईवर और एलईडी लाइट्स के लिए एमसीपीसीबी, फिक्चर और लैंप के विनिर्माण में उपयोग होने वाले इनपुट पर उत्पाद शुल्क 12% से घटाकर 6% किया जा रहा है।
3. मोबाईल फोन के उत्पाद शुल्क संरचना सेनवेट प्रत्यय के बिना 1% या प्रत्यय के साथ 6% से बिना प्रत्यय के 1% या प्रत्यय के साथ 12.5% में परिवर्तन किया जा रहा है।
4. टेबलेट कंप्यूटर उत्पाद शुल्क संरचना में सेनवेट प्रत्यय के बिना 2% या प्रत्यय के साथ 12.5% का विस्तार किया जा रहा है। वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधधीन रहते हुए, टेबलेट कंप्यूटर के विनिर्माण में उपयोग होने वाले पुर्जों, घटकों और उपसाधनों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले उनके उपपुर्जों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।
5. वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधधीन रहते हुए, पेसमेकर के विनिर्माण में उपयोग होने वाले विनिर्दिष्ट कच्चे माल (बैटरी, टाइटेनियम, पैलेडियम तार, ड्यूटेक्टक तार, सिलिकोन रेसिन और रबड़, सोल्डर पेस्ट, रीड स्विच, डायोड्स, ट्रांसिस्टर, कैपेसिटर्स, कंट्रोलर, कोइल (इस्पात), टयूबिंग (सिलिकोन) पर सीमा शुल्क पूर्ण रूप से छूट दी जा रही है।
6. अभिव्यक्त रूप से उपबंधित करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जा रहे हैं कि खुदरा विक्रय मूल्य के संदर्भ में एलईडी या फिक्सचर के अंतर्गत एलईडी लैंप निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की तीसरी अनुसूची में समान परिवर्तन किए जा रहे हैं।

VI. नवीकरणीय ऊर्जा :

1. इस संदर्भ में एमएनआरई द्वारा प्रमाणीकरण के अधधीन रहते हुए, वायु चालित विद्युत जनरेटर के ढलवां घटकों के विनिर्माण के लिए पिटवां लोहा एसजी ग्रेड और फैरो-सिलिकोन-मैग्नेशियम पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी जा रही है।
2. सौर जल तापक और प्रणाली के उत्पाद शुल्क संरचना के लिए सेनवेट प्रत्यय के बिना शून्य या प्रत्यय के साथ 12.5% पर विहित की जा रही है।
3. इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटीवाय) द्वारा प्रमाणीकरण के अधधीन रहते हुए और पीवी सैल्स के विनिर्माण के लिए सौर पीवी रिबन के विनिर्माण के लिए गोल तांबे की तार और टिन मिश्रातुओं पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी जा रही है।

VII. उपभोक्ता माल :

1. चमड़े के जूते (जूते जिनका ऊपरी भाग 4107 या 4112 या 4114 के शीर्षक के साथ चमड़े का बना हो) जिनका प्रति जोड़े का खुदरा विक्रय मूल्य 1000 रुपये से अधिक है, पर उत्पाद शुल्क 12% से घटाकर 6% किया जा रहा है।
2. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में, प्रविष्टि "जल, जिसके अंतर्गत खनिज जल और वातित जल, मिलाई गई चीनी युक्त या मधुर बनाने वाला द्रव्य या सुरुचिकृत" के संबंध में उदग्रहीत अतिरिक्त 5% उत्पाद शुल्क का लोप किया जा रहा है। वित्त अधिनियम, 2015 के अधिनियमित होने तक ऐसी वस्तुओं पर उदग्रहीत उक्त अतिरिक्त 5% के उत्पाद शुल्क पर छूट दी जा रही है। साथ-साथ, इस माल पर आधरिक उत्पाद शुल्क दर को 12% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है।

VIII. स्वच्छ भारत और ऊर्जा सेक्टर :

1. कोयला, लिग्नाइट और पीट पर उदग्रहीत स्वच्छ ऊर्जा उपकर की अनुसूची दर 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति टन की जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रभावी दर 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति टन की जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की दर में वृद्धि अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के अधीन तुरन्त प्रभावी हो जाएगी।

[खंड 88]

2. औद्योगिक उपयोग से भिन्न, ईथाइलीन के बहुलकों के बोरे और थैलों पर उत्पाद-शुल्क को 15% तक बढ़ाया जा रहा है।

IX. कारबार करने की सहजता और माल विक्रय कर की ओर संचलन :

1. उत्पाद शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर आधारिक उत्पाद शुल्क में शामिल की जा रही है। परिणामस्वरूप, उत्पाद शुल्क्य माल पर उदग्रहणीय शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर को पूर्ण रूप छूट प्रदान की जा रही है। आधारिक उत्पाद शुल्क के मानक मूल्यानुसार दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत की जा रही है और पेट्रोल डीजल, सीमेन्ट, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों (बीडी से भिन्न) पर आधारिक उत्पाद शुल्क के विनिर्दिष्ट दर को उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा रहा है। तथापि, पेट्रोल तथा डीजल पर विभिन्न उत्पाद शुल्कों का कुल आपतन अपरिवर्तित रहता है। अन्य आधारिक उत्पाद-शुल्क दरें (मूल्यानुसार और साथ ही विनिर्दिष्ट) परिवर्तित नहीं की जा रही हैं। तथापि, आयातित माल पर उदग्रहीत शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर सीमा शुल्क के रूप में जारी रहेगा।

X. प्रकीर्ण :

1. उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट का विस्तार अगरबत्तियों के विनिर्माण के दौरान अस्तित्व में आए सीमित उपभोगित संमिश्रण पर मध्यवर्ती शून्य उत्पाद शुल्क लागू होता है।

2. अधिसूचना सं. 12/2012-सीई, तारीख 17-03-2012 की क्र. सं. 337 उक्त अधिसूचना की सूची सं. 10 में विनिर्दिष्ट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए माल पर शून्य उत्पाद शुल्क का उपबंध करती है। प्रोजेक्ट के लिए माल के मामले में, जिसके लिए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट प्रस्थिति के संबंध में प्रमाणपत्र अनंतिम है, छूट, अन्य बातों के साथ, इस शर्त के अधीन है कि प्रोजेक्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक प्रत्याभूति या नियत जमा रसीद 36 मास या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रस्तुत करता है। यह शर्त 42 मास की अवधि के लिए बैंक प्रत्याभूति या नियत जमा रसीदें प्रस्तुत करना विहित करने के लिए संशोधित की जा रही है।
3. अधिसूचना सं. 12/2012-सीई, तारीख 17-03-2012 की क्र.सं. 338 उक्त अधिसूचना की सूची सं. 11 में विनिर्दिष्ट मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए माल पर शून्य उत्पाद शुल्क का उपबंध करती है। प्रोजेक्ट के लिए माल के मामले में, जिसके लिए मेगा पावर प्रोजेक्ट प्रास्थिति के संबंध में प्रमाणपत्र अनंतिम है, छूट अन्य बातों के साथ, इस शर्त के अधीन है कि प्रोजेक्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक प्रत्याभूति या नियत जमा रसीद 36 मास या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रस्तुत करता है। यह शर्त 66 मास की अवधि के लिए बैंक प्रत्याभूति या नियत जमा रसीदें प्रस्तुत करना विहित करने के लिए संशोधित की जा रही है।
4. देश में विनिर्मित और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर आपूर्ति किए जाने वाले माल पूर्ण उत्पाद शुल्क छूट के लिए पात्र हैं, परन्तु यह कि आयात किए जाने पर ऐसे मालों पर शून्य आधारिक सीमा शुल्क और शून्य अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू हो अधिसूचना सं. 12/2012-सीई, तारीख 17.03.2012 की शर्त सं. 41 के साथ पठित क्र. सं. 336) । इस शर्त का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि आयातित माल कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए शून्य आधारिक सीमा शुल्क और शून्य अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए पात्र है, तो उक्त शर्तें स्वतः ही ऐसे मालों को लागू होंगी, जब उक्त उत्पाद शुल्क छूट का फायदा उठाने के उद्देश्य से जब उन्हें देश में विनिर्मित किया गया हो और अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर आपूर्ति किया गया हो।

प्रकीर्ण

- 1) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची जो सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्परिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में ज्ञात) के उदग्रहण से संबंधित है को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि अनुसूचित दर को ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 8 प्रति लीटर किया जा सके। सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्परिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा-शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में ज्ञात) की प्रभावी दर को ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 6 प्रति लीटर किया जा रहा है।

[खंड 163]

- 2) वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची जो उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में ज्ञात) को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि अनुसूचित दर को ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 8 प्रति लीटर किया जा सके। उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में ज्ञात) की प्रभावी दर को ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 6 प्रति लीटर किया जा रहा है।

[खंड 164]

- 3) वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि जल, जिसके अंतर्गत खनिज जल और वातित जल है जिसमें चीनी मिलाई हुई है, पर मूल्यानुसार 5% का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उदग्रहण से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जा सके।

[खंड 184]

- 4) स्वच्छ ऊर्जा उपकर से संबंधित वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे स्वच्छ ऊर्जा उपकर की अनुसूचित दर को 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति टन किया जा सके। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रभावी दर को 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति टन किया जा रहा है।

[खंड 188]

पैरा 1), 2) और 4) के परिवर्तन अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होंगे।

सेवा कर

1. सेवा कर दर में परिवर्तन

- सेवा कर दर 12% धन शिक्षा उपकर से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जा रहा है। "शिक्षा कर" और "माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर" सेवा कर की पुनरीक्षित दर में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार, सेवाकर दर में प्रभावी वृद्धि 12.36 प्रतिशत की विद्यमान दर (उपकरों को सम्मिलित करके) 14 प्रतिशत हो जाएगी।

नयी सेवा कर दर वित्त विधेयक, 2015 के अधिनियमन के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा। पुनरीक्षित दर के प्रभावी होने के समय तक, 'शिक्षा उपकर' और 'माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर' का सेवाकर में उदग्रहण होता रहेगा।

2. स्वच्छ भारत उपकर

- केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए एक समर्थनकारी उपबंध किया जा रहा है जिससे कि स्वच्छ भारत पहलों को वित्तपोषित करने और संवर्धित करने के उद्देश्य से ऐसी कराधेय सेवाओं के मूल्य की 2 प्रतिशत की दर पर सभी या किन्हीं कराधेय सेवाओं पर स्वच्छ भारत उपकर अधिरोपित किया जा सके।

यह उपकर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उदग्रहीत किया जाएगा और इसका तुरंत प्रभाव नहीं होगा।

3. कर आधार को व्यापक बनाना:

(क) नकारात्मक सूची का पुनर्विलोकन [वित्त अधिनियम, 1994 में संशोधन]

- आमोद पार्कों, आमोद तोरणिकाओं, वाटर पार्कों, थीम पार्कों या ऐसे अन्य स्थानों में घुड़सवारी खेल युक्तियों या गेंदबाजी विधिकाओं के माध्यम से आमोद प्रमोद या मनोरंजन प्रदान करने वाली मनोरंजन सुविधा तक पहुंच के रूप में प्रदान की गई सेवा पर सेवा कर उदग्रहीत किया जाना। नकारात्मक सूची प्रविष्टि, जिसके अन्तर्गत "मनोरंजन सुविधा तक पहुंच" आती है, का लोप किया जा रहा है [धारा 66घ(ज)]। परिणामतः, "मनोरंजन सुविधा" की परिभाषा [धारा 65ख(9)] का भी लोप किया जा रहा है।

ये प्रस्तावित परिवर्तन वित्त विधेयक 2015 के अधिनियमन के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

- सेवाकर मनोरंजन घटना समारोहों गैर मान्यताप्राप्त खेलकूद घटनाओं, शोभायात्रा, संगीत समारोह पुरस्कार समारोह में प्रवेश के रूप में सेवा पर सेवाकर तब उदग्रहीत किया जाना है जब ऐसी किसी घटना में प्रवेश के अधिकार के लिए प्रभारित रकम 500/- रुपए से अधिक है। इस प्रयोजन के लिए, नकारात्मक सूची प्रविष्टि, जिसके अन्तर्गत मनोरंजन घटनाओं में प्रवेश आती है का लोप किया जा रहा है [धारा 66घ(ज)]। परिणामतः, मनोरंजन घटना" [धारा 66ख(24)] की परिभाषा का लोप किया जा रहा है।

तथापि मनोरंजन, घटना अर्थात् चलचित्र फिल्म, सर्कस, मान्यता प्राप्त खेलकूद घटनाएं, नृत्य प्रस्तुतिकरण, थियेटर प्रस्तुतिकरण, जिसके अन्तर्गत नाटक और बैले भी हैं, में प्रवेश के माध्यम से सेवा की वर्तमान छूट नकारात्मक सूची प्रविष्टि के रूप में ऐसी सेवा के लिए प्रभारित रकम को ध्यान में न रखते हुए, छूट के माध्यम से जारी रहेगी। इस प्रयोजन के लिए एक नई प्रविष्टि अधिसूचना सं. 25/2012/एसटी, तारीख 20.6.2012 में अन्तःस्थापित की जा रही है।

प्रस्तावित परिवर्तन वित्त विधेयक, 2015 के अधिनियमन के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

- नकारात्मक सूची में प्रविष्टि जिसके अन्तर्गत माल के विनिर्माण या उत्पादन की कोटि में आने वाली किसी प्रक्रिया के रूप में सेवा है, [धारा 66घ(च)] का मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहल लिक्वर के उत्पादन या विनिर्माण के लिए कोई प्रक्रिया करने के रूप में से किसी सेवा को अपवर्जित करने के लिए विशोध्य किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप, सेवाकर प्रतिफल के लिए पेय लिक्वर के उत्पादन के लिए संविदा विनिर्माणकारी/जॉब कार्य पर उदग्रहीत किया जाएगा। इस संदर्भ में, "माल के विनिर्माण या उत्पादन की कोटि में आने वाली प्रक्रिया" पद की परिभाषा [धारा 65ख(40)] का संशोधन किया जा रहा है। जिसमें मानव उपयोग के लिए एल्कोहल लिक्वर के मध्यवर्ती उत्पादन को अपवर्जित करने के लिए अधिसूचना सं. 25/12-एसटी की क्रम सं.30 पारिणामिक संशोधन है।

प्रस्तावित परिवर्तन वित्त अधिनियम, 2015 के अधिनियमन के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

- वर्तमान में, धारा 66घ के खंड(क) के अधीन विनिर्दिष्ट कतिपय सेवाओं को अपवर्जित करके सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सेवाएं नकारात्मक सूची में हैं। सेवा कर किसी कारबार अस्तित्व को सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई "सहायक सेवा" पर लागू होता है। नकारात्मक सूची से कारबार अस्तित्व को सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं को अपवर्जित करने के लिए धारा [66घ(क)(iv)] का संशोधन करके एक समर्थकारी उपबंध किया जा रहा है। परिणामतः "सहायक सेवा" की परिभाषा [धारा 65ख(49)] का लोप किया जा रहा है।

ये संशोधन वित्त विधेयक 2015 के अधिनियमन के पश्चात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

तदनुसार, जब कभी यह संशोधन प्रभावी किया जाता है, कारबार अस्तित्व को सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए उन सेवाओं के सिवाय जो विनिर्दिष्ट रूप में छूट प्राप्त हैं या नकारात्मक सूची में किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, सेवा कर से भी दायी होंगी।

(ख) अधिसूचना सं.25/2012-एसटी-तारीख 20-6-2012 के अधीन विस्तारित साधारण छूटों का पुनर्विलोकन:

- सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की गई संनिर्माण, निर्माण, चालू करना आदि की विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वर्तमान में उपलब्ध छूट (उक्त अधिसूचना की क्रम सं.12 द्वारा) केवल निम्नलिखित तक सीमित होगी,-

(क) ऐतिहासिक स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व स्थल या अवशेष पुरातत्व उत्खनन या पुरावशेष;

(ख) नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य; और

(ग) (i) जल प्रदाय (ii) जल उपचार या (iii) मलव्ययन या संयंत्र के लिए पाईपलाइन, नलिका या संयंत्र

वर्तमान में अधिसूचना सं. 25/12-एसटी के क्रम सं.12 के अन्तर्गत आनेवाली अन्य सेवाओं के लिए छूट वापस ली जा रही है।

- वायु पत्तन या पत्तन से संबंधित मूल संकर्म का संनिर्माण, निर्माण; चालू करने या संस्थापन के लिए छूट वापस ली जा रही है। अधिसूचना सं.25/12-एसटी के क्रम सं.14 के अन्तर्गत आने वाली अन्य छूटें अपरिवर्तित रूप में जारी रहेंगी।
- (i) संगीत, या (ii) नृत्य या (iii) थिएटर, के लोक या शास्त्रीय कला प्ररूप में प्रस्तुतिकरण कलाकार द्वारा प्रदान की सेवाओं के लिए छूट ऐसे मामलों तक ही सीमित होगी जहां प्रभारित रकम किसी प्रस्तुति के लिए 1,00,000 रुपए तक है।
- रेल या जलयानों या सड़क से खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए छूट, खाद्यान्नों, जिनमें चावल और दालें, आटा, दूध और नमक भी है, तक सीमित होगी। कृषि उत्पाद का परिवहन पृथक् रूप से छूट प्राप्त है और यह छूट जारी रहेगी।
- निम्नलिखित सेवाओं पर छूट वापस ली जा रही है:-

(क) पारस्परिक निधि के या आस्ति प्रबंध कंपनी को पारस्परिक निधि अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं,

(ख) पारस्परिक निधि या एएमसी के वितरक

(ग) वितरक के लाटरी टिकट के विक्रय या विपणन अभिकर्ता से ।

इन सेवाओं पर सेवा कर उत्क्रमण प्रभार आधार पर उदग्रहीत किया जाएगा।

- निम्नलिखित सेवाओं पर छूट वापस ली जा रही है,-

(क) विभागीय रूप से संचालित पब्लिक टेलीफोन;

(ख) गारंटीकृत पब्लिक टेलीफोन जो केवल लोकल काल प्रचालित करते हैं; और

(ग) विमानपत्तन और अस्पताल में निःशुल्क टेलीफोन से टेलीफोन काल करके सेवाएं, जहां कोई बिल जारी नहीं किया जाता है ।

अधिसूचना सं.25/12-एसटी तारीख 20.6.2012 में उपरोक्त सभी परिवर्तन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे।

4. नई छूटें:

- फलों और सब्जियों का पूर्व-अनुकूलन, पूर्व शीतन, परिपक्व करने, मोम लगाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के रूप में सेवाएं छूट प्राप्त हैं।
- बहिःस्त्राव के उपचार के लिए सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र प्रचालक द्वारा प्रदान की गई सेवा।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के रूप में प्रदान की गई जीवन बीमा सेवा।
- प्रदर्शक (थिएटर स्वामी) द्वारा चलचित्र के प्रदर्शन के रूप में वितरक या ऐसे प्रदर्शक से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम को उसके एक सदस्य के रूप में प्रदान की गई सेवा छूट प्राप्त है।
- अब तक, नैदानिक स्थापन द्वारा नैदानिक स्थापन को जाने और उससे आने के लिए किसी रोगी के परिवहन के रूप में प्रदान की गई कोई सेवा, सेवाकर से छूट प्राप्त है। इस छूट की परिधि को सभी एम्बुलेंस सेवाओं को सम्मिलित करने हेतु व्यापक बनाया जा रहा है।
- संग्रहालय, प्राणीउद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, और व्याघ्र रिजर्व में प्रवेश द्वारा प्रदान की जा रही सेवा को छूट दी जा रही है।
- हटाने के स्थान से अंतरदेशीय आधान डिपो, आधान भाड़ा स्टेशन, पत्तन या विमानपत्तन को सड़क मार्ग से निर्यात माल के परिवहन के लिए प्रदान की गई माल परिवहन अभिकरण सेवा को अधिसूचना सं.31/12-एसटी तारीख 20.6.2012 द्वारा सेवा कर से छूट दी गई है। इस छूट के विस्तार को, हटाने के स्थान से भू सीमा-शुल्क स्टेशन (एलसीएस) को सड़क मार्ग से निर्यातित माल के परिवहन के लिए प्रदान की गई सेवाओं तक विस्तृत किया जा रहा है।

[ऊपर की सभी नई छूटें 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगी।]

5. कुछ सेवाओं को, जो वर्तमान में नकारात्मक सूची के अंतर्गत हैं, छूट जारी रखने के लिए अधिसूचना सं.25/12-एसटी में समाविष्ट की गई नई प्रविष्टियों का लोप किया जा रहा है, जो निम्नलिखित हैं:

- निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में सेवा,—

(i) चलचित्र, सर्कस, नृत्य, या थियेटर प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत नाटक या बैले भी हैं, का प्रदर्शन।

(ii) मान्यता प्राप्त खेलकूद घटनाएं।

- (iii) संगीत समारोह, शोभा यात्रा, सम्मान समारोह, संगीत या खेलकूद घटना जो उपरिवर्णित छूट के अंतर्गत नहीं है, जहां ऐसे प्रवेश के लिए प्रतिफल 500 रुपये प्रति व्यक्ति तक है।

ये परिवर्तन मनोरंजन घटनाओं में प्रवेश के रूप में सेवा से संबंधित प्रभावी, नकारात्मक सूची में किए गए संशोधनों की तारीख से प्रभावी होंगे।

6. वित्त अधिनियम, 1994 में समाविष्ट किए गए अन्य परिवर्तन

- कुछ विनिर्दिष्ट सेवाओं को अपवर्जित करते हुए, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को नकारात्मक सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा प्राप्त की गई विनिर्दिष्ट सेवाएं भी छूट प्राप्त हैं। अब तक "सरकार" पद अधिनियम या अधिसूचना में परिभाषित नहीं किया गया है। इससे निर्वचन संबंधी विवादक उत्पन्न हुए हैं। ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए, "सरकार" पद की परिभाषा को अधिनियम में समाविष्ट किया जा रहा है।
- विधि का आशय निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवाकर उद्ग्रहीत करने के लिए रहा है:

(i) चिट के संचालन के रूप में चिटफंड फॉरमैन।

(ii) आयोजक राज्य द्वारा लॉटरी के संवर्धन, विपणन, वितरण, विक्रय या लॉटरी के आयोजन और संचालन के लिए किसी अन्य रूप में राज्य की सहायता करके नियुक्त या प्राधिकृत लॉटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता।

तथापि, न्यायालय ने कुछ मामलों में प्रतिकूल अभिमत अपनाया है जबकि कुछ मामलों में उद्ग्रहण मान्य ठहराया गया है।

चिट फंड फॉरमैन द्वारा चिट के संबंध में और लॉटरी के वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं द्वारा लॉटरी के संबंध में किए गए क्रियाकलापों पर सेवाकर उद्ग्रहीत करने के लिए विधान मंडल के आशय को विशिष्टता कथित करने के लिए "सेवा" की परिभाषा में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा रहा है।

- धारा 66च(1) यह विहित करती है कि जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, किसी सेवा के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत ऐसी सेवा के प्रतिनिर्देश नहीं आएगा, जिसका उपयोग ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इस उपबंध के विस्तार को बढ़ाने की परिधि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने के लिए इस धारा में एक दृष्टांत समाविष्ट किया जा रहा है।
- धारा 67 कराधेय सेवाओं के मूल्यांकन को विहित करती है। इस धारा में यह विशिष्टता विहित किया जा रहा है कि सेवा के लिए प्रतिफल के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
 - (क) सेवा प्रदाता द्वारा उपगत सम्मिलित और प्रभासित संपूर्ण प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत। कराधेय सेवा के मूल्य में प्रतिपूर्ति योग्य व्यय को सम्मिलित करने का आशय सदैव रहा है। तथापि, कुछ मामलों में न्यायालयों ने विपरीत अभिमत अपनाया है। इसलिए, विधान मंडल का आशय विशिष्टता इस उपबंध द्वारा कथित किया जा रहा है।
 - (ख) लॉटरी टिकट की सकल विक्रय रकम से, या यथास्थिति, प्राप्त बट्टा से लॉटरी के वितरक या विक्रय अभिकर्ता द्वारा प्रतिधारित रकम, जो लॉटरी टिकट के अंकित मूल्य और उस कीमत, जिस पर वितरक या विक्रय अभिकर्ता ऐसे टिकट प्राप्त करता है, के बीच का अंतर है;
- धारा 73 को निम्नलिखित रीति में संशोधित किया जा रहा है:
 - (i) यह उपबंध करने के लिए, कि स्वयं निर्धारित और विवरणी में घोषित किन्तु असंदत सेवा कर रकम की वसूली धारा-73 की उपधारा (1) के अधीन किसी नोटिस की तामील के बिना धारा 87 के अधीन की जाएगी, एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित की जा रही है; और
 - (ii) उपधारा (4क), जो घटी हुई शास्ति का उपबंध करती है यदि विनिर्दिष्ट अभिलेखों में संव्यवहार के सही और संपूर्ण ब्यौरे उपलब्ध होते, का लोप किया जा रहा है।
- कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने या सेवा कर के संदाय से बचने के आशय से अधिनियम या नियम के किसी उपबंध के उल्लंघन को अंतर्वलित नहीं करने वाले मामलों में शास्ति के सुव्यवस्थीकरण के लिए धारा 76 को निम्नलिखित रीति में संशोधित किया जा रहा है,-
 - (i) शास्ति जो ऐसे मामलों में अंतर्वलित सेवा कर रकम के दस प्रतिशत से अधिक न हो;
 - (ii) कोई शास्ति संदत्त नहीं की जानी है यदि धारा 73(1) के अधीन नोटिस जारी करने के 30 दिन के भीतर सेवा कर और ब्याज संदत्त किया जाता है;
 - (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के आदेश के रूप में अधिरोपित शास्ति के 25% के समतुल्य घटी हुई शास्ति संदत्त की जानी है यदि सेवा कर, ब्याज और घटी हुई शास्ति ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर संदत्त की जाती है; और
 - (iv) यदि सेवा कर रकम किसी अपीली कार्यवाही में कम हो जाती है, तो शास्ति की रकम भी तदनुसार उपांतरित हो जाएगी और घटी हुई शास्ति (आधिरोपित शास्ति का 25%) का फायदा अनुज्ञेय होगा, यदि सेवा कर, ब्याज और घटी हुई शास्ति ऐसे अपीली आदेश के 30 दिन के भीतर संदत्त की जाती है।

- कपट या दुरभिसंधि या जानबूझकर तथ्यों को छिपाने या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या सेवा कर के संदाय से बचने के आशय से अधिनियम या नियमों के उपबंधों में उल्लंघन में अन्तर्विष्ट मामलों में शास्ति का सुव्यवस्थीकरण निम्नलिखित रीति में करने के लिए धारा 78 का संशोधन किया जा रहा है-
 - (i) ऐसे मामलों में शास्ति अर्न्तवलित सेवा कर रकम का सौ प्रतिशत होगी;
 - (ii) यदि सेवा कर, ब्याज और घटी हुई शास्ति को इस संबंध में सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर संदत्त कर दिया गया है, तो सेवा कर रकम के 15% के बराबर शास्ति का संदाय किया जाएगा।
 - (iii) यदि सेवा कर की रकम का ब्याज और घटी हुई शास्ति को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा किए गए आदेश में 30 दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा आदेश द्वारा अवधारित सेवा कर रकम के 25% के बराबर घटी हुई शास्ति का संदाय किया जाएगा; और
 - (iv) यदि किसी अपीली कार्यवाही में सेवा कर रकम को घटा दिया गया है, तब शास्ति रकम भी तदनुसार उपांतरित हो जायेगी और घटी हुई शास्ति (25%) का फायदा स्वीकार्य होगा यदि सेवा कर, ब्याज और घटी हुई शास्ति का ऐसे अपीलीय आदेश के 30 दिन के भीतर संदाय कर दिया गया हो।
- संक्रमणकारी उपबंध के रूप में, निम्नलिखित को विहित करने के लिए एक नई धारा 78ख को अन्तःस्थापित किया जा रहा है-
 - (i) धारा 76 और 78 के संशोधित उपबंध वहां लागू होंगे जहां वित्त विधेयक 2015 के अधिनियम के तारीख से पहले किसी सूचना की तामील नहीं हुई है, या धारा 73 की उप-धारा (1) या उसके परंतुक के अधीन सूचना की तामील हो गई है लेकिन धारा 73 की उप-धारा(2) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, और
 - (ii) धारा 73 की उपधारा (4क) के अर्न्तगत आने वाले मामलों के संबंध में, वित्त विधेयक 2015 के अधिनियम की तारीख से पहले यदि कोई सूचना तामील नहीं हुई है, या धारा 73 की उप-धारा (1) या उसके परंतुक के अधीन सूचना की तामील हो गई है, लेकिन धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, शास्ति सेवा कर रकम के 50% से अधिक नहीं होगी।
- धारा 80, जो विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में शास्ति के अधित्यजन का उपबंध करती है, का लोप किया जा रहा है।
- धारा 86, का यह विहित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि वे मामले, जिनमें सेवा कर रिबेट अर्न्तवलित है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35डड के निबधानुसार निपटाए जाएंगे।

7. उपशमनों का सुव्यवस्थीकरण:

- वर्तमान में, माल और यात्रियों के लिए रेल परिवहन के मूल्य का 30% ,माल परिवहन अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सड़क द्वारा माल परिवहन के मूल्य का 25% और जलयान द्वारा माल परिवहन के 40% पर सेवा कर संदेय है। शर्तों में भी परिवर्तन हुआ है। अब रेल, सड़क और जलयान द्वारा परिवहन के लिए एकरूप उपशमन को विहित किया जा रहा है। इनपुट पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट प्रत्यय के अनुपयोगिता की एकरूप शर्त के अधीन ऐसी सेवा के मूल्य पर 30% सेवा कर संदेय होगा।
- वर्तमान में, वायु परिवहन के इकोनोमी और साथ ही उच्च श्रेणियां, उदाहरणार्थ कारबार वर्ग के यात्री, के मूल्य का 40% सेवा कर संदत्त है। इकोनोमी से भिन्न श्रेणियों के उपशमन को घटाया गया है और इस तरह की उच्च श्रेणियों के मूल्य पर 60% सेवा कर संदेय होगा।
- चिट फण्ड सेवा से उपशमन को वापिस लिया जा रहा है। परिणामस्वरूप, चिट फण्ड फोरमैन फीस, कमीशन या ऐसी रकम के रूप में पूर्ण प्रतिफल पर सेवा कर संदत्त होगा। वह सेनवेट प्रत्यय लेने के लिए हकदार होंगे।

उपशमनों में प्रस्तावित सुव्यवस्थीकरण 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे।

8. सेवा कर नियम:

- संकलक मॉडल के अधीन उपबंधित किसी सेवा के संबंध में, संकलक या उसके किसी भारत में स्थित प्रतिनिधि कार्यालय, को सेवा कर संदत्त करने के लिए दायी बनाया जा रहा है, यदि संकलक के ब्रांड नाम का उपयोग करके सेवा किसी भी रीति में इस प्रकार प्रदान की जाती है। यदि संकलक की उपस्थिति नहीं है, न ही उसके अंतर्गत कोई प्रतिनिधि है, उस दशा में संकलक द्वारा नियुक्त कोई अभिकर्ता संकलक की ओर से कर संदत्त करेगा। इस संबंध में, सेवा कर नियम, 1994 और अधिसूचना संख्या 30/2012-एसटी, तारीख 20.06.2012 के नियम 2 में समुचित संशोधन किए गए हैं।

यह परिवर्तन तुरंत अर्थात् 01.03.2015 से प्रभावी होगा।

- यह उपबंध करने के लिए नियम 4 का संशोधन किया जा रहा है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड आदेश द्वारा, सेवा कर में रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तों, रक्षापायों और प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करे।
- डिजिटल हस्ताक्षरित बीजकों को जारी करने, के साथ अभिलेखों की इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुति, के विकल्प को जोड़ा जा रहा है। इस संदर्भ में शर्तों और प्रक्रिया को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- ऐसी वसूली को सामर्थ्यकारी बनाने के लिए धारा 73 में संशोधन के परिणामस्वरूप धारा 87 के अधीन, नियम 6(6अ), जिसमें विवरणी में स्व:निर्धारित तथा घोषित सेवा कर की वसूली के लिए उपबंध का लोप किया जा रहा है।

- सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6(7), 6(7क), और 6(7ग) के अधीन विहित शर्तों के अध्यक्षीन, कतिपय सेवाओं के संबंध में जैसे धन परिवर्तन सेवा, वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपबंधित सेवा, बीमा सेवा और लॉटरी वितरक द्वारा उपबंधित सेवा और विक्रय अभिकर्ता सेवा प्रदाता, को अनुकूल्य दर पर सेवा कर संदत्त करने के लिए अनुज्ञात किया गया है। सेवा कर दर में उर्ध्व पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, उक्त वैकल्पिक दरें भी अनुपाततः पुनरीक्षित हो जाएंगी। सेवा कर नियमों में इस आशय के संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है। ये संशोधन, जब कभी नई सेवा कर दर प्रभावी होगी, प्रभाव में आएंगे।

9. उत्क्रमण प्रभार तंत्र

- जब किसी व्यक्ति, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब या भागीदारी फर्म द्वारा किसी निगमित निकाय को जनशक्ति का प्रदाय और सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाती है, तब इन्हें पूर्ण उत्क्रमण प्रभार के अन्तर्गत लाया जायेगा।

यह परिवर्तन 1.4.2015 से प्रभावी होगी।

- पारस्परिक निधि अभिकर्ता, पारस्परिक निधि वितरकों और लाटरी वितरक के अभिकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं को, ऐसी सेवाओं पर छूट की वापसी के परिणामस्वरूप उत्क्रमण प्रभार के अधीन लाया जाएगा। तदनुसार, पारस्परिक निधि अभिकर्ताओं और पारस्परिक निधि वितरक सेवाओं की बाबत सेवा कर आस्ति प्रबंधन कम्पनी या, यथास्थिति, ऐसी सेवाएं प्राप्त करने वाली पारस्परिक निधि द्वारा संदत्त किया जायेगा। लॉटरी के उप-अभिकर्ता के संबंध में सेवा कर वितरक या लॉटरी के विक्रय अभिकर्ता द्वारा संदत्त किया जायेगा।

यह परिवर्तन 1.4.2015 से प्रभावी होगा।

10. सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004

- नियम 4(7) सेवा प्रदाता को संदाय से इसे जोड़े बिना सेवा प्राप्त कर्ता द्वारा आंशिक उत्क्रमण प्रभार के अधीन संदत्त सेवा कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए का संशोधन किया जा रहा है।

यह परिवर्तन 1.4.2015 से प्रभावी होगा।

11. प्रकीर्ण

- भारत के बाहर अवस्थित किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा भारत में अवस्थित किसी निर्यातकर्ता को प्रदान की गई सेवा को अधिसूचना सं. 42/12-एसटी तारीख 29.6.2012 द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित किया जा रहा है। "मध्यवर्ती" की परिभाषा में, सेवा नियमों के उपबंधों के स्थान पर, कराधेय क्षेत्र से बाहर ऐसे अभिकर्ता द्वारा दी गई किसी सेवा के उपबंधों का स्थान बनाना, पूर्ववर्ती बजट में विधि में किए गए संशोधनों की दृष्टि से यह छूट अनुपयोगी हो गई है।